L.B.(I) No. 99

COMMITTEE OF PRIVILEGES

(TENTH LOK SABHA)

SECOND REPORT

(Laid on the table on . 7 D[illegible] , 1993)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

October, 1993/Asvina, 1915 (Saka)

Price: Rs. 38.00

CONTENTS

		PAGE
1.	Personnel of the Committee of Privileges	(iii)
2.	Report .	1
3.	Minutes of Sittings of Committee .	25
4.	Minutes of Evidence .	44
5.	Appendices .	105

PERSONNEL OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES*
(1991-92)

Shri Shiv Charan Mathur—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Ram Sunder Das
**4. Shri Syed Masudal Hossain
5. Shri Santosh Kumar Gangwar
6. Shri Anna Joshi
7. Shri Venkata Krishna Reddy Kasu
8. Shri P.R. Kumaramangalam
9. Dr. Debi Prosad Pal
10. Shri Uttamrao Patil
11. Shri K. Ramamurthy
12. Shri Bhagwan Shankar Rawat
13. Shri Allola Indrakaran Reddy
14. Shri Tej Narayan Singh
***15. Shri Sharad Yadav

SECRETARIAT

Shri G.L. Batra — *Additional Secretary*
Shri T.S. Ahluwalia — *Joint Secretary*
Shri J.P. Ratnesh — *Joint Secretary*
Shri V.K. Sharma — *Under Secretary*
Shri A.S. Chera — *Assistant Director*

---

* The Committee of Privileges was nominated by the Speaker on 25 November, 1991.

** Nominated on 1 September, 1993 *vice* Shri Amal Datta resigned *w.e.f.* 12 July, 1993.

*** Nominated on 16 January, 1992 *vice* Shri Md. Yunus Saleem resigned *w.e.f.* 27 November, 1991.

SECOND REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES (TENTH LOK SABHA)

I. Introduction and Procedure

I, the Chairman of the Committee of Privileges, having been authorised by the Committee to submit the Report on their behalf, present this their Second Report to the Speaker on the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha. The matter was referred to the Committee by the Speaker on 14 May, 1993 under rule 227 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

2. The Committee held ten sittings. The relevant minutes of these sittings form part of the Report and are appended hereto.

3. At their first sitting held on 27 May, 1993, the Committee decided that in the first instance Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, be requested to appear before the Committee for oral evidence on 7 June, 1993.

4. At their second sitting held on 8 June, 1993, the Committee examined on oath Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP. During his evidence, he referred to and handed over copies of certain documents connected with his case.

5. At their third sitting held on 9 June, 1993, the Committee decided that the following officials of the Government of Uttar Pradesh be asked to appear before the Committee for oral evidence:

(i) Station Officer, Police Station Nawabganj, District Gonda, Uttar Pradesh;

(ii) Circle Officer, Gonda, Uttar Pradesh;

(iii) Superintendent of Police, Gonda, Uttar Pradesh;

(iv) Inspector of Police, Lucknow, who escorted Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, from District Jail, Lucknow, to District Gonda, in compliance of Warrant 'B' issued against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP;

(v) District Magistrate, Gonda, Uttar Pradesh;

(vi) Second Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, Uttar Pradesh; and

(vii) Superintendent, District Jail, Lucknow, Uttar Pradesh.

The Committee also decided that the following documents be called for from the Government of Uttar Pradesh:

(i) General Diary (original) and Case Diary (original) of Police Station Nawabganj, District Gonda, U.P., containing entries regarding Crime No. 158/93 under sections 25/27 Arms Act and Crime No. 161/93 under section 3(1) U.P. Gangster Act against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP;

(ii) Original Warrants 'B' issued against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, in Crime Nos. 158/93 and 161/93, Police Station Nawabganj, Gonda, U.P.; and

(iii) Original records of District Jail, Lucknow, relating to Shri Brij Bhushan Sharan Singh together with the original release order dated 17 April, 1993 of Shri Brij Bhushan Sharan Singh in CBI case and entries regarding receipt in the jail of Warrant 'B' against the MP.

6. At their fourth sitting held on 5 July, 1993, the Committee examined on oath the following officials of Government of Uttar Pradesh:

(i) Shri B.R. Saroj, Station Officer, Police Station Nawabganj, District Gonda, Uttar Pradesh;

(ii) Shri Shivnath Singh, the then Circle Officer, Gonda, Uttar Pradesh;

(iii) Shri G.P. Sharma, Superintendent of Police, Gonda, Uttar Pradesh; and

(iv) Shri J.M. Tripathi, Inspector of Police, Lucknow, Uttar Pradesh.

As the General Diary (original) and Case Diary (original) of Police Station Nawabganj, District Gonda, Uttar Pradesh, containing entries regarding Crime No. 158/93 under section 25/27 of the Arms Act, 1959 and Crime No. 161/93 under section 3(1) of the U.P. Gangster Act, 1986 against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, furnished by the Superintendent of Police, Gonda, Uttar Pradesh, were not legible, the Committee directed the Station Officer, Police Station Nawabganj, District Gonda, to furnished typed copies thereof for use of the Committee. The Committee also directed him to furnish a copy of the Uttar Pradesh Gangster Act, 1986.

7. At their fifth sitting held on 6 July, 1993, the Committee examined on oath the following officials of the Government of Uttar Pradesh:

(i) Shri B.D. Ram, District Magistrate, Gonda, Uttar Pradesh;

(ii) Shri H.P. Choudhury, Second Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, Uttar Pradesh; and

(iii) Shri Yaduvendra Shukla, Superintendent of District Jail, Lucknow.

Shri Shukla stated during his evidence that Warrant 'B' in Crime No. 158/93 under sections 25/27 of the Arms Act, 1986 was received in District Jail, Lucknow, on 12 April, 1993. He, however, stated that as the records relating thereto were not available with him, he was not in a position to state whether Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was produced in court in pursuance of the said Warrant 'B'. The Committee directed Shri Shukla to furnish the information immediately for consideration of the Committee after checking up his records.

8. At their sixth sitting held on 20 July, 1993, the Committee decided to hear again Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP. The Committee also decided that a factual statement be obtained from the Superintendent of Police, Gonda, Uttar Pradesh, showing the latest position with regard to the investigation etc. of the cases mentioned in the "Gang Chart" in Crime No. 161/93 under the Uttar Pradesh Gangster Act registered against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, at Police Station Nawabganj, Gonda, Uttar Pradesh.

At their seventh sitting held on 5 August, 1993, the Committee again examined Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP. During his evidence Shri Singh referred to and handed over copies of two judgements of the Allahabad High Court having a bearing on his case.

10. At their eighth sitting held on 6 September, 1993, the Committee directed that a draft Report be prepared for the consideration of the Committee.

11. At their ninth sitting held on 30 September, 1993, the Committee considered their draft Second Report.

12. At their tenth sitting held on 1 October, 1993, the Committee further considered their draft Second Report and adopted it.

II. Facts of the Case

13. On 8 April, 1993, a written communication[1] was received from the Superintendent of Police, CBI, New Delhi, forwarding therewith a fax message received from Deputy Superintendent of Police, CBI (Camp at Lucknow) intimating about the arrest and lodgement of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 8 April, 1993. This intimation was published[2] in Bulletin Part II dated 13 April, 1993.

14. On 10 April, 1993, a wireless message[3] was received from the Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow, intimating about the arrest and lodgement of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 9 April, 1993. This intimation was also published[4] in Bulletin Part II dated 10 April, 1993.

---

1. *See* Appendix I
2. *See* Appendix II
3. *See* Appendix III
4. *See* Appendix IV

15. On 19 April, 1993, a written communication[5] was received from the Chief Judicial Magistrate, Gonda, Uttar Pradesh, intimating about the issuance of production warrant against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, by him on the report of Police Station Nawabganj, District Gonda.

16. On 22 April, 1993, Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, gave notice[6] of a question of privilege regarding alleged non-intimation of his rearrest and release by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha.

The member stated in his notice of question of privilege, *inter alia*, as follows:

> "I was arrested on 8.4.1993 by CBI and lodged in the police lock-up at Lucknow. I was not produced before a Magistrate within 24 hours but only after 29 hours. Thus I was kept in illegal custody for 29 hours. CBI Magistrate of Lucknow accepted my bail on 16.4.1993. The bail was given on 17.4.1993. Inspite of that I was not released. I was produced before the court of Special Judge (Gangster Act), Faizabad, on 20.4.1993 for police remand. But the court rejected the request for remand under Gangster Act and released me.
>
> But no intimation regarding my bail on 16.4.1993, rearrest under Gangster Act and release on 20.4.1993 has been given to the Lok Sabha by the authorities concerned."

17. On 23 April, 1993, Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, raised the matter in the House. Shri Atal Bihari Vajpayee, MP, also raised the matter in the House. The Speaker, Lok Sabha, observed[7] that he would look into it.

18. On 23 April, 1993, the matter was referred to the Minister/Ministry of Home Affairs for furnishing a factual note on the matter.

19. On 12 May, 1993, Sarvashri Lal Krishna Advani, Satya Deo Singh, Brij Bhushan Sharan Singh, Chandra Shekhar and Bhogendra Jha, MPs, raised the matter in the House. The Speaker, Lok Sabha, observed[8] that he would look into it.

20. On 13 May, 1993, the Ministry of Home Affairs forwarded factual notes[9] received by them from the CBI and the Government of Uttar Pradesh. According to the factual report furnished by the CBI, Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was arrested alongwith others on 8 April, 1993 in Gonda at 9.40 A.M. He was taken to Lucknow and kept in CBI custody till 9 April, 1993 when he was produced before the CBI court in

---

5. *See* Appendix V
6. *See* Appendix VI
7. L.S. Deb., dt. 23.4.1993 (*See* Appendix VII)
8. L.S. Deb., dt. 12.5.1993 (*See* Appendix VIII)
9. *See* Appendix IX

Lucknow. The court remanded Shri Singh to judicial custody. On 16 April, 1993, Shri Singh was granted bail by the court. The intimation regarding the arrest of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 8 April, 1993 in Gonda at 9.40 A.M. was communicated to the Speaker, Lok Sabha, on 8 April, 1993.

According to the factual note furnished by the Government of Uttar Pradesh, Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, after his arrest on 8 April, 1993 was lodged in the District Jail, Lucknow. When he was in District Jail, Lucknow, a Warrant 'B' was served on him in the jail by Gonda Police on 17 April, 1993. Shri Singh was produced before the Special Judge, Gangster Act (Designated Court), Faizabad, for obtaining remand but the court refused to grant remand to him and he was released on 20 April, 1993. The intimation regarding service of Warrant 'B' under the Gangster Act on Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 17 April, 1993 while he was in District Jail, Lucknow, was not given by the District Administration to the Speaker, Lok Sabha, as the member was already in custody and intimation regarding his initial arrest on 8 April, 1993 had already been sent to the Speaker, Lok Sabha, by the CBI on 8 April, 1993.

21. On 14 May, 1993, the Speaker referred the matter to the Committee of Privileges for examination, investigation and report under rule 227 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

III. Issues and Evidence

22. The Committee, after considering the notice of question of privilege given by Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, felt that the following issues were broadly involved in the case:

(i) Whether Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, who was lodged in District Jail, Lucknow, since 9 April, 1993, was released on 17 April, 1993? If so, whether non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, as required under rule 230 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, amounted to any breach of privilege and contempt of the House?

(ii) Whether Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was rearrested on 17 April, 1993? If so, whether non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, as required under rule 229 of the said Rules, amounted to any breach of privilege and contempt of the House?

(iii) Whether intimation regarding release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 21 April, 1993, was given to the Speaker, Lok Sabha, as required under rule 230 of the said Rules? If not, who was responsible for the lapse?

(iv) Whether the non-intimation of release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, amounts to a breach of privilege and contempt of the House?

(v) Whether Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was rearrested at Gonda on 21 April, 1993, and kept in lock-up at the local police station during the night? If so, whether it amounts to a breach of privilege and contempt of the House?

23. During his evidence before the Committee, Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, stated[10] *inter alia* as follows:—

"I was arrested by CBI on 8.4.1993, at 8 A.M. from my residence at Nawabganj, District Gonda.....I could have been produced before the Magistrate, but I was produced before the Magistrate on 9 April, 1993 at 1.20 P.M. Thus, the CBI kept me in illegal custody for about 5½ hours...I was granted bail on 16th and my release order was sent to jail on 17th... No person can be detained in jail on the basis of 'B' Warrant.[11] I was produced before the Magistrate on 20th whereas I should have been produced on 15th... The Special Judge, Faizabad, released me on 20th. When I came out of the Court, the police team that had escorted me from Lucknow, informed me that there was another warrant against me from a Court of Gonda also.... At their request, I accompanied them and was produced before the Judicial Magistrate. He said that since I was not in his custody he could not consider my case. At this, the Lucknow police team released me. When I came to Nawabganj from Gonda, the Superintendent of Police, Gonda, asked the Incharge of the police team to lodge an FIR against me that I had absconded. He refused to do so... The S.O. and Circle Officer, Gonda, came to my residence at 9 P.M. and told me that they were again arresting me as I had absconded... Then they took me to the local police station and kept me in the lock-up... They produced me the next day before the Chief Judicial Magistrate, Gonda, requesting for remand. As there was no case against me, I was released without bail."

24. On being asked whether the police had misbehaved with him, Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, stated, "the Circle Officer misbehaved with me.... He said he had seen many MPs like me."

25. Shri B.R. Saroj, Station Officer, Police Station, Nawabganj, Gonda, While referring to the case under sections 25/27 Arms Act, 1959 against

---

10. *See* Minutes of Evidence (Original in Hindi).

11. Production Warrant under section 267 of the Code of Criminal Procedure, referred to as Warrant 'B' in Uttar Pradesh.

Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, during his evidence Stated[12] as follows:—

> "On 8 April, 1993, a raid was conducted by the CBI at the residence of the MP and a rifle without a licence was recovered from his residence.... He had given in writing that he would produce the licence of the rifle. We waited for 3-4 days and when he did not produce the licence, a case (under the Arms Act)... was registered against him on the 12th."

26. Shri B.R. Saroj, on being asked, clarified that the raid conducted by the CBI at the residence of Shri Brij Bhushan Sharan Singh on 8 April, 1993, was in connection with the demolition of the disputed structure in Ayodhya and the member was arrested on that day by the CBI in that case. However, since a rifle without a proper licence was recovered during the raid from his residence, the local police had taken cognizance of the matter and registered a separate case under the Arms Act, 1959 against the member.

27. Shri B.R. Saroj's attention was invited to the fact that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, who was arrested by the CBI on 8 April, 1993, was continuously in custody till 21 April, 1993, and under the circumstances, it was not humanly possible for him to bring and show the licence of the rifle to the police. Shri Saroj, on being asked, whether it was not his duty to ascertain before registering a case under the Arms Act, 1959, that a valid licence did or did not exist for the rifle recovered from the MP's residence, replied that he had not ascertained the fact.

28. Shri B.R. Saroj was also asked by the Committee to explain the basis on which the case under section 3(1) of the U.P. Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, was registered against Shri Brij Bhushan Sharan Singh. Shri Saroj referred to two old cases against the member — one of 1986 and the other of 1990 — and to the CBI case and the case under the Arms Act, 1959, as the basis for the registration of case under the U.P. Gangster Act.

29. Shri Saroj denied that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was rearrested after his release on 20 April, 1993. He also denied that the member was kept in lock-up at Police Station Nawabganj during the night on 20 April, 1993. According to him, the member had stayed at his residence during the night and had gone to the Court on 21 April, 1993, from his residence.

30. Shri Shivnath Singh, the then Circle Officer, Gonda, Uttar Pradesh, denied[13] that he had misbehaved with the member or said to him that he had seen many MPs like him. According to him he had not met Shri Brij

12. *See* Minutes of Evidence (Original in Hindi)
13. *See* Minutes of Evidence (Original in Hindi)

Bhushan Sharan Singh, MP, on 20 April, 1993. Shri Shivnath Singh stated that he was not aware whether the member was rearrested on 20 April, 1993, or whether he was kept in the lock-up for the night. Shri Shivnath Singh also denied that the police team that had escorted Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, from District Jail, Lucknow, was asked to lodge a complaint against the member that he had absconded.

31. With reference to the case under the U.P. Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, registered against Shri Brij Bhushan Singh, MP, Shri Shivnath Singh who said that he was posted in Gonda for one and a half years was asked:

> "During this period of one and half years, did you find the activities of the member to be suspicious?.... Did you ever feel that he was an anti-social element?.... It is one thing to register a case against somebody; can he be presumed to be a criminal on that basis?"

Shri Shivnath Singh replied:

> "We cannot prove it conclusively but he (the member) used to go around with a large number of armed persons which spread terror in the locality".

On being asked, whether those arms were unlicensed, Shri Shivnath Singh replied, "I cannot say".

32. When Shri Shivnath Singh's attention was invited to the requirement of the Rules that intimation regarding arrest/detention as well as release should be sent to the Speaker, Lok Sabha, he stated:

> "I am new in the job. I was not aware that intimation regarding release (of the member) is also required to be given. This is a mistake on my part for which I may be excused. In future such a lapse will not occur."

33. Shri G.P. Sharma, Superintendent of Police, Gonda, Uttar Pradesh denied[14] that he had asked the police party that had escorted Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, from District Jail, Lucknow, to lodge a complaint against the member on 20 April, 1993, that he had absconded. He also denied that the member remained in police lock-up for the night on 20 April, 1993 and stated that the member had stayed at his residence.

34. Shri G.P. Sharma on being asked as to why no intimation was sent to the Speaker, Lok Sabha, when the member was finally released on 21 April, 1993, stated as follows:

> "This lapse has occurred due to lack of knowledge.... I should have given the information. I was sure about the intimation to be given of arrest (of a member) but I was not sure about the intimation of release. That is why this mistake has been committed."

---

14. *See* Minutes of Evidence (Original in Hindi)

35. Shri J.M. Tripathi, Inspector of Police, Lucknow, Uttar Pradesh, who had escorted Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, from District Jail, Lucknow, stated[15] during his evidence as follows:—

"He (Shri Brij Bhushan Sharan Singh) was to be produced before the Special Judge, Faizabad, on 20th. There was another warrant from Gonda also. He was released from Faizabad Court. Later on, I took him to Gonda, but as the time was over and the Magistrate concerned had left the Court, he was produced before the Magistrate the next day. From that Court also he was released."

36. Shri Tripathi on being asked whether he had received any letter from the District Jail, Lucknow, regarding transfer of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, from that Jail to Faizabad Jail, replied in the affirmative. Shri Tripathi was asked whether he had accordingly taken the member to the Faizabad Jail. Shri Tripathi replied that by the time they reached Faizabad on 20 April, 1993, it was around 1.30 P.M. He, therefore, took the member straightaway to the Court of Special Judge (Gangster Act), Faizabad, instead of taking him to the Faizabad Jail. Shri Tripathi also stated that after the Special Judge (Gangster Act), Faizabad, declined to grant remand to Shri Brij Bhushan Sharan Singh in the case under the U.P. Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, he took the member to Gonda. However, by the time they reached Gonda, the Courts were closed. Therefore, he kept Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, at the member's residence for the night and produced him in the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, the next day, *i.e.*, 21 April, 1993. As that Court also declined to give remand, the member was released on 21 April, 1993.

37. Shri Tripathi denied that the member was kept in the police lock-up in the night of 20 April, 1993. He asserted that the member was kept at his residence.

38. Shri Tripathi was repeatedly asked as to why did he not take the member to the Faizabad Jail, as he was supposed to do, since the member was transferred to that Jail from the District Jail, Lucknow. He could not, however, give any satisfactory reply.

39. Shri B.D. Ram, District Magistrate, Gonda, stated,[16], on being asked, that the rifle recovered and seized from the residence of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was in the name of a person belonging to

15. *See* Minutes of Evidence (Original in Hindi)
16. *See* Minutes of Evidence (Original in Hindi)

District Gazipur. According to him, no action had been initiated against that person by the police till that time. He was again asked:

"Two persons are responsible for this. Under the Arms Act, Member of Parliament is also responsible. He committed certain irregularities. At the same time, a person in whose name the licence was issued, he did not keep the rifle with him and he actually gave it to the member of Parliament. Under what circumstances, he gave the rifle to the Member of Parliament? Was it inquired into?"

Shri Ram replied:

"Had the charge-sheet not been filed (against the member), the name of the person could also have been included in the case... The action in this case was taken in a great haste. Hon'ble Member also did not clarify, when he stated that he would produce the papers (of the rifle) later on whether the papers were in his name or in the name of somebody else."

40. When asked as to why did he not sanction the prosecution of the person in whose name the licence of the rifle was registered alongwith the prosecution of the member under the Arms Act, 1959, Shri Ram replied, "We act on the police report; on our own we seldom take any action."

41. Shri Ram denied that Shri Brij Bhushan Sharan Singh was kept in the police lock-up on 20 April, 1993, and stated that he stayed at his residence. He, however, agreed with the Committee that it was highly irregular on the part of the concerned police official to allow Shri Brij Bhushan Sharan Singh to stay at his residence while he was in custody.

42. Shri B.D. Ram, while maintaining that it was the duty of the Magistrate concerned who released the member on 21 April, 1993, to send intimation to the Speaker, Lok Sabha, about his release, admitted that there had been a lapse in this case in not sending an intimation. He stated:

"I would like to add that as the District Magistrate, my responsibility was greater. I assure that I would ensure that the procedure is strictly followed in future. I also assure that such mistakes will not occur in future."

43. Shri B.D. Ram was also asked whether Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was an anti-social element. He replied, "I am not aware of that... It would not be proper to say so at this stage."

44. Shri H.P. Chaudhary, Second Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, Uttar Pradesh, stated[17] during his evidence that he had refused to give remand to Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 21 April, 1993 in the case under the Arms Act, 1959.

Attention of Shri Chaudhary was invited to the provision of the Rules as well as the orders of the State Government that intimation of arrest/

17. *See* Minutes of Evidence (Original in Hindi)

detention and release of members of Parliament is required to be given to the Speaker, Lok Sabha. His attention was also invited to the last sentence of the concluding paragraph of his order dated 21 April, 1993, wherein he had ordered, "Intimation may be sent to Lok Sabha", and he was asked as to whom this order was directed. He replied that the order was directed to his office. When asked, why the intimation of release was not given to Lok Sabha Secretariat even after he had specifically ordered his office to do so, Shri Chaudhary replied:

> "We will check up. If it has not been sent, we will inquire into it."

45. Shri Chaudhary was told that he should have checked up the facts and come prepared before the Committee; more than two months had elapsed and he was still not aware whether the intimation had been sent or not. He was asked, "Now, that the intimation regarding release has not been received, what have you to say in the matter?"

He replied:

> "It is my mistake. I should have ensured it. I could not check it and thought that the intimation might have been sent. I am sorry, because it was my duty. The lapse may be excused because it has happened due to my lack of experience."

46. Shri Yaduvendra Shukla, Superintendent, District Jail, Lucknow, stated[18] during his evidence that he had received the release order of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 17 April, 1993 at 4.40 P.M., while the Warrant 'B' in the case under the U.P. Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, against the member was received earlier on the same day at 3.35 P.M. The member was, therefore, not released and detained in the jail. According to the Warrant 'B', the member was to be produced in the Court of Special Judge (Gangster Act), Faizabad, on 20 April, 1993. The Chief Judicial Magistrate, Lucknow, therefore, directed the Lucknow jail authorities to transfer Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, to the Faizabad jail. According to Shri Shukla, the member was taken by the escort team — comprising of Shri J.M. Tripathi, Sub-Inspector and others — to Faizabad.

47. Shri Shukla was asked whether he had received any intimation about the lodgement of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, in Faizabad jail. He replied:

> "No, sir. When accused are transferred from one jail and admitted in other jail, the intimation is given... He (the member) should have been taken to the jail, but he was taken to the Court straightaway... We have not received any intimation about the

---

18. *See* Minutes of Evidence (Original in Hindi)

member... We have, however, come to know that he was released... Had he been admitted in the Faizabad jail, they would certainly have intimated us."

48. Shri Shukla, on being asked as to why did he not transfer the member to Faizabad jail on 18 April, 1993 when he had received the Production Warrant on 17 April, 1993, replied, "Police Guard was not made available".

49. During his further evidence before the Committee, Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, pointed out certain discrepancies between the "Gang Chart" contained in the original file of the case under the U.P. Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, and the "Gang Chart" furnished by the Superintendent of Police, Gonda, to the Committee. He also handed over to the Committee, copies of two judgements of the Allahabad High Court, which according to him had a bearing on the case.

IV. Findings and Conclusions

50. The provisions relating to intimation required to be sent to the Speaker, Lok Sabha, regarding arrest, detention, etc. and release of members contained in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha are as follows:—

"229. When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Third Schedule.

230. When a member is arrested and after conviction released on bail pending an appeal or otherwise released, such fact shall also be intimated to the Speaker by the authority concerned in the appropriate form set out in the Third Schedule.

51. The Committee note that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was arrested at Gonda, U.P., on 8 April, 1993, in a case registered by the Central Bureau of Investigation under various sections of the Indian Penal Code, and was lodged in the District Jail, Lucknow, on 9 April, 1993. On 16 April, 1993, the Special Judicial Magistrate (CBI), Lucknow, granted bail to Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, and release order was sent to the Superintendent, District Jail, Lucknow, on 17 April, 1993 (the day on which bail papers were filed and accepted). The release order was delivered, as per the jail-records, in the District Jail, Lucknow, at 16.40 hours on 17 April, 1993.

52. The Superintendent, District Jail, Lucknow, did not, however, release Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, forthwith since, according to him, he had already received production warrants in two different cases from two different Courts in Uttar Pradesh requiring him to produce Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, in those Courts on different dates. The first production warrant, received in the District Jail, Lucknow, on 12 April, 1993, was issued by the Court of Chief Judicial Magistrate, Gonda, U.P., requiring Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, to be produced in that Court on 15 April, 1993 in Crime No. 158/93 under the Arms Act, 1959, registered against him at Police Station Nawabganj, Gonda, U.P. The second production warrant, received in the District Jail, Lucknow, on 17 April, 1993, was issued by the Court of Special Judge (Gangster Act), Faizabad, requiring Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, to be produced in that Court on 20 April, 1993 in Crime No. 161/93 under the U.P. Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, registered against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, at Police Station Nawabaganj, Gonda, U.P.

53. Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was not, however, produced, as required, in the Court of the Chief Judicial Magistrate, Gonda, U.P., on 15 April, 1993. He was produced in the Court of the Special Judge (Gangster Act), Faizabad, U.P., on 20 April, 1993, and in the Court of the Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, U.P., on 21 April, 1993. Since both the Courts declined to give remand to Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, as prayed for by the police, the member was released on 21 April, 1993, consequent upon the rejection by the Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, of the application for remand for 14 days moved by the Sub-Inspector of Police Station Nawabganj, Gonda.

54. It is a fact that no intimation regarding the release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 21 April, 1993, was received in the Lok Sabha Secretariat. The fact was further substantiated by the admission of the concerned police, executive, jail and judicial authorities, who appeared before the Committee for evidence that none of them had sent any intimation to the Speaker, Lok Sabha, regarding Shri Brij Bhushan Sharan Singh's release on 21 April, 1993.

55. The allegation that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was again arrested at Gonda on 21 April, 1993, after his release and kept in lock-up at the local police station during the night, was denied by the police and executive authorities who appeared before the Committee for evidence.

56. Findings of the Committee on the issues broadly involved in the case are given below.

(i) Whether Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, who was lodged in District Jail, Lucknow, since 9 April, 1993, was released on 17 April, 1993? If so, whether non-intimation

thereof to the Speaker, Lok Sabha, as required under rule 230 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, amounted to any breach of privilege and contempt of the House?

and

(ii) Whether Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was rearrested on 17 April, 1993? If so, whether non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, as required under rule 229 of the said rules, amounted to any breach of privilege and contempt of the House?

57. The Committee find that though bail was granted to Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, in the CBI case on 16 April, 1993 and his release order was delivered in the District Jail, Lucknow, on 17 April, 1993, he was not released from the jail on that day and was detained in the jail on the basis of Production Warrants against him in two other cases. The Committee are, therefore, of the view that inspite of the fact that technically speaking the Member had been released on bail in the offence in which he was lodged in jail, he was not physically released from the jail.

58. The Committee also hold, on the same anology, that since Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was not physically released from the jail, he continued to be under custody in the District Jail, Lucknow. As such, the Committee feel, the Member could not have been rearrested on 17 April, 1993.

59. Under the circumstances, no intimation was received in the Lok Sabha Secretariat regarding the so-called release or rearrest of the Member on 17th April, 1993. Keeping in view the fact that the Member was not physically released and could not, therefore, ostensibly have been rearrested, the Committee are disinclined to hold that any breach of privilege or contempt of the House was committed in not sending any intimation to the Speaker, Lok Sabha, regarding the alleged release and rearrest of the Member on 17 April, 1993.

(iii) Whether intimation reagrding release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 21 April, was given to the Speaker, Lok Sabha, as required under rule 230 of the said rules? If not, who was responsible for the lapse?

60. As already stated, no intimation was received in the Lok Sabha Secretariat, about the release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, at Gonda on 21 April, 1993, inspite of the fact that the Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, had clearly stated in his order dated 21 April, 1993—whereby he had declined to give remand to the Member in the case under the arms Act—that "intimation be sent to the Lok Sabha".

61. The then Circle Officer, Gonda, the Superintendent of Police, Gonda, and the District Magistrate, Gonda, admitted before the Committee that they had not sent any intimation to the Speaker, Lok Sabha, about the release of the Member on 21 April, 1993. The Additional

Chief Judicial Magistrate, Gonda, admitted that it was a lapse on his part not to have ensured that the intimation was sent to the Lok Sabha Secretariat by his office in compliance of his order dated 1 April, 1993.

All the officers, however, apologised to the Committee for not having sent to the intimation regarding release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 21 April, 1993, to the Speaker, Lok Sabha.

62. The Committee note that it is apparent from the evidence tendered by the concerned officers before the Committee that while on the one hand the officers were not sure whether intimation regarding release of a Member of Parliament is also required to be given to the Speaker, Lok Sabha, like the intimation regarding arrest or detention of a Member is given, on the other hand, there appeared to be a fair amount of confusion in their minds as to who should give the intimation.

The police officers who appeared before the Committee maintained that the intimation should have been given by the Additional Chief Judicial Magistrate, who released the Memeber. The District Magistrate also thought that the Additional Chief Judicial Magistrate should have given the intimation. All of them presumed that the intimation might have been given by the Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, and did not care to ascertain whether such an intimation was, in fact, given or not.

The Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, while apologising for not having ensured that intimation was sent to the Lok Sabha Secretariat by his office as per his orders, pleaded before the Committee that technically speaking he had not released the Member; he had merely rejected the application moved by the police requesting for judicial remand for Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, in the case under Arms Act.

63. The Committee are of the view that the Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, should have ensured that his order directing his office to "Send intimation to Lok Sabha" was duly complied with by his office.

The Committee, however, wish to bring on record that after considering the plea made by the Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, the Committee find that the stand taken by him cannot be said to be totally devoid of merit. The Committee appreciate the fact that the order passed by the Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, was not an order on any bail application on behalf of the Member; it was an order on an application moved by the police seeking judicial remand for the Member. The Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, rejected the application moved by the police, His order dated 21 April,

1993 does not anywhere mention that the Member be released. As a matter of fact, the operative portion of the order reads as follows:—

> "The application for remand moved by the Police, Nawabganj, in Crime No. 158/93 under sections 25/27 Arms Act is rejected and warrant under section 267 Cr. P.C. is discharged. Intimation may be sent to the Lok Sabha."

64. Under these circumstances, even if—hypothetically speaking—intimation as ordered by the Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, would have been transmitted by his office, it would, in all probability, have been an intimation regarding refusal of remand to Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, and not of his release.

65. The question that arises in these circumstances is "Who is primarily responsible for giving intimation about the release of a Member?"

The Committee gave a serious thought to the matter. Rule 230 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (referred to in para 49 above) requires that intimation regarding release of a Member shall be given "to the Speaker by the authority concerned in the appropriate form set out in the Third Schedule."

The crucial words, in view of the Committee, are "the authority concerned". It is the duty of the authority who releases the Member to inform the Speaker, Lok Sabha.

66. The Committee, however, note that the matter is not so simple as it appears to be at the first blush. In the case under consideration of the Committee, for instance, though the Special Judicial Magistrate (CBI), Lucknow, granted bail to the Member and sent his release order to the District Jail, Lucknow, the Member was not released from the jail due to the circumstances narrated above. On the other hand, the Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, did not release the Member; he merely rejected his remand application, yet the Member was released as there was no other case against him.

67. The Committee, therefore, feel that intendment of the words "authority concerned" in rule 230, is — the person or authority who actually and physically releases the Member from restraint, detention, confinement or custody.

In all cases, therefore, where a Member is arrested or detained etc. by police authorities for violation of prohibitory orders or other such offences, and released by them after the occasion is over, the intimation should be sent by the concerned police authorities.

In cases where a Member is arrested or detained by police and is produced before a Magistrate and released on bail or otherwise released, the intimation should be given by the concerned police authorities/ magistrate.

/In cases, where a Member, after his arrest, is remanded to judicial custody and sent to jail, it appears to be in the fitness of things that intimation regarding his subsequent release should be sent by the concerned jail authorities when the Member is actually and physically released from the jail.

68. The question for consideration before the Committee, in the backdrop of the discussion above, is: "Who was responsible in this case for not sending intimation to the Speaker, Lok Sabha, about the release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 21 April, 1993, at Gonda?"

69. The Committee feel that the occasion for consideration of this case by the Committee would not have at all arisen had proper procedure been followed while transferring Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, from District Jail, Lucknow, to Faizabad Jail.

70. It was stated by Shri Yaduvendra Shukla, Superintendent, District Jail, Lucknow, that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was required to be transferred to Faizabad Jail, as per the orders of the Chief Judicial Magistrate, Lucknow, on the Production Warrant received from the Court of Special Judge (Gangster Act), Faizabad. According to Shri Shukla, whenever an undertrial or detenue is required to be transferred to another jail, a request is sent to the District police authorities to provide police escort to take the person to the other jail. The detenue so transferred is required to be lodged in the other jail by the police party escorting him and the Superintendent of that jail is required to send an intimation to the first jail about the lodgement of the detenue.

71. The Committee, however, find that though Shri Yaduvendra Shukla, Superintendent, District Jail, Lucknow, had made a request on 18 April, 1993, to the police authorities in Lucknow to provide police escort for transferring Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, to Faizabad jail for being produced before the Special Judge (Gangster Act), Faizabad, on 20 April, 1993, the police escort was provided as late as 20 April, 1993. Consequently, Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was transferred to Faizabad jail in the morning (at 9.15 A.M.) of 20 April, 1993, *i.e.*, the day on which he was to be produced in the Court of Special Judge (Gangster Act), Faizabad.

According to Shri J.M. Tripathi, Inspector of Police, Lucknow, who escorted the Member to Faizabad, they reached Faizabad at about 1 P.M. and he straightaway took the Member to the court instead of taking him to the Faizabad Jail. The Committee note with concern that when Shri Yaduvendra Shukla was asked whether the Member should have been taken to Faizabad Jail when he was transferred to that jail, or should he have been taken to court, he admitted that the correct procedure was that he should have been taken to the jail and lodged there. He, however, added that the "practice is that they (the persons being transferred) are taken to court." He also stated that he had not received any intimation about lodgement of the Member in Faizabad Jail.

72. Had the proper procedure been followed by the authorities concerned, the Committee are convinced, that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, would have been transferred to Faizabad Jail in time and lodged there properly. It would then have been the duty of Faizabad Jail authorities to produce him in the Court of Special Judge (Gangster Act), Faizabad, on 20 April, 1993, and in the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, on 21 April, 1993. It would also have been the duty of Faizabad Jail authorities to send intimation of release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, after the rejection by the said courts of police applications for remand of the Member.

73. The turn of the events in this case leaves the Committee in no manner of doubt that the procedure for transfer of detenues from one jail to another is being followed in the State of Uttar Pradesh more in its violation rather than in its observance.

74. The Committee would also like to comment on the role played by Shri J.M. Tripathi, Inspector of Police, Lucknow, in this whole unhappy episode. First, he violated the procedure in not taking Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, to the Faizabad Jail, admittedly on the ground that since by the time they reached Faizabad, it was already 1 P.M., he took the Member straightaway to the Court instead of taking him to jail. Secondly, after application for remand of the Member was rejected by the Special Judge (Gangster Act), Faizabad, on 20 April, 1993, he took it upon himself to take the Member to Gonda on the same day for being produced in the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, instead of taking him to Faizabad Jail and handing him over to the jail authorities. Thirdly, since the courts in Gonda were closed by the time they reached there, he (according to his version which was contradicted by the Member) took the Member to his residence and kept him there for the night.

75. The Committee feel that Shri Tripathi should have taken the Member straightaway to Faizabad Jail instead of producing him on his own in the Court of Special Judge (Gangster Act), Faizabad. The Committee also feel that Shri Tripathi was not supposed to take Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, to Gonda. Shri Tripathi admitted before the Committee that his act in keeping Shri Brij Bhushan Sharan Singh at his residence (as per his version) was not in keeping with the established procedure. The Committee, on the contrary, are of the view that if, as stated by Shri Tripathi, Shri Brij Bhushan Sharan Singh was kept at his residence it was highly irregular.

76. The Committee, after carefully going through the documents on record and the evidence tendered before them, have come to the conclusion that there have been avoidable lapses and mistakes of omission and commission in this case. The Committee are pained to note that the attitude of the concerned authorities throughout this sorry episode had

been one of characteristic bureaucratic indifference. They appeared to be totally unmindful of the fact that a Member of Parliament was involved in the case. A little more consideration, a little more tact on their part might have helped preventing the things from reaching such a stage where everybody concerned presumed that somebody else would give intimation about the release of the Member but all of them ended up ultimately, giving no intimation.

The Committee are, however, inclined to hold that the non-intimation of the release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 21 April, 1993, was more of a combined and cumulative effect of unintended mistakes of omission and commission rather than a premeditated or wilful disregard of the requirement of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

(iv) Whether the non-intimation of release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, amounts to a breach of privilege and contempt of the House?

77. The Committee note that the then Circle Officer, Gonda, and the Superintendent of Police, Gonda, admitted before the Committee their ignorance of the fact that intimation regarding release of a Member of Parliament is also required to be given to the Speaker, Lok Sabha. The Committee are of the view that no responsible Government Officer — least of all police officers — should plead ignorance of law or rules and regulations as an excuse. The Committee take a very serious note of the ignorance of the relevant provisions of rule 230 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (about intimation regarding release of Members) shown by the concerned police officers.

78. While holding, in light of the discussion above, that a breach of privilege and contempt of the House has been committed in not sending intimation to the Speaker, Lok Sabha, about the release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, on 21 April, 1993, at Gonda, the Committee keeping in view the totality of the facts and circumstances of the case and the unconditional apologies tendered by the Circle Officer, Gonda, the Superintendent of Police, Gonda, the District Magistrate, Gonda, and the Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, feel that no further action be taken in the matter and it be dropped.

79. The Committee desire that suitable instructions be issued to all concerned to ensure that established procedure regarding transfer of detenues from one jail to another — particularly when Members of Parliament are involved — is strictly followed and meticulously adhered to. The Committee also desire, even at the risk of stating the obvious, to reiterate that the need to be extra-careful and cautious by all concerned when dealing with Members of Parliament can hardly be over-emphasised.

80. The Committee observe that there was some doubt and misconception in the minds of officers who appeared before them as to whether

intimation regarding the release of Members of Parliament is also required to be given to the Speaker, Lok Sabha, like the intimation of arrest and detention etc. of the Members. The Committee desire that the provisions of rules 229 and 230 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha be brought to the notice of all the concerned authorities and suitable instructions be issued to ensure that these are complied with in letter and spirit.

(v) Whether Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was rearrested at Gonda on 21 April, 1993, and kept in lock-up at the local police station during the night? If so, whether it amounts to a breach of privilege and contempt of the House?

81. The Committee observe that diametrically opposite statements were made on this point by the Member and by the authorities concerned. While the Member maintained that he was rearrested on 20 April, 1993, and kept in police lock-up for the night, the police officers and the District Magistrate, Gonda, denied the allegation and stated that the Member was neither rearrested nor kept in police lock-up.

82. The Committee have been unable to reconcile the contradictory statements made by the Member on the one hand and the concerned officers on the other.

The Committee note that the notice of question of privilege given by Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, referred only to his alleged rearrest on 17 April, 1993 and release on 20 April, 1993. There was no mention in his notice, of his alleged rearrest on 20 April, 1993 and his confinement in police lock-up for the night. Moreover, the Member did not even refer to the issue of his being kept in police lock-up when he raised the matter on the floor of the House on 23 April, 1993. Technically speaking, therefore, this issue is beyond the terms of reference of the Committee.

The Committee, therefore, prefer not to pursue this aspect of the matter further.

83. A host of legal issues were raised by Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, during his evidence before the Committee on two occasions. As stated earlier, the Committee decided to steer clear of legal issues — which can best be interpreted and settled only by courts of law — and confine themselves only to issues relating to alleged breach of privilege and contempt of the House.

The Committee, however, wish to bring on record that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, handed over copies of two judgements of the Allahabad High Court [Dharampal *vs.* State of Uttar Pradesh, ACC, 1982(19) and Mohammad Daud alias Mohammad Saleem *vs.* Superintendent of District Jail, Moradabad and others, 1993 Cr. L.J. 1358] which

according to him had a bearing on his case. The Committee note that in the first of these judgements, the Allahabad High Court observed *inter alia* as follows:—

> "The requisitions issued by the criminal Courts in Haryana, therefore, did not authorise the Supdt., District Jail, Meerut to keep the two petitioners in his custody. They merely required the Supdt. to produce the two petitioners before the concerned Courts only if the Supdt. was entitled to keep them in his custody under some valid authority. Since various requisition orders did not authorise the Supdt., District Jail, Meerut to keep the two petitioners in custody and the moment the petitioners had been admitted to bail in all the criminal cases in connection with which their detention in District Jail, Meerut had been authorised, the authority of the Supdt., District Jail, to keep the petitioners under detention came to an end and the petitioner's detention after being released on bail, became illegal and without authority of law. The requisitions received from the Criminal Courts at Haryana under Section 3 of the Prisoners (Attendance in Courts) Act, 1955 or under Section 267 of the Code of Criminal Procedure could not confer any valid authority on the Supdt. of jail to keep the petitioners under detention and render his custody in District Jail, Meerut valid."

In the second judgement, the Allahabad High Court made the following observations on this point:—

> "Taking up first the submission of the petitioner based on S. 267 of the Cr. P.C. that a warrant issued under the said section does not constitute a detention order authorising detention in prison of a person, it would be found that it is fully borne out from the provisions of S. 267 itself. The head-note as well as the phraseology of the said section indicates that the order envisaged therein is an order to produce a person confined or detained in a prison before a criminal court for answering to a charge or for the purpose of any proceedings against him. An order under this section does not partake the character of a detention order by the court seeking production qua the charge of the proceedings pending before it. This view finds support also from the principles laid down in Dharampal *V.* State of U.P."

84. The Committee tried to ascertain whether there existed any judgement of the Supreme Court whereby these judgements might have been reversed later on, but were unable to find any. The Committee, being conscious of the fact that they are not equipped to go into these legal matters, would nevertheless like to make one guarded observation. If the judgements referred to by Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, have not been reversed and are still binding, as the orders of the superior courts are, suitable steps be taken to find out why, inspite of

such observations of the court, persons are being detained in jail merely on the basis of production warrants issued under section 267 of the Code of Criminal Procedure. Committee would also appreciate it if remedial measures are immediately taken.

V. Recommendation

85. The Committee recommend that no further action need be taken by the House in the matter and it be dropped.

NEW DELHI;
1 October, 1993
9 Asvina, 1915 (Saka)

SHIV CHARAN MATHUR,
Chairman,
Committee of Privileges.

MINUTES

MINUTES

I

Fifteenth Sitting

New Delhi, Thursday, 27 May, 1993

The Committee sat from 15.10 to 16.00 hours.

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Ram Sunder Dass
4. Shri Santosh Kumar Gangwar
5. Shri Anna Joshi
6. Dr. Debi Prosad Pal
7. Shri Bhagwan Shankar Rawat
8. Shri Allola Indrakaran Reddy

SECRETARIAT

Shri G.L. Batra — *Additional Secretary*
Shri T.S. Ahluwalia — *Joint Secretary*
Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

2. At the outset, the Chairman, Committee of privileges informed the Committee that the Speaker has referred the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Committee for examination, investigation and report.

3. The Committee took up consideration of the matter. Members expressed their views.

4. The Committee decided that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, be requested to appear before the Committee for oral evidence on Monday, 7 June, 1993.

5.** ** ** *** *** **

The Committee then adjourned

**Paras 5-7 relate to another case and have accordingly been omitted.

II

Sixteenth Sitting

New Delhi, Tuesday, 8 June, 1993

The Committee sat from 15.15 to 16.30 hours.

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Amal Datta
4. Shri Santosh Kumar Gangwar
5. Shri Anna Joshi
6. Shri Venkata Krishna Reddy Kasu
7. Shri Bhagwan Shankar Rawat

SECRETARIAT

Shri T.S. Ahluwalia — *Joint Secretary*
Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

WITNESS

Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP.

2. The Committee took up consideration of the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993, to the Speaker, Lok Sabha.

3. Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was called in and examined on oath. During his evidence, he referred to and handed over copies of certain documents connected with his case.

(Verbatim record of evidence was kept)

(The witness then withdrew)

The Committee then adjourned.

III

Seventeenth Sitting

New Delhi, Wednesday, 9 June, 1993

The Committee sat from 15.20 to 15.45 hours.

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Santosh Kumar Gangwar
4. Shri Anna Joshi
5. Shri Venkata Krishna Reddy Kasu
6. Shri Tej Narayan Singh

SECRETARIAT

Shri T.S. Ahluwalia — *Joint Secretary*
Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

2. The Committee took up consideration of the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993, to the Speaker, Lok Sabha.

3. The Committee decided that the following officials of Government of Uttar Pradesh be asked to appear before the Committee for oral evidence:

On Tuesday, 29 June, 1993

(i) Station Officer, Police Station Nawabganj, Gonda, U.P.;

(ii) Circle Officer, Gonda, U.P.;

(iii) Superintendent of Police, Gonda, U.P.;

(iv) The Inspector of Police, Lucknow, who escorted Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, from District Jail, Lucknow, to District Gonda in compliance of Warrant 'B' issued against Shri Brij Bhushan Sharan Singh.

On Wednesday, 30 June, 1993

(i) District Magistrate, Gonda, U.P.;

(ii) IInd Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, U.P.; and

(iii) Superintendent, District Jail, Lucknow, U.P.

4. The Committee also decided that the following documents be called for from the Government of Uttar pradesh:

(i) General Diary (original) and Case Diary (original) of Police Station Nawabganj, District Gonda, U.P., containing entries regarding Crime No. 158/93 under sections 25/27 Arms Act and Crime No. 161/93 under section 3(1) U.P. Gangster Act against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP;

(ii) Original Warrants 'B' issued against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, in Crime Nos. 158/93 and 161/93, Police Station Nawabganj, Gonda, U.P.; and

(iii) Original records of District Jail, Lucknow, relating to Shri Brij Bhushan Sharan Singh together with the original release order dated 17 April, 1993, of Shri Brij Bhushan Sharan Singh in CBI and entries regarding receipt in the jail of Warrant 'B' against the MP.

5. ** ** ** ** ** ** **

6. The Committee decided to meet again on Tuesday, 29 June, 1993 and Wednesday, 30 June, 1993.

The Committee then adjourned.

**Para 5 relates to another case and has accordingly been omitted.

IV

Eighteenth Sitting

New Delhi, Monday 5 July, 1993

The Committee sat from 15.10 to 18.00 hours.

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — *Chairman*

MEMBERS

1. Shri Ram Narain Berwa
2. Shri Santosh Kumar Gangwar
3. Shri Anna Joshi
4. Shri K. Ramamurthy
5. Shri Allola Indrakaran Reddy
6. Shri Tej Narayan Singh

SECRETARIAT

Shri T.S. Ahluwalia — *Joint Secretary*
Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

Witnesses

1. Shri B.R. Saroj, Station Officer,
   Police Station Nawabganj, Gonda, U.P.
2. Shri Shivnath Singh, the then Circle Officer, Gonda, UP.
3. Shri G.P. Sharma, Superintendent of Police, Gonda, UP.
4. Shri J.M. Tripathi, Inspector of Police, Lucknow, UP.

2. The Committee took up consideration of the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha.

3. Shri B.R. Saroj, Station Officer, Police Station Nawabganj, Gonda, Uttar Pradesh, was called in and examained on oath.

As the General Diary (original) and Case Diary (original) of Police Station Nawabganj, District Gonda, Uttar Pradesh, containing entries regarding Crime No. 158/93 under sections 25/27 of the Arms Act, 1959 and Crime No. 161/93 under sections 3(1) of the U.P. Gangster Act, 1986 against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, furnished by the Superintendent of Police, Gonda, UP, were not legible, the Station Officer,

Police Station Nawabganj, Gonda, was directed by the Committee to furnish typed copier there of for use of the Committee. He was also directed to furnish a copy of the Uttar Pradesh Gangster Act, 1986.

(Verbatim record of evidence was kept.)

(The witness then withdrew.)

4. Shri Shivnath Singh, the then Circle Officer, Gonda, UP, was then called in and examained on oath.

(Verbatim record of evidence was kept.)

(The witness then withdrew.)

5. Shri G.P. Sharma, Superintendent of Police, Gonda, UP, was then called in and examined on oath.

(Verbatim record of evidence was kept.)

(The witness then withdrew.)

6. Shri J.M. Tripathi, Inspector of Police, Lucknow, UP, was then called in and examined on oath.

(Verbatim record of evidence was kept.)

(The witness then withdrew.)

The Committee then adjourned.

V

Nineteenth Sitting

New Delhi, Tuesday, 6 July, 1993

The Committee sat from 11.25 to 13.30 hours.

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Santosh Kumar Gangwar
4. Shri Allola Indrakaran Reddy
5. Shri Tej Narayan Singh

SECRETARIAT

Shri T.S. Ahluwalia — *Joint Secretary*
Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

Witnesses

1. Shri B.D. Ram, District Magistrate, Gonda, UP.
2. Shri H.P. Choudhury, Second Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, UP.
3. Shri Yaduvendra Shukla, Superintendent, District Jail, Lucknow, UP.

2. The Committee took up consideration of the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha.

3. Shri B.D. Ram, District Magistrate, Gonda, UP, was called in and examined on oath.

(Verbatim record of evidence was kept.)

(The witness then withdrew.)

4. Shri H.P. Choudhury, Second Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, UP, was then called in and examined on oath.

(Verbatim record of evidence was kept.)

(The witness then withdrew.)

5. Shri Yaduvendra Shukla, Superintendent, District Jail, Lucknow, UP, was then called in and examined on oath.

Shri Shukla stated during his evidence that Warrant 'B' in Crime No. 158/93 under section 25/27 of the Arms Act, 1986 was received in District Jail, Lucknow, on 12 April, 1993. He, however, stated that as the records relating thereto were not available with him, he was not in a position to state whether Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, was produced in court in pursuance of the said Warrant 'B'. The Chairman directed Shri Shukla to furnish the information immediately for consideration of the Committee after checking up his records.

(Verbatim record of evidence was kept.)

(The witness then withdrew.)

6. The Committee decided to meet again on Tuesday, 20 July, 1993.

The Committee then adjourned.

VI

Twentieth Sitting

New Delhi, Tuesday, 20 July, 1993

The Committee sat from 15.15 to 15.45 hours.

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Ram Sunder Das
4. Shri Santosh Kumar Gangwar
5. Shri Anna Joshi
6. Shri Bhagwan Shankar Rawat
7. Shri Tej Narayan Singh

SECRETARIAT

Shri G.L. Batra — *Additional Secretary*
Shri T.S. Ahluwalia — *Joint Secretary*
Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

Witnesses

2. The Committee took up consideration of the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha.

3. The Chairman read out a letter addressed to him by Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP requesting that he may be allowed to give his evidence before the Committee once again.

4. The Committee decided that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP be allowed to depose again before the Committee.

5. The Committee also decided that a factual statement may be obtained from the Superintendent of Police, Gonda, UP, showing the latest position with regard to the investigation, etc. of the cases mentioned in the 'Gang Chart' in Crime No. 161/93 under the U.P. Gangster Act registered against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, at Police Station Nawabganj, Gonda.

6. The Committee decided to meet again on Thursday, 5 August, 1993.

The Committee then adjourned.

VII

Twenty-First Sitting

New Delhi, Thursday, 5 August, 1993

The Committee sat from 15.15 to 15.50 hours.

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Sunder Das
3. Shri Santosh Kumar Gangwar
4. Shri Anna Joshi
5. Shri Bhagwan Shankar Rawat

SECRETARIAT

Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

Witnesses

Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP

2. The Committee took up consideration of the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha.

3. The Chairman informed that, as desired by the Committee, a factual statement had been obtained from the Superintendent of Police, Gonda, U.P., showing the latest position with regard to the investigation etc. of the cases mentioned in the "Gang Chart" in Crime No. 161/93 under the Uttar Pradesh Gangsters Act, 1986 registered against Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P. and copies thereof had been circulated to the members of the Committee.

4. Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P., who was already on oath, was then called in and examined. During his evidence before the Committee, Shri Brij Bhushan Sharan Singh, referred to cases mentioned at Serial Nos. 1, 2 and 30 of the "Gang Chart" in case Crime No. 161/93 against him and stated that though the cases pertained to the years 1978, 1982 and 1980 respectively, he had not received any summons/intimation etc. with regard to the said cases from any Court so far. Shri Singh also pointed out some discrepancy between the "Gang Chart" forwarded by the Superintendent of Police, Gonda, U.P. with his letter dated 27 July, 1993 and the "Gang Chart contained in the original file pertaining to case in Crime No. 161/93.

5. Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P. also referred to and handed over copies of two judgements of the Allahabad High Court, having a bearing on his case.

(Verbatim record of evidence was kept.)

(The witness then withdrew.)

6. The Committee decided that a factual statement be obtained from the Superintendent of Police, Gonda, U.P. clarifying the points raised by Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P.

7. The Committee also decided that copies of the two judgements handed over by Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, during his evidence before the Committee be circulated to members of the Committee.

8. The Committee decided to meet again on Wednesday, 25 August, 1993.

The Committee then adjourned.

VIII

Twenty-Third Sitting

New Delhi, Monday, 6 September, 1993

The Committee sat from 15.15 to 15.45 hours.

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Santosh Kumar Gangwar
4. Shri Syed Masudal Hossain
5. Shri Anna Joshi
6. Shri Venkata Krishna Reddy Kasu
7. Shri Uttamrao Patil

SECRETARIAT

Shri J.P. Ratnesh — *Director*
Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

2. At the outset, the Chairman welcomed Shri Syed Masudal Hossain, MP, who had been nominated to the Committee on 1 September, 1993, *vice* Shri Amal Datta, MP, who resigned with effect from 12 July, 1993.

3. The Committee then took up consideration of the question of privilege regarding non-intimation of the alleged re-arrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993, to the Speaker, Lok Sabha.

4. The Chairman read out the fax message dated 21 August, 1993 received from the Superintendent of Police, Gonda, UP, through the Ministry of Home Affairs. The Chairman pointed out that while the Superintendent of Police, Gonda, UP, had intimated that the Senior Superintendent of Police, Faizabad, had been informed about the non-receipt of summons by Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP, he had not stated anything about the discrepancy in the "Gang Chart" forwarded by him with his letter dated 27 July, 1993 and the "Gang Chart" contained in the original file pertaining to case in Crime No. 161/93. Copies of the fax message were circulated to the members of the Committee.

5. Members expressed their views.

As the question of discrepancy in the "Gang Charts' was not germane to the specific issue under consideration of the Committee, it was decided by the Committee not to pursue this aspect of the matter further.

6. The Committee decided that the draft Report on the matter might be prepared and circulated to the membes of the Committee for consideration of the Committee.

The Committee then adjourned.

IX

Twenty-Fifth Sitting

New Delhi, Thursday, 30 September, 1993

The Committee sat from 15.15 to 16.00 hours.

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Ram Sunder Das
4. Shri Santosh Kumar Gangwar
5. Shri Syed Masudal Hossain
6. Shri Anna Joshi
7. Shri Bhagwan Shanker Rawat
8. Shri Tej Narayan Singh

SECRETARIAT

Shri G.L. Batra — *Additional Secretary*
Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

2. At the outset, the members of the Committee paid their homage to persons who were killed in earthquake in Marathwada region on 30 September, 1993.

Members stood in silence for a short while as a mark of respect to the departed souls.

3. The Committee then took up consideration of their draft Second Report. The Chairman recalled that the then Circle Officer, Gonda, and the Supreintendent of Police, Gonda, during their evidence before the Committee admitted their ignorance of the fact that intimation regarding release of a member of Parliament is also required to be given to the Speaker, Lok Sabha, and suggested that a para may be inserted in the Report suitably bringing out this fact on record.

4. The Chairman also suggested a correction in para 81 of the draft Second Report that the words "permit themselves" be substituted by the word "make".

The Committee then adjourned.

X

Twenty-Sixth Sitting

New Delhi, Friday, 1 October, 1993

The Committee sat from 11.20 to 11.45 hours.

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Ram Sunder Das
4. Shri Santosh Kumar Gangwar
5. Shri Syed Masudal Hossain
6. Shri Anna Joshi
7. Shri Tej Narayan Singh

SECRETARIAT

Shri J.P. Ratnesh — *Director*
Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

2. The Committee took up further consideration of their draft Second Report.

3. The Committee considered the following draft para, inserted after para 74 of the draft Second Report:—

74A. The Committee note that the then Circle Officer, Gonda, and the Superintendent of Police, Gonda, admitted before the Committee their ignorance of the fact that intimation regarding release of a member of Parliament is also required to be given to the Speaker, Lok Sabha. The Committee are of the view that no responsible Government Officer—least of all police officers—should plead ignorance of law or rules and regulations as an excuse. The committee take a very serious note of the ignorance of the relevant provisions of rule 230 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (about intimation regarding release of members) shown by the concerned police officers.

The Committee agreed to the insertion of para 74A.

4. The Committee also considered the correction in para 81 of the draft Second Report and decided that the words "permit themselves" be substituted by the word "make".

5. The Committee then considered the draft Second Report as amended and adopted it.

6. The Committee decided that the evidence recorded by the Committee be appended to the Report of the Committee.

7. The Committee authorised the Chairman to submit their Second Report to the Speaker and recommend that it be laid on the Table of the House.

The Committee then adjourned.

MINUTES OF EVIDENCE

LIST OF WITNESSES

PAGE

Tuesday, 8 June, 1993

Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP 44

Monday, 5 July, 1993

(1) Shri B.R. Saroj, Station Officer, Police Station Nawabganj, Gonda, UP 51

(2) Shri Shivnath Singh, the then Circle Officer, Gonda, UP 62

(3) Shri G.P. Sharma, Superintendent of Police, Gonda, UP 70

(4) Shri J.M. Tripathi, Inspector of Police, Lucknow, UP 76

Tuesday, 6 July, 1993

(1) Shri B.D.Ram, District Magistrate, Gonda, UP 81

(2) Shri H.P. Choudhury, Second Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, UP 90

(3) Shri Yaduvendra Shukla, Superintendent, District Jail, Lucknow, UP 93

Thursday, 5 August, 1993

Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP 102

MINUTES OF EVIDENCE TAKEN BEFORE THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Tuesday, 8 June, 1993

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Amal Datta
4. Shri Santosh Kumar Gangwar
5. Shri Anna Joshi
6. Shri Venkata Krishna Reddy Kasu
7. Shri Bhagwan Shankar Rawat

SECRETARIAT

Shri T.S. Ahluwalia — *Joint Secretary*
Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

WINTESS

Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P.

(*The Committee met at 15.15 hours*)

Evidence of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP

MR. CHAIRMAN: Shri Brij Bhushan Sharan Singh, you have been asked to appear before this Committee to give your evidence in connection with the question of privilege regarding non-intimation of your alleged rearrest and release by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha.

I may inform you that under rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to the Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House.

Now you may please take oath or make affirmation as you like.

श्री बृजभूषण शरण सिंह: मैं बृजभूषण शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सच्चा होगा, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा और मेरे साक्ष्य का कोई अंश झूठा नहीं होगा।

सभापति महोदयः लखनऊ में जो आपकी पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को प्राप्त हुई थी। आपने अपने बयान में कहा है कि जो आपकी दूसरी गिरफ्तारी हुई, उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दी गई। इस संबंध में आप समिति के समक्ष तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से क्या घटना हुई और कैसे आपको गिरफ्तार किया गया। इसकी सूचना अध्यक्ष लोकसभा को कब भेजी गई। आपकी दूसरी गिरफ्तारी कब की गई और इसकी सूचना अध्यक्ष लोकसभा को क्यों नहीं भेजी गई? यह सारी जानकारी समिति को देने का कष्ट करें।

श्री बृजभूषण शरण सिंहः मुझे दिनांक 8.4.1993 को प्रातः 8 बजे मेरे निवास स्थान नवाबगंज, जिला गोंडा से सी.बी.आई. गिरफ्तार किया गया और वी.आई.पी. गैस्ट हाउस में लाकर रखा गया। मुझे उसी दिन मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके 9 तारीख को 1 बजकर 20 मिनट पर पेश किया गया।

सभापति महोदयः लखनऊ आने में कितना समय लगता है?

श्री बृजभूषण शरण सिंहः ढाई घंटे लगते हैं। हम लोग लखनऊ दिन के 11 बजे के करीब पहुंच गए थे। लेकिन मुझे लगभग साढ़े 5 घंटे विलंब से मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

सभापति महोदयः आपको कितने बजे मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया?

श्री बृजभूषण शरण सिंहः मुझे 1 बजकर 20 मिनट पर मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस तरह से लगभग साढ़े 5 घंटे अवैध तरीके से सीबीआई ने मुझे अपनी कस्टडी में रखा।

श्री संतोष कुमार गंगवारः गैस्ट हाउस से मेजिस्ट्रेट का कार्यालय कितनी दूरी पर है?

श्री बृजभूषण शरण सिंहः सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर है।

श्री बृजभूषण शरण सिंहः आठ तारीख को जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो उस समय तलाशी के दौरान मेरे पास लाइसेंस वाला राईफल था जबकि वहां से मेरा गांव 4-5 किलोमीटर दूर है और मेरा आवास गोण्डा और दिल्ली में है। लेकिन सी०बी०आई० वाले किसी को आने-जाने नहीं दे रहे थे। यहां तक कि टेलीफोन भी उन्होंने कब्जे में कर रखा था, उस समय मैं राईफल का लाईसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाया।

सभापति महोदयः लाइसेंस आपने कहां रखा हुआ था?

श्री बृजभूषण शरण सिंहः वह मैंने बिसनोहरपुर गांव में रखा हुआ था जो कि मेरी जन्म-जन्म-भूमि है। उस समय मेरे पास लाईसेंस नहीं था लेकिन मैंने स्थानीय पुलिस को पत्र लिखा कि इस समय लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं और यहां पर किसी को आने-जाने नहीं दिया जा रहा है। आप मेरे पत्र से संतुष्ट हैं तो ठीक है नहीं मेरे परिवार वाले बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं।

सभापति महोदयः उस समय कोई आंदोलन चल रहा था।

श्री बृजभूषण शरण सिंहः मुझे राम-जन्म भूमि के सिलसिले में गिरफ्तार किया जबकि सी०बी०आई० का कोई मतलब नहीं था। उनको राईफल मिला तो मैंने कहा कि मेरे परिवार के सदस्य बाद में लाईसेंस दिखा देंगे। स्थानीय पुलिस को एक पत्र दिया कि यह राईफल लाईसेंसी है। परिवार के

लोग जब लाईसेंस लेकर पुलिस स्टेशन राईफल लेने पहुंचे तब स्थानीय पुलिस ने कहा कि हम कुछ अधिकारियों से परामर्श करने के बाद आपको राईफल दे देंगे। दस तारीख को हमारे परिवार के लोग गये तो उन्होंने कहा कि आप इसकी दूसरी कापी ले आईए और राईफल ले जाईए। लेकिन 12 तारीख को उन्होंने 25 / 27 में मुकदमा दायर कर दिया जिसके आधार पर बी-वारन्ट बनाकर मुझे लखनऊ जेल में रखा गया। हमारे वकील ने 17 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने ज्ञापन दिया कि श्री बृज भूषण शरण सिंह के पास राईफल का लाईसेंस है इसलिए उन्हें मुक्त कर दिया जाए। अपर मजिस्ट्रेट गोण्डा ने कहा कि अभियुक्त मेरी न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है और अभी वह अदालत के सामने पेश नहीं है इसलिए इस पर विचार करने का कोई कारण नहीं बनता है इसलिए आवेदन पत्र रद्द किया जाता है। मुझे 15 तारीख को पेश होना था लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया। 16 तारीख को जमानत मंजूर हो गई और 17 तारीख को मुझे छोड़ दिया गया। 17 तारीख को मेरी रिहाई के आदेश लखनऊ पहुंचे लेकिन 16 तारीख को यू०पी० गैंगस्टर एक्ट तहत दूसरा मुकदमा दायर कर दिया गया और 17 तारीख को विशेष न्यायाधीश फैजाबाद द्वारा बी-वारन्ट दिया गया। 17 तारीख को मैं छूट चुका था लेकिन बी-वारन्ट के तहत किसी भी आदमी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। मुझे मजिस्ट्रेट के सामने 20 तारीख को पेश किया जबकि 15 तारीख को पेश होना था। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस वजह से यू०पी०गैंग्सटर एक्ट के तहत माननीय न्यायाधीश के सामने पेश किया गया तब मैंने कहा कि किस आदेश के तहत मैं जेल में था। मैंने स्वयं वहां पर यह कहा कि 25 / 27 के आधार पर मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया है, लेकिन मेरे पास अपनी राइफल का लाईसेंस है इसलिए मेरे ऊपर यह झूठा मुकदमा बनाया गया है। मेरे साक्ष्यों से संतुष्ट होकर फैजाबाद के विशेष न्यायाधीश ने मुझे 20 तारीख को छोड़ दिया। जब मैं अदालत से बाहर निकला तो जो पुलिस की टीम मुझे लखनऊ से लेकर आई थी उसने कहा कि एक वारंट की सूचना गोंडा से भी आपके खिलाफ है। हमारी नौकरी का सवाल है आप वहां भी चलें और मेजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जायें तो अच्छा रहेगा। मैं उनका व्यक्तिगत अनुरोध मानकर वहां के अपर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर पेश हुआ। उन्होंने कहा कि आप मेरी कस्टडी में नहीं हैं इसलिए मैं आपके केस पर विचार नहीं कर सकता। इस पर लखनऊ की टीम ने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गोंडा से नवाबगंज आया तो उस पुलिस की टीम के इंचार्ज को गोंडा के एस०पी० ने कहा कि इनके विरुद्ध एफ०आई०आर० लिखो कि मुजरिम फरार हो गया है। उन्होने कहा कि हम ऐसा नहीं लिखेंगे और मना कर दिया।

सभापति महोदय: आप इंचार्ज का नाम बतायें, हम उनको बुला सकते हैं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: मैं आपको बाद में दे दूंगा। गोंडा के एस०ओ० और हमारे क्षेत्राधिकारी रात को 9 बजे पुनः मेरे घर आये और कहा कि आप फरार हो गये हैं हम आपको गिरफ्तार करते हैं। मैं मजिस्ट्रेट के सामने गया तो उन्होंने नहीं लिया। फिर वे मुझे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गये, यह 20 तारीख की रात को 9 बजे की बात है। थाने में मुझे लाकअप में रखा गया।

श्री भगवान शंकर रावत: सुपीरियर क्लास की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: वह छोटा सा कस्बा है वे मुझे चाहते तो शूगर मिल के गैस्ट हाउस में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गोंडा में सुबह मुख्य न्यायाधीश के सामने पुनः पेश किया और रिमांड के साथ पेश किया। लेकिन वहां भी मुझे कोई कारण न होने पर बिना जमानत के छोड़ दिया। मैंने अपनी बात रखते हुए कहा भी कि अगर मेरे ऊपर 25 / 27 का केस बनता है तो मुझे जेल भेजिए, लेकिन वे मेरे तर्कों से सहमत हो गये और बिना जमानत के मुझे छोड़ दिया। मुझे दूसरे दिन 11 बजे पेश कराया गया।

श्री भगवान शंकर रावतः मजिस्ट्रेट के आदेश की कापी है?

श्री बृजभूषण शरण सिंहः फैजाबाद के मजिस्ट्रेट के आदेश की कापी है, 17 तारीख के आदेश की और 19 तारीख के आदेश की भी कापी है।

सभापति महोदयः आपने दो बातें खासकर कहीं हैं, पहली यह कि गिरफ्तारी के समय में 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश नहीं किया गया। इसमें अधिकारियों का कहना है कि तीन-चार घंटे का समय आने-जाने में लग गया इस तरह 23-24 घंटे हो जाते हैं। इसलिए यह आपत्ति सही नहीं है।

श्री बृजभूषण शरण सिंहः 8 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया गया और लखनऊ लाया गया, 9 तारीख को 1.20 पर पेश किया गया। रास्ते का सफर 8 तारीख को ही समाप्त हो जाता है। ये कहते हैं कि 9 तारीख को आने-जाने में समय लग गया तो 8 तारीख को मुझे कहां रखा गया।

सभापति महोदयः आपने कोई अपील दायर कर रखी है?

श्री बृजभूषण शरण सिंहः जी हां।

सभापति महोदयः तो इसका फैसला अदालत करेगी।

सभापति महोदयः हमारे नियमों के मुताबिक मुकदमे में क्या होता है, कैसे आपको गिरफ्तार किया गया इसका जवाब सरकार देगी। यह शायद इस कमेटी के ज्यूरिस्डिकक्शन में नहीं है। हम यह जानना चाहते थे कि आपने 8 और 9 तारीख की सूचना यहां भेजी और बुलेटिन में भी कुछ आया हुआ है। 17 और 20 तारीख की जो गिरफ्तारी है आपके मुताबिक वह इत्तिला स्पीकर साहब को नहीं भेजी गई, लोकसभा सचिवालय को नहीं भेजी गई।

श्री बृजभूषण शरण सिंहः 17 तारीख को जो गिरफ्तारी की गई, उसकी सूचना तो भेजी गई और 20 तारीख को जो गिरफ्तारी की गई उसकी सूचना नहीं भेजी गई। 20 से 21 तारीख तक बिना लिखा-पढ़ी के रखा गया। सी०बी०आई० के प्रश्न की बात आप कर रहे हैं पर जैसे चार-पांच घंटे उनको ले जाने में लग गए।

सभापति महोदयः यह हम उनसे पूछेंगे।

श्री बृजभूषण शरण सिंहः जैसा वे कहते हैं कि हमने इनको वी०आई०पी०गैस्ट हाउस में रखा। गैस्ट हाउस से अदालत का रास्ता एक किलोमीटर है। अगर बैलगाड़ी से भी ले जाएं तो भी एक घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर पैदल भी ले जाएं तब भी एक घंटे में पहुंच सकते हैं। इस तरह से चार-पांच घंटे जान-बूझकर लेट किया और हमें गलत तरीके से रखा।

श्री राम नारायण बैरवाः पहले आपको कौन से केस में गिरफ्तार किया गया? उसमें आपकी रिमांड लेने की कोशिश की?

श्री बृजभूषण शरण सिंहः अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराए जाने के संबंध में सी०बी०आई० ने गिरफ्तार किया। इसकी कॉपी मेरे पास है। रिमांड अस्वीकृत हो गई।

श्री राम नारायण बैरवाः आपको 8 तारीख को पकड़ा था तो रिमांड नहीं मिली, तो ज्यूडीशियल कस्टडी में कौन सी तारीख को भेजा?

श्री बृजभूषण शरण सिंहः 9 तारीख को 13.20 बजे मुझे ज्यूडीशियल कस्टडी में भेजा गया और उन्होंने मुझे लखनऊ जेल में भेजा।

श्री राम नारायण बैरवा: दूसरा मुकदमा 25 / 27 अर्मस केस था? उसमें ज्यूडीशियल या पुलिस कस्टडी के लिए कोई रिमांड हुई? वह किस पुलिस स्टेशन में हुआ?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: यह 12 तारीख को हुई। वह थाना नवाबगंज के अंतर्गत हुआ है।

श्री राम नारायण बैरवा: उनका नाम क्या है?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: उनका नाम उस कागज में है जो सभापति महोदय को दे दिया है।

श्री राम नारायण बैरवा: उन्होंने पुलिस या judicial custody का रिमांड मांगा?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: उन्होंने केवल एफ॰आई॰आर॰ का हवाला देकर 25/27 का जो मुकदमा 12 तारीख को कायम किया उसका 'बी' वारंट अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा के यहां से बनवा लिया।

श्री राम नारायण बैरवा: उसमें आपकी गिरफ्तारी तो नहीं दिखाई?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: उसमें उन्होंने दिखाया कि ये सी॰बी॰आई॰ द्वारा गिरफ्तार है और जामा तलाशी पर इनके पास राइफल बरामद हुई थी और उन्होंने एक पत्र भी दिया था लेकिन अब तक उसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके इसलिए मुकद्दमा कायम किया जाता है।

श्री राम नारायण बैरवा: क्या उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लिकेशन देकर यह कहा कि हमें यह मुलज़िम चाहिए? और क्या उन्होंने वह आर्डर दिए?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: जी हां। उन्होंने आर्डर दिए ठीक 15 तारीख को मुलजिम को पेश किया जाए। 15 तारीख को मुझे पेश नहीं किया गया।

श्री राम नारायण बैरवा: तीसरा मुकद्दमा कौन-सा है?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: वह गैंगस्टर एक्ट का है। एस॰ओ॰ नवाबगंज ने उस 25/27 के आधार पर, उसी राइफल के आधार पर एक नया मुकद्दमा कायम कर लिया।

श्री राम नारायण बैरवा: उसकी एफ॰आई॰आर॰ की कापी आपको दी होगी? उस मुकद्दमे का आपको कब पता चला? बाद में पुलिस या ज्यूडीशियल कस्टडी की रिमांड मांगने को कहा?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: हमें जब 20 तारीख को ले जाया गया तब पता चला। जी हां, 20 तारीख तक के लिए रिमांड में रखने को विशेष न्यायाधीश फैजाबाद के सामने कहा।

श्री राम नारायण बैरवा: 16 तारीख को मुकद्दमा दर्ज करने के बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट की होगी कि इनको पुलिस कस्टडी के लिए भेजा जाए?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: ज्यूडीशियल कस्टडी के लिए कहा था कि 26 तारीख को पेश करने के लिए आदेश कर दें।

सभापति महोदय: उस समय मजिस्ट्रेट कौन थे?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: श्री बी॰ एन॰ शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, फैज़ाबाद। उन्होंने आदेश दिया कि 20 तारीख को पेश किया जाए।

श्री राम नारायण बैरवा: वह सूचना आपके पास नहीं आई?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: वह 20 तारीख को जेल में आई।

श्री राम नारायण बैरवा: मगर आपकी तो 17 को ज़मानत हो गयी थी। तो वह प्रोडक्शन वारंट किसके पास आया था?

श्री राम नारायण बैरवा: तीन दिन तक आपको बिना किसी गिरफ्तारी के रखा गया। वह कहीं रिकार्ड में नहीं है?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: जी नहीं।

श्री राम नारायण बैरवा: मजिस्ट्रेट साहब ने आॅर्डर दिया था कि जेल में रखा जाए और 20 तारीख को पेश किया जाए?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: तीन दिन तक बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के जेल में रखा और यहा सूचना नहीं दी गई।

श्री संतोष कुमार गंगवार: 20 तारीख को आपको फैजाबाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पर्याप्त कारण नहीं मांगा और छोड़ दिया। उसी शाम को आपको ए सी जी एम गोण्डा के सामने पेश किया गया। 20 से 21 तारीख तक आपको गोण्डा पुलिस की कस्टडी में रखा गया।

सभापति महोदय: इसमें क्षेत्राधिकारी का क्या रोल है?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: जो पुलिस पार्टी लेकर आई थी उसके इंचार्ज, श्री जे० एम० त्रिपाठी, पुलिस सब-इंसपैक्टर, लखनऊ थे।

सभापति महोदय: पहली गिरफ्तारी 8 तारीख को किसने की थी?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: सी०बी०आई० ने की थी।

सभापति महोदय: क्या उनका नाम जानते हैं? जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या उन सबके नाम इसमें दिए हुए हैं?

श्री बृज भूषण शरण सिंह: जी हां।

श्री भगवान शंकर रावत: एस० पी० ने क्या किया?

श्री बृज भूषण शरण सिंह: एक आवेदन रिलीज़ करने के संबंध में 14 तारीख को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जा चुका था कि यह लाईसेंसिंग राईफल है। उसके बाद डी० एम० ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

सभापति महोदय: डी० एम० कौन हैं? क्या वे अभी हैं?

श्री बृज भूषण शरण सिंह: डी० एम० गोण्डा श्री बी० ड़ी० राम हैं। एस०पी० ने इंसपैक्टर को धमकाया कि आप एफ०आई०आर० दर्ज कीजिए कि वे फरार हो गए हैं तो उसने कहा कि वे फरार नहीं हुए हैं बल्कि उनको रिहा किया गया है।

सभापति महोदय: एस० पी० कौन थे? क्या वे अभी वहीं हैं?

श्री बृज भूषण शरण सिंह: नाम याद नहीं आ रहा है। वे अभी भी हैं।

सभापति महोदय: पहली गिरफ्तारी कब हुई?

श्री बृज भूषण शरण सिंह: मुझे सी०बी०आई० ने विवादित ढांचे राम जन्म भूमि के संबंध में

गिरफ्तार किया। उस समय कोई और मुकद्दमा मेरे ऊपर कायम नहीं किया गया। यह तो स्थानीय पुलिस ने षड़यंत्र किया।

सभापति महोदय: क्या पहली गिरफ्तारी की एफ॰आई॰आर॰ है?

श्री बृज भूषण शरण सिंह: जी हां। उसमें बहुत लोगों के नाम हैं।

सभापति महोदय: क्या 6 दिसम्बर के बाद उस मुकद्दमें में 8 अप्रैल को पहली बार गिरफ्तार किया?

श्री बृज भूषण शरण सिंह: हमको 8 अपरैल को गिरफ्तार किया और घटना 4 अप्रैल की है। सी॰बी॰आई॰ के मुकद्दमें में केवल एक आपत्तिजनक बात थी कि पांच घंटे विलम्ब किया। उसके अलावा कोई आपत्तिजनक व्यवहार नहीं रहा।

श्री संतोष कुमार गंगवार: क्या आपके साथ किसी अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया?

श्री बृज भूषण शरण सिंह: सी॰ओ॰ ने किया। जो पुलिस पार्टी हमको ले गई थी, उसके इंसपैक्टर ने हमसे निवेदन किया कि हम छोटे आदमी हैं, फंस जायेंगे, आप हमारे साथ चलिए। जब हम वहां गये तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप हमारी कस्टडी में नहीं है तो जहां चाहे जा सकते हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार: क्या आपके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया या कुछ शब्द कहें?

श्री बृज भूषण शरण सिंह: उन्होंने कहा कि ऐसे सांसद बहुत देखें हैं।

श्री भगवान शंकर रावत: अश्लील या भद्दी भाषा का प्रयोग तो नहीं किया?

श्री बृज भूषण शरण सिंह: उन्होंने कहा कि बहुत सांसद देखे हैं, चलिए चुपचाप।

सभापति महोदय: ठीक है।

(The witness then withdrew)

The meeting then adjourned.

Monday, 5 July, 1993

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — Chairman

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Santosh Kumar Gangwar
4. Shri Anna Joshi
5. Shri K. Ramamurthy
6. Shri Allola Indrakaran Reddy
7. Shri Tej Narayan Singh

Secretariat

Ke

Shri T. S. Ahluwalia — *Joint Secretary*
Shri V. K. Sharma — *Assistant Director*

Witnesses

1. Shri B. R. Saroj, Station Officer, Police Station Nawabganj, Gonda, UP.
2. Shri Shivnath Singh, the then Circle Officer, Gonda, UP.
3. Shri G. P. Sharma, Superientendent of Police, Gonda, UP.
4. Shri J. M. Tripathi, Inspector of Police, Luknow, UP.

(*The Committee Met at 15.10 Hours*)

(1) *Evidence of Shri B. R. Saroj, Station Officer, Police Station Nawabganj, Gonda, U.P.*

Mr. Chairman: Mr. Saroj, you have been asked to appear before this Committee to give your evidence in connection with the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P., by police at Luknow on 17 and 20 April, 1993, to the Speaker, Lok Sabha.

I may inform you that under rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to the Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House.

Now you may please take oath or make affirmation as you like.

सभापति महोदय : आप नवाबगंज पुलिस स्टेशन पर कितने समय से है और इससे पहले कहां थे?

उनके खिलाफ क्या कोई मुकद्दमा आर्मस एक्ट की धारा 25/27 के अंतर्गत दर्ज हुआ। उसकी जानकारी आपको है?

श्री बी० आर० सरोज : जी हां।

सभापति महोदय : उस केस के क्या फैक्टस हैं, जरा बताईये?

श्री बी० आर० सरोज : 8 तारीख को एम पी साहब के मकान पर सी०बी०आई० की रेड़ पड़ी थी उस रेड़ में उनके घर से बिना लाइसेंस की एक राईफल बरामद हुई थी। इसी के तहत 12 तारीख को सांसद महोदय के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने लिखकर दिया था कि हमारे पास उस राईफल का लाइसेंस मौजूद है, हम प्रोड्यूस करेंगे। जब हमने 3-4 दिन तक देखा कि उन्होंने लाईसेंस पेश नहीं किया तो इसी आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी।

सभापति महोदय : रेड़ कब हुई थी और कहां हुई थी?

श्री बी० आर० सरोज : 8.4.1993 को सांसद महोदय के घर पर रेड़ हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास इस राईफल का लाईसेंस है, तो उन्होंने कहा कि हां, हमारे घर पर है, यहां नहीं है। रेड़ उनके रेजिडैंस पर ही हुई थी, नवाबगंज में। और उस समय उन्होंने लिखकर दिया था कि हम लाइसेंस को प्रोड्यूस कर देंगे। जब सांसद महोदय लाइसेंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो तीन दिन बाद उनके विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज किया गया। उनको सी०बी०आई० द्वारा अरैस्ट किया गया हम लोगों ने अरैस्ट नहीं किया था। अयोध्या में जो विवादास्पद ढांचा गिराया गया था, उसी के सिलसिले में उनके विरुद्ध पहले से जांच का काम चल रहा था। सी०बी०आई० वाले ही उनके मकान पर रेड़ करने गए हुए थे। उन्हीं लोगों ने अरैस्ट किया है।

सभापति महोदय : अयोध्या में विवादास्पद ढांचे को गिराने के सम्बन्ध में क्या सी०बी०आई० ने उनको अरैस्ट किया था?

श्री बी० आर० सरोज : आर्मस एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस पंजीकृत किया गया था, क्योंकि वे लाईसेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके थे। सी०बी०आई० द्वारा उनके घर पर 8 तारीख को रेड़ की गयी थी, 12 तारीख को उनके खिलाफ मुकद्दमा दायर किया गया था। उसके तहत ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था सी०बी०आई० वाले केस में।

सभापति महोदय : अयोध्या में ढांचा गिराने का काम 6 दिसम्बर को हुआ था, जबकि उन्हें 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, इसका क्या कारण है?

श्री बी० आर० सरोज: इस बीच इन्वैस्टीगेशन का काम चलता रहा था। पहले केस रजिस्टर हुआ, उसके बाद मामले की इन्वैस्टीगेशन चलती रही। जब सब कुछ पुर्व हो गया तो उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट के यहां से वारंट निकले। उन वारंट के तहत उनको जाकर गिरफ्तार किया गया।

सभापति महोदय : जब 8 तारीख को उनके खिलाफ आर्मस एक्ट के अंतर्गत मुकद्दमा बनाया गया तो क्या वह आपने बनाया था?

श्री बी० आर० सरोज : उस दिन तो मैं छुट्टी पर था। आठ को तो था।

सभापति महोदय : जब आठ तारीख को एम पी साहब के घर पर तलाशी हुई तो उस रेड़ में उनके

यहां एक बिना लाईसेंस की राईफल मिली। एम पी साहब ने कहा की हमारे पास इसका लाइसेंस है, हम बाद में पेश करेंगे। जब उन्होंने पेश नहीं किया तो उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया। वह मुकदमा किसने 12 तारीख को प्रस्तुत किया?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : वह थाने के एस॰ आई॰ श्री के॰ डी॰ शुक्ला, श्री कमल देव शुक्ला साहब द्वारा कायम हुआ था।

सभापति महोदय : क्या वे तलाशी या रेड़ के समय वहीं थे या रेड़ का काम सी॰बी॰आई॰ कर रही थी और उसने बाद में उन्हें रैफर किया।

श्री बी॰ आर॰ सरोज : जब सी॰बी॰आई॰ को तलाशी के दौरान बिना लाईसेंस की राईफल मिली तो उन्होंने कहा था कि आप आर्मस एक्ट के अंतर्गत मुकद्दमा चलाईए। मैं खड़े होकर बताना चाहता हूं कि 8 तारीख को जब एम पी साहब के घर पर रेड़ हुई तो उस समय हमारे सी॰ओ॰ श्री एस एन सिंह साहब मौके पर मौजूद थे। सबके समाने एम पी साहब ने लिखकर दिया कि इस राईफल का लाइसेंस हमारे पास है, हम प्रोड्यूस कर देंगे।

सभापति महोदय : हम जो आपसे पूछ रहे हैं, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या सी॰बी॰आई ने उनको किसी डिफरैंट जुर्म में गिरफ्तार करने की कोशिश की। जब उन्होंने एम पी साहब के मकान पर रेड़ किया तो उनको वहां एक बिना लाईसेंस की राईफल मिली। क्या सी॰बी॰आई॰ ने जो वहां की रैगुलर लोकल पुलिस है, उसको यह मामला रैफर किया कि आप इन पर मुकद्दमा चलाईये या पुलिस ने अपनी तरफ से आर्मस एक्ट के तहत मुकद्दमा चलाया। क्या आप उस समय वहां की लोकल पुलिस के साथ थे?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : जी हां, मैं लोकल पुलिस के साथ था।

सभापति महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने आर्मस एक्ट के तहत काग्नीजैंस ली?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : पहले वाला जो उनके खिलाफ मामला रजिस्टर था, उसमें सी॰बी॰आई॰ वाले काग्नीजैंस लिए थे यहां हमारे हाथ में बात नहीं आई।

सभापति महोदय : सी॰बी॰आई॰ की रेड़ तो किसी दूसरे परपज के लिए हुई थी। उस रेड़ के वक्त लोकल पुलिस भी मौजूद थी। उस रेड़ में आपने एम पी साहब के रेजिडैंस से एक बिना लाईसेंस की राईफल पाई, जिसका लाईसेंस नहीं था। उसके बारे में उन्होंने कहा कि लाइसेंस हम बाद में प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन वे 8 से 12 तारीख तक गिरफ्तार रहे, हम जानना चाहते हैं कि वे किस केस के तहत गिरफ्तार रहे, वह कौन सा केस था, उसकी कुछ जानकारी क्या आपके पास है?

श्री बी॰ आर॰ सरोज॰ : राम जन्मभूमि का जो ढांचा गिरा था, उसी केस में उनको अरेस्ट किया गया था.

सभापति महोदय : उनके खिलाफ जो दो केस थे, एक गेंगस्टर एक्ट में और दूसरा आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत, तो इसमें ढांचा गिराने का सवाल कहां आता है?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : सर, 8 और 12 तारीख के बीच मे ढांचा गिराने वालों में अरेस्ट थे।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अभी आपने बताया था कि आप 8 तारीख को छुट्टी पर थे और आपको मालूम नहीं था कि तलाशी सी॰बी॰आई॰ के लोगों ने ली या पुलिस वालों ने ली?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : 8 तारीख को मैं छुट्टी पर नहीं था।

श्री संतोष कुमार गंगवार : जब 8 तारीख को तलाशी हुई आप मौजूद थे?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : मै मौके पर मौजूद था।

श्री संतोष कुमार गंगवार : राईफल कहां से बरामद हुई?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : राईफल श्री बृजभूषण शरण सिंह के मकान से बरामद हुई।

श्री संतोष कुमार गंगवार : यह उन्हीं का मकान है।

श्री बी॰ आर॰ सरोज : जी हां यह उन का मकान है जहां ये लेटते बैठते हैं वहीं से यह बरामद हुई है।

सभापति महोदय : जो एम॰ पी॰ साहब ने कहा कि मेरे पास इसका लाइसेंस है और मैं इसको बाद में प्रोड्यूस करूंगा, तो इस बारे में आपके पास कुछ लिखित में है?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : हां साहब।

सभापति महोदय : इन्हें दे दिजीए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि एम॰ पी॰ साहब थाने गए हो लाइसेंस लेकर?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : 9,10 और 11 तारीख में कोई नहीं गए थे।

श्री संतोष कुमार गंगवार : 9,10 या 11 तारीख में ये थाने में किसी के पास नहीं गए।

श्री बी॰ आर॰ सरोज : जहां तक मेरी जानकारी में है नहीं गए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : जहां तक हमारे जानकारी है वे थाने में गए थे और उनसे कहा गया कि हम मजबूर है, ऊपर के दबाव के कारण हम राईफल नहीं दे सकते।

श्री बी॰ आर॰ सरोज : सर, यह हम नहीं कह सकते है, जहां तक हमारी जानकारी है, हमारे सामने ये राईफल का लाइसेंस लेकर थाने में नहीं गए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : 12 तारीख को जो मुकद्दमा कायम हुआ वह किस के निर्देश पर हुआ?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : उस समय थाना इचार्ज श्री शुक्ल थे, उनके निर्देश पर।

श्री संतोष कुमार गंगवार : यह उनकी तरफ से किया गया या किसी ऊपर के अधिकारी के निर्देश पर हुआ?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : इसकी जानकारी हमें नहीं है?

श्री संतोष कुमार गंगवार : जब किसी पर मुकद्दमा करना होता है, तो जो थाने का प्रभारी होता है क्या उससे परामर्श नहीं किया जाता है और जब यह मामला 8 तारीख को हुआ और जब वे 9,10 और 11 तारीख में लाइसेंस नहीं आए तो किसने फैसला किया कि इनके खिलाफ मुकद्दमा किया जाए?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : जो शुक्ल जी थे उन्होंने मुकद्दमा कायम किया।

श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या यह जो मुकद्दमा होता है वह ऊपर के अधिकारी के निर्देश पर होता है या जो प्रभारी अधिकारी होता है वह अपने विवेक से करता है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : यह मुकद्दमा कब कायम किया?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : यह 12-4-1993 को 0030 पर कायम हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : नाइट अफसर शुक्ल जी थे उन्होंने कायम किया?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : जी हां साहब।

श्री संतोष कुमार गंगवार : किसी और की सलाह से मुकद्दमा कायम नहीं किया?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : इसकी जानकारी हमें नहीं है सर।

सभापति महोदय : यह लाइसेंस किसी और के नाम का था और यह जो इन्होंने लिखकर दिया है क्या इससे आपका संतोष हो गया था तथा यह राईफल उनके पजेशन में से मिली थी और उनके पास लाइसेंस नहीं था क्या इसीलिए उनके ऊपर मुकद्दमा बनाया गया था?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : यस सर।

श्री राम कुमार बैरवा : क्या आपने उसी वक्त अपने पजेशन में राईफल ली थी?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : सर उसी दिन राईफल थाने में दाखिल हो गई थी।

श्री राम कुमार बैरवा : जब राईफल थाने में जमा हुई थी, तो क्या उन्होंने लिखकर दिया था कि मैं लाइसेंस बाद में दे दूंगा?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : यस सर।

श्री राम कुमार बैरवा : उसके बाद 12 तारीख को मुकद्दमा कायम किया गया था?

श्री बी आर॰ सरोज : जी हां।

श्री राम कुमार बैरवा : इतने दिन तक क्यों इंतजार किया?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : इसलिए कि सांसद महोदय ने लाईसेंस दिखाने के लिए 2-3 दिन का समय मांगा है इसलिए इंतजार किया।

श्री तेज नारायण : जिस समय सांसद महोदय को गिरफ्तार किया गया उस समय आप थे?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : हम उस समय नहीं थे।

श्री तेज नारायण सिंह : आपके सामने इनके पास कोई भी चीज बरामद नहीं हुई?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : हां सर।

श्री तेजनारायण सिंह : उनके ऊपर जो मुकद्दमा दर्ज है वही पढ़कर आप बयान कर रहे हैं।

श्री बी॰ आर॰ सरोज : हां सर।

सभापति महोदय : 12 तारीख को जो आपने एफ॰आई॰आर दर्ज की उस समय तो वे जेल कस्टडी में थे?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : जी हां।

सभापति महोदय : जब वे 8 से 12 तारीख तक जेल कस्टडी में रहे, तो क्या आपकी यह ड्यूटी नहीं थी कि आप उनसे मालूम करते?

दिखा दें.

सभापति महोदय : क्या आपका यह फर्ज नहीं था कि जब मैम्बर आॅफ पार्लियामेंट बताकर जा रहे हैं, तो आपने वहां जाकर जानकारी की कि वहां लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं?

श्री बी० आर० सरोज : हम नहीं गए सर।

श्री राम कुमार बैरवा : वह लाइसेंस की डुप्लीकेट कापी लाये, क्या यह बात सही नहीं है?

श्री बी० आर० सरोज : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय : यह जानकारी आई है कि लाइसेंस खो दिया गया और कहा गया कि डुप्लीकेट करा कर दीजिये।

श्री बी० आर० सरोज : ऐसी कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय : जब वह कस्टोडी में थे तो स्वयं जाकर लाइसेंस लाकर नहीं दे सकते थे जहां सूचित किया था कि वहां लाइसेंस है। वहां जाकर आपने तलाश किया या नहीं?

श्री संतोष कुमार गंगवार : पत्र में लिखा था कि यह लाइसेंस किस का है?

श्री बी० आर० सरोज : यह नहीं लिखा है।

श्री तेज नारायण सिंह : जो राइफल बरामद हुआ, वह किन-किन लोगों ने बरामद किया?

श्री बी० आर० सरोज : उस समय में मौजूद नहीं था।

श्री तेज नारायण सिंह : जो बरामद हुआ, उसको आपने देखा नहीं है।

श्री बी० आर० सरोज : देखा है।

श्री तेज नारायण सिंह : किस-किस के नाम हैं?

श्री बी० आर० सरोज : लोकल विटनैस के नाम हैं। एक राम प्रसाद तिवारी का नाम है।

श्री तेज नारायण : किस पदाधिकारी ने रिकवर किया?

श्री बी० आर० सरोज : एस० एन० सिंह थे।

श्री तेज नारायण सिंह : उस समय सांसद महोदय ने लिख कर दिया कि यह लाइसेंस फंला आदमी का है, उपस्थित कर दूंगा।

श्री बी० आर० सरोज : नाम नहीं दिया कि यह किस का लाइसेंस है। सी०ओ० साहब को क्या कहां, मुझे नहीं पता।

श्री तेज नारायण सिंह : जिले की कोर्ट में एक लिस्ट रहती है कि जिस में लिखा रहता है कि फलां नम्बर की फलां राइफल फंला के पास है। क्या आपने इसकी जांच-पड़ताल की?

श्री बी० आर० सरोज : थाने में रिकाॅर्ड रहता है। इनवैसटीगेशन से पता लगता है कि यह किस के नाम की राइफल है।

श्री तेज नारायण सिंह : क्या इसका पता आपने लगाया है?

श्री बी० आर० सरोज : गाजीपुर के किसी व्यक्ति की है।

श्री तेज नारायण सिंह : उस आदमी के खिलाफ मुकद्दमा दायर किया?

श्री बी० आर० सरोज : हां किया है। सैक्शन 30 में मुकद्मा किया!

श्री नारायण सिंह : जिन की यहां राइफल बरामद हुई, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। वह कौन व्यक्ति है?

श्री बी० आर० सरोज : रविन्द्र प्रताप सिंह, गाजीपुर के हैं।

सभापति महोदय : वह उनके संबंधी हैं।

श्री बी० आर० सरोज : मैं नहीं जानता।

सभापति महोदय : पूछताछ की कि राइफल उनके यहां कैसे रखी? सैक्शन 30 में मुकदमा दर्ज किया?

श्री बी० आर० सरोज : वह अरैस्ट नहीं हुये हैं और पूछताछ नहीं हो पायी हैं।

श्री तेज नारायण सिंह : जिस केस में एम०पी० साहब पर मुकदमा चला उसी के तहत उनके खिलाफ मुकदमा हुआ या सैपरेट मुकदमा हुआ या नहीं?

श्री बी० आर० सरोज : नहीं हुआ है यह मामला आपस में लिंक हो गया है।

श्री तेज नारायण सिंह : एम० पी० ने लिख कर दिया कि तीन दिन में लाइसेंस प्रोडयूस कर दूंगा, वे कागज आपके पास हैं।

श्री बी० आर० सरोज : नहीं है। सी० डी० में संलग्न है।

सभापति महोदय : थाना गाजीपुर की रिपोर्ट फाइल में मौजूद है जिस में लिखा है फलां-फलां के नाम रजिस्टर्ड हैं। उनकी जानकारी क्या आपको नहीं है। 23.4.93 की यह रिपोर्ट है।

श्री बी० आर० सरोज : 23.4.93 की रिपोर्ट गाजीपुर थाने से आई है।

श्री तेजनारायण सिंह : जिस दिन सी० बी० आई० के लोग आपके सहयोग से उनके यहां छापा डालने गये थे तो उन लोगों ने उनको पकड़ लिया और जेल भेज दिया तो उसी दिन आप लोगों ने उनके घर से रायफल बरामद की?

श्री बी० आर० सरोज : उसी दिन बरामद की।

श्री तेजनारायण सिंह : आपने लिखकर दिया था कि जो भी एवीडेंस उनके खिलाफ होंगी, वह हम प्रोड्यूस कर देंगे। इसलिए कोर्ट में न्यायाधीश ने 167 में विदाउट एवीडेंस बेल दिया, क्योंकि कोई मुकदमा आप लोगों ने उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया था। उनकी बेल होने के 16-17 दिन बाद 21 तारीख को आपने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया और उनको जेल से नहीं छूटने दिया।

श्री बी० आर० सरोज : 4 दिन बाद ही कायम किया है। 8 की अरैस्ट है और 12 को मुकदमा दायर किया है।

श्री तेजनारायण सिंह : आपने रिमाण्ड मांगा तो मजिस्ट्रेट ने उनको 15 तारीख को पेश करने को कहा और पेश नहीं करने पर 17 को रिलीज कर दिया तो 15 तारीख को प्रोड्यसू नहीं करने का क्या कारण था?

श्री बी० आर० सरोज : यहां से वारण्ट जाना था जो तामील कर दिया गया...

सभापति महोदय : कोर्ट को आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों पेश नहीं कर सके?

श्री बी० आर० सरोज : हमें पेश नहीं करना था। हमें तो वारण्ट डिस्ट्रिक्ट जेल में तामील करने थे।

श्री तेजनारायण सिंह : उनको माननीय सांसद जी को सर्व करना था लेकिन उन्होंने उनको वहां ले जाकर प्रोड्यूस नहीं किया।

श्री बी० आर० सरोज : कोर्ट में तो रिमाण्ड के लिए गये लेकिन जब वह पेश नहीं हुए तो मजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि रिमाण्ड नहीं दे सकते हैं।

श्री तेज नारायण सिंह : 16 तारीख को आपने किसी दूसरे एक्ट की धारा में उनको गिरफ्तार कर लिया तो उसका आधार क्या था?

श्री बी० आर० सरोज : गैंगस्टर एक्ट में इनका 1990 में चालान हुआ था...।
दिनांक 16-4-1993 को गिरफ्तार नहीं किया था।

सभापति महोदय: गैंगस्टर एक्ट में चालान करने के लिए पहली आवश्यकतायें क्या होती हैं जो आपको करनी चाहिए?

श्री बी॰आर॰ सरोज: इसमें इनका गेंग होना चाहिए। इसमें हमारे यहां गेंग चार्ट होता है, उसमें इनका नाम शामिल था। 1986 में इनका इसमें चालान हुआ था, अयोध्या कोतवाली से और फिर 1990 में यह इनका इसमें थर्ड चांस है।

सभापति महोदय: आपके पास इनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, जिसके कारण आप गेंगस्टर एक्ट में इनके चालान की सोचते थे? अगर थे तो वह क्या सबूत थे?

श्री बी॰आर॰ सरोज: 1990 के बाद इनका एक तो राम जन्म वाला और दूसरा देवी पाटन वाला अभियोग था।

सभापति महोदय: 1986 में क्या था?

श्री बी॰आर॰ सरोज: 1986 में तो हम वहां नहीं थे।

सभापति महोदय: गेंग चार्ट में पुरानी हिस्ट्री होती है तो उस वक्त इनके खिलाफ क्या सबूत थे?

श्री बी॰आर॰ सरोज: 1986 में तो जो गेंगस्टर का कायम हुआ है वह तो अपराध पर कायम हुआ है।

सभापति महोदय: उसका पुराना रिकार्ड आपसे पास है?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: जी हां।

श्री संतोष कुमार गंगवार: आपने 161/93 में रिपोर्ट के सपोर्टिंग एवीडेंस में यह लिखा था कि इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला पंजीकृत है लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट के नीचे कोई उल्लेख नहीं किया गया जिससे ज्ञात हो सके कि यह किन-किन हत्या, डकैती के मामलों में लिप्त हैं। यह सांसद आपके थाने के ही निवासी हैं, इनके खिलाफ कितने मुकदमे पिछले दो तीन साल के अंकित हैं?

श्री बी॰आर॰ सरोज: यह तो देखकर बताना होगा।

सभापति महोदय: गेंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट आपने भेजी थी तो उसमें तो आपने कुछ नहीं लिखा।

श्री बी॰आर॰ सरोज: गेंगस्टर वाले में लिखा है कि दो मुकदमे हैं, एक राम जन्मभूमि वाला और दूसरा आर्म्स एक्ट का।

सभापति महोदय: 158/93 और 161/93, यह दो मुकदमें हैं, एक आर्म्स एक्ट में और एक गेंगस्टर एक्ट में तो इससे पहले 1986 की पुरानी भूमिका के बारे में आपको कोई जानकारी थी? आपने जो 161/93 मुकदमा दायर किया तो उसका क्या आधार था?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: दो बार गेंग सबूत होने पर रजिस्ट्रेशन हुआ था, यह तो पहले से ही था।

सभापति महोदय: 1986 में इनके खिलाफ कौन-कौन से जुर्म थे?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: उसकी लिस्ट है। इसके अलावा जो मुकदमे हैं, वे अन्य जनपदों पर कायम है।

सभापति महोदय: हम एक बात जानना चाहते हैं। 86 के अन्दर इन धाराओं के अन्तर्गत पहले से मुकदमें चल रहे, तो नये सिरे से 93 में 16 अप्रैल को आर्म्स एक्ट में FIR दर्ज करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह कि आर्म्स एक्ट में मैजिस्ट्रेट ने रिमांड नहीं दिया, तो दूसरे एक्ट में इनको इन्वालव करने की कोशिश की।

श्री बी॰ आर॰ सरोज: ऐसी बात नहीं है।

सभापति महोदय: क्या नई परिस्थितियां पैदा हुई, जिनकी वजह से इन पर 16 अप्रैल को चलान किया?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: इनमें 2-3 मुकदमें 90 के बाद के हैं।

सभपति महोदय: यह तो 12 तारीख के बाद भी कर सकते हैं। प्रोड्युस करने की बात थी, लेकिन नहीं कर पाए। 16 तारीख को मुकद्मा दायर कर दिया। उस आधार पर करना था तो 12 तारीख को करना चाहिए था। जज ने अपने फैसले में कहा है कि गैगस्टर चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री बी॰ आर॰ सरोज: गैंगस्टर चार्ट इनके सामने हैं।

सभापति महोदय: प्रोड्युस नहीं किया गया, और तीन किए गए।

श्री बी॰ आर॰ सरोज: जज साहब ने लिखा है—Seen.

श्री संतोष कुमार गंगवार: 90 के बाद कोई अपराध जस्टिफाई नहीं होता है।

श्री बी॰ आर॰ सरोज: बहस में उन्होंने कहा है और फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है। बाद में उन्होंने खुद ही जाकर कह दिया कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार: यह आप कैसे कह रहे हैं?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, वास्तविकता कह रहा हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार: आप कह रहे हैं कि डर के मारे एफिडेविट दे दिया। वास्तविकता यह है कि लाइसैंस लेकर आए। आप जो बात कह रहे हैं, यह बात भी उतनी ही सत्य है, जितनी कि यह बात।

श्री बी॰ आर॰ सरोज: 25/27 में मुकद्दमा दायर हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार: दूसरे गैंगस्टर के साथ कोई मुकद्दमा दायर नहीं हुआ?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: नहीं।

सभापति महोदय: आपको जज पी॰ एन॰ शुक्ला के जजमेंट की जानकारी है?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: वह जानकारी है।

सभापति महोदय: फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है—Seen. यह फैसला 20.4.1993 का है।

श्री बी॰ आर॰ सरोज: FIR में मेंशन है। FIR में 158 में नहीं लिखा है। रजिस्ट्रेशन तब हुआ है, जब एन्ट्री हुई है। इसमें भी लिखा जा रहा है कि एन्ट्री नहीं हुई है। जज साहब क्या लिख रहे हैं और क्या नहीं लिख रहे हैं, उस पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन FIR में लिखा है।

सभापति महोदय: आर्म्स एक्ट में सैपरेटली केस दायर करने की क्या जरूरत थी?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: 25/27 का केस आर्म्स एक्ट का है।

सभापति महोदय: जो मैजिस्ट्रेट ने आर्डर दिया है, 15 तारीख के कोर्ट में पेश होना था, तो क्यों पेश नहीं किया गया?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: वहां राम-जन्म भूमि के केस में बहस चल रही थी, इसलिए वहां नहीं आ पाए।

सभापति महोदय: आप यह बताइए कि गैंगस्टर एक्ट की परिभाषा क्या है?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: एक गैंग होना चाहिए जो कम से कम दो आदमियों का हो। इसके अलावा समाज विरोधी कार्यकलाप में लगा हो।

सभापति महोदय: 92 के पहले के जो केसेस थे, उनमें क्या 34 केसेज में FIR की गई?

श्री बी॰ आर॰ सरोज: सही फीगर नहीं बता पाऊंगा।

सभापति महोदय: जज साहब ने कहा है कि प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है। 20 तारीख को रिलीज किया है। जज साहब ने कहा है कि बहुत थोड़े में उनको सजा मिलनी चाहिए।

श्री बी॰ आर॰ सरोज: बहस के दौरान हम मौजूद थे। वकील साहब ने कहा है कि बार-बार गैंगस्टर नहीं लग सकता है, जब तक पिछली प्रोसिडिंग्स खत्म न हो।

इसके तहत भी बात हुई थी इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है।

सभापति महोदयः क्या यह बात सही है कि एक केस के चलते हुए, उसकी पूरी शिनाख्त होने के पहले दूसरे केस को नहीं लिया जा सकता। 10 केस तो साइमलटेनियसली नहीं चल सकते। आपने जितने डाकूमेंट्स दिए हैं वे सब हाथ से लिखे हुए हैं वे आप टाइप करवा कर कब देंगे?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः वे सब तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं।

सभापति महोदयः नहीं, स्पष्ट नहीं लिखे हुए हैं इनको आप टाइप करवा कर दीजिएगा।

श्री तेज नारायण सिंहः मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य का जो घर है, मतलब गाजीपुर से गोंडा कितनी दूरी पर पड़ता है। करीब दो सौ कि॰मी॰ दूरी पर पड़ता होगा या इससे ज्यादा होगा।

श्री बी॰ आर॰ सरोजः इससे ज्यादा होगा। हम अभी गाजीपुर नहीं गये हैं, हम अभी यह बता नहीं पायेंगे। अभी हमें मालूम नहीं है।

श्री तेज नारायण सिंहः आप गोंडा से गाजीपुर जोड़ कर बता दीजिए।

श्री बी॰ आर॰ सरोजः अभी इस समय हम नहीं बता पायेंगे।

श्री तेज नारायण सिंहः मुझे लगता है कि दो सौ किलोमीटर से अधिक की दूरी होगी।

श्री बी॰ आर॰ सरोजः अभी हम नहीं बता पायेंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवारः मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या मुकद्दमा दायर होने से व्यक्ति अपराधी मान लिया जाता है?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः जब तक उसका मुकद्दमा साजा नहीं होता है।

श्री संतोष कुमार गंगवारः उसको सजा मिलती है?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः अगर मुकद्दमा उसके खिलाफ है।

सभापति महोदयः आप यह बताइये कि 20 अप्रैल को मजिस्ट्रेट ने इनको छोड़ दिया, उसके बाद जब इनको ले जा रहे थे तब आपने इनकी गिरफ्तारी की।

श्री बी॰ आर॰ सरोजः नहीं की।

सभापति महोदयः आपने इनको लॉक-अप में बंद कर दिया तो कौन से कानून में बंद कर दिया। यह कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया, फिर मुझे थाने में ले जाकर वहां मुझे थाने में रखा गया, क्या यह बात सच नहीं है?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः नहीं। उसके बाद यह अपने घर चले गये थे। अपने घर पर जाकर ही कोर्ट में हाजिर हुए थे।

श्री राम नारायण बैरवाः इनका कहना है कि हमको थाने के लॉक-अप में रखा गया।

श्री बी॰ आर॰ सरोजः नहीं। यह जो कह रहे हैं यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री राम नारायण बैरवाः दूसरे दिन आपने इनको पेश किया। आपने जो लॉक-अप में रखा उसकी कोई एंट्री नहीं है।

श्री बी॰ आर॰ सरोजः नहीं, लॉक-अप में इनको रखा ही नहीं गया।

श्री संतोष कुमार गंगवारः क्या 20 तारीख को आप छुट्टी पर तो नहीं थे?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः नहीं, हम मौजूद थे।

सभापति महोदयः आप यह कहते हैं कि वह लॉक-अप में नहीं थे।

श्री बी॰ आर॰ सरोजः हां सर, यह बात बिल्कुल ठीक है। यह बात सौ परसंट सही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं कह रहा हूं यह अपने घर पर रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या गेंगस्टर एक्ट की कॉपी आपके पास है?

श्री बी॰ आर॰ सरोज : यह कॉपी यहां के लिए नहीं है?

सभापति महोदयः आप मंगवा कर के हमें दे दीजिए।

श्री बी॰ आर॰ सरोजः हम कल आपको मंगवा कर दे देंगे।

श्री तेज नारायण सिंहः सी॰ बी॰ आई॰ ने माननीय सदस्य के ऊपर जो मुकद्दमा 6 दिसम्बर को दर्ज किया तो उस समय क्या आप अयोध्या में उपस्थित नहीं थे?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः उस समय वहां पर हम ड्यूटी पर नहीं थे।

श्री तेज नारायण सिंहः इस केस से संबंधित कोई अधिकारी हैं जो वहां पर होंगे। जिस तरह से आप इस केस में हैं इस तरह से क्या और भी अधिकारी हैं इसकी कोई आपको जानकारी है?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः यहां आने वालों में से शायद कोई नहीं है, आज जो आये हैं। यह चूंकि गोंडा जिले के थे इसलिए अपने जिले में लगे हुए थे वहां पर कोई भी इनमें से ड्यूटी पर नहीं था। जहां तक मेरी जानकारी है ये लोग नहीं थे।

श्री तेज नारायण सिंहः क्या 6 दिसम्बर को आपको कोई एक्शन लेने का आदेश सरकार की तरफ से नहीं था। आप लोगों को केवल वहां पर खड़ा रहने का आदेश था?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः वहां पर हम लोग नहीं थे।

श्री तेज नारायण सिंहः क्या अयोध्या के इर्द-गिर्द पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन लेने का आदेश नहीं था?

सभापति महोदयः अच्छा आप यह बताइये कि 20 अप्रैल की कोई जानकारी क्या आपने लोकसभा सेक्रेटेरियेट को भेजी थी। 20 तारीख को अरेस्ट किया।

श्री बी॰ आर॰ सरोजः 20 तारीख को अरेस्ट नहीं किया।

सभापति महोदयः कब किया?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः 8 तारीख को किया।

सभापति महोदयः क्या उसकी जानकारी आपके पास है?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः हां, है।

सभापति महोदयः रिलीज किस ने किया?

श्री बी॰ आर॰ सरोजः गोंडा के एक आफिसर (A.C.J.M., IInd Gonda) ने किया।

श्री संतोष कुमार गंगवारः 20 तारीख की रात को पुलिस के लॉक-अप में वे नहीं थे, क्या यह बात सही है? आपने 21 तारीख को 11 बजे फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, वे अपने आप गये थाने से उनका कोई मतलब नहीं था।

श्री बी॰ आर॰ सरोजः हां, थाने से उनका कोई मतलब नहीं था।

श्री तेज नारायण सिंह: सी०बी०आई० के मुकद्दमे से तो वह कोर्ट से रिलीज हो चुके थे, थाने के मुकद्दमे के कारण वहां कोर्ट में ले गये थे।

श्री बी० आर० सरोज: सी०बी०आई० की फोर्स उस समय वहां नहीं थी।

(The witness then withdrew)

(2) *Evidence of Shri Shivnath Singh, the then Circle Officer, Gonda, U.P.*

Mr. Chairman: Shri Shivnath Singh, you have been asked to appear before this Committee to give your evidence in connection with the question of privilege regarding non-intimation of the alleged re-arrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P., by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha.

I may inform you that under rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to the Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House.

Now you may please take oath or make affirmation as you like.

श्री शिवनाथ सिंह: मैं शिवनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सच होगा। मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा और मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश झूठा नहीं होगा।

सभापति महोदय: आप सर्कल आफिसर गोण्डा कब से हैं?

श्री शिवनाथ सिंह: मैं सर्किल आफिसर जनपद गोंडा सितम्बर 1989 से अप्रैल 1993 तक रहा। 27 अप्रैल 1993 को मैं सर्किल आफिसर जनपद एटा में आया।

सभापति महोदय: 20 अप्रैल को इनको रिलीज किया यह जानकर कि इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता और कोई गैंग चार्ट भी नहीं बनता। इस हालत में जो विशेष अदालत के जज थे, उन्होंने उनको रिलीज़ किया। उस समय जब उनको छोड़ा गया, तब आपने उनके साथ क्या बर्ताव किया?

श्री शिवनाथ सिंह: माननीय सांसद महोदय से मेरी मुलाकात नहीं हुई लेकिन इससे पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उन्हें पूरा सम्मान दिया, आदर दिया।

सभापति महोदय: हमें यह बताया गया कि आपने ऐसे कहा कि—"ऐसे एम०पीज० बहुत देखे हैं और रोज देखता हूं।"

श्री शिवनाथ सिंह: मैंने ऐसा नहीं कहा और एक माननीय सदस्य के लिए या किसी के लिए भी कह नहीं सकता हूं।

सभापति महोदय: सदस्य महोदय ने तो बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है।

श्री शिवनाथ सिंह: पर मैंने इस बात को नहीं कहा है और मैंने उन्हें पूरा सम्मान दिया है।

सभापति महोदयः 20 अप्रैल को उनको रिलीज कर दिया गया, यह बात सही है?

श्री शिवनाथ सिंहः जहां तक मेरी जानकारी उन्हें रिलीज करने के संबंध में है, यह बात सही है।

सभापति महोदयः उन्हें फिर 20 तारीख की रात को गिरफ्तार किया गया?

श्री शिवनाथ सिंहः ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

सभापति महोदयः नवाबगंज के S.O. ने उन्हें गिरफ्तार किया?

श्री शिवनाथ सिंहः जी नहीं।

सभापति महोदयः रात को 9 बजे उनको री-अरेस्ट किया गया?

श्री शिवनाथ सिंहः ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

सभापति महोदयः ये 20 तारीख की रात को लॉक-अप में रखे गए थे?

श्री शिवनाथ सिंहः जी नहीं।

श्री राम नारायण बैरवाः जानकारी नहीं है या आप भी वहां थे?

श्री शिवनाथ सिंहः ऐसी बात नहीं है। वह 37 कि०मी० दूर पड़ता है और वहां इस तरह की बात नहीं हुई है।

सभापति महोदयः जो टीम उनको लेकर गयी थी उसमें यह नहीं कहा गया कि इनको ऐब्स्कौंड कर दिया गया है। जो टीम उनको लेकर गयी थी उसके सदस्यों के नाम आपको मालूम हैं?

श्री शिवनाथ सिंहः उनके नाम मुझे मालूम नहीं हैं और न ही मेरी उनसे मुलाकात हुई।

सभापति महोदय (जारी): क्या आपने अपने सीनियर आफिसर को कहा या किसी दूसरे को ऐसा कुछ कहा कि इनको अरैस्ट कर लिया जाए?

श्री शिवनाथ सिंहः मैंने किसी सीनियर ऑफिसर से इस तरह की बात नहीं कही।

सभापति महोदयः यदि किसी दूसरे विटनैस ने इस बात को कह दिया या यह साबित हो जाए तो उस हालत में आपका क्या कहना है?

श्री शिवनाथ सिंहः तो जो सजा आप मुझे देना चाहें मुझे स्वीकार है। मैं उसको मानूंगा।

सभापति महोदयः आप सही बताईये। आपने शपथ लेकर कहा है कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, उसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा। कमेटी को आप सब कुछ सही-सही बताईये।

श्री शिवनाथ सिंहः नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा।

सभापति महोदयः उनको एब्स्कौंड करने की बिना पर उनको री-अरैस्ट कराया गया हो, आपकी तरफ से किसी सीनियर ऑफिसर ने कहा हो, आपने नहीं कहा हो तो बताईये।

श्री शिवनाथ सिंहः नहीं साहब।

श्री राम नारायण बैरवाः सी०बी०आई० की जिस समय एम० पी० साहब के घर पर तलाशी हो रही थी तो क्या उस समय आप वहां मौजूद थे?

श्री शिवनाथ सिंहः मैं साथ में गया था।

श्री राम नारायण बैरवाः क्या उस तलाशी के दौरान वहां कोई राईफल आदि मिली थी?

श्री शिवनाथ सिंह: वैसे तो कई चीजें मिली थीं परन्तु एक राईफल ऐसी मिली थी जिसका लाईसेंस नहीं था। उसे थाने पर भेजा। एक उप निरीक्षक को मैंने इस विषय में बताया था। सांसद महोदय ने एक पत्र भी लिखकर दिया था कि हम इसका लाईसेंस बाद में प्रस्तुत कर देंगे। वह राईफल थाने में जमा की गई थी और राईफल बुक में दर्ज की गई थी।

श्री राम नारायण बैरवा: फिर उनके खिलाफ मुकदमा कयों कायम किया गया था?

श्री शिवनाथ सिंह: जब 3 दिन तक उन्होंने लाईसेंस नहीं दिखाया तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया।

श्री राम नारायण बैरवा: यह तो पता चल गया था कि वह राईफल उनकी नहीं है। फिर आपने वायरलैस मैसेज नहीं भेजा।

श्री शिवनाथ सिंह: ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा क्योंकि मैं स्वयं वहां था। राईफल का लाईसेंस भी नहीं था और कोई ऐसा व्यक्ति भी वहां नहीं था, जिसके बारे में माननीय सांसद महोदय बताते कि उसकी वह राईफल है।

श्री राम नारायण बैरवा: एम० पी० साहब के खिलाफ एक दूसरा केस भी तो दर्ज हुआ था।

सभापति महोदय: वह केस कौन-सी तारीख को दर्ज हुआ था?

श्री शिवनाथ सिंह: वह 16 अप्रैल को दर्ज हुआ था। उससे पहले 12.4.1991 को उनके खिलाफ एक केस आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ था। सैक्शन 25/27 के अंदर वह केस रजिस्टर किया गया था।

सभापति महोदय: मजिस्ट्रेट ने आपको आदेश दिया था कि 15.4.1991 को उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

श्री शिवनाथ सिंह: वह पेश नहीं किया गया। वे 15 तारीख को पेश नहीं हुए वैसे एक्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है लेकिन वारंट की बात मुझे पता है, वे जेल सुपरीटैंडेंट महोदय को सर्व किए गए थे। उसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने 15 तारीख को पेश होना था लेकिन वे 15 तारीख को पेश नहीं हुए। उसके बाद उनके खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था।

सभापति महोदय: वह केस कौन से थाने में दर्ज हुआ था और क्या आपको उसकी जानकारी थी कि ऐसा केस रजिस्टर हो रहा है। क्या इससे पहले भी एम पी साहब के खिलाफ कुछ केसेज या पुराने मुकदमे चल रहे थे?

श्री शिवनाथ सिंह: इससे पहले शायद 1986 का केस चल रहा था। गैंस्टर केस के मामले मे उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही थी।

सभापति महोदय: गैंगस्टर केस में उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था तो क्या उनके खिलाफ पहले कोई एफ आई आर दर्ज की गई थी जैसे कि आमतौर पर पहले एफ आई आर दर्ज करने के बाद और फाईनल रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही कोई केस बनाया जाता है। क्या पहले वाले केस में माननीस सांसद महोदय के खिलाफ कोई एफ आई आर दर्ज हुई थी, कोई फाईनल रिपोर्ट तैयार की गयी थी।

श्री शिवनाथ सिंह: गैंगस्टर के दो मामलों में फाईनल रिपोर्ट तो शायद नहीं लगी है, मेरी जानकारी में नहीं है।

सभापति महोदयः आपने अपने बयान में कहा है कि 16 अप्रैल को जो केस रजिस्टर किया गया था उसके पीछे आधार क्या था?

श्री शिवनाथ सिंहः जब किसी एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया जाता है तभी कोई कार्यवाही संभव होती है।

सभापति महोदयः जब मजिस्ट्रेट ने 26 तारीख को अपना फैसला दिया तो उसमें साफ कहा है कि पुराने केस में कोई चार्ट पेश नहीं किया गया है, इसलिए माननीय सांसद महोदय के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है और इसीलिए उन्होंने एक्विट कर दिया।

श्री शिवनाथ सिंहः विद्वान न्यायाधीश के मत के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन उनके खिलाफ प्राईमा फेसी केस बन रहा था। तभी वह केस दर्ज किया गया।

श्री राम नारायण बैरवाः 16 तारीख को तो उनकी बेल हो रही थी, लेकिन आप लोगों ने कहा उनके फिलाफ गैंगस्टर का केस रजिस्टर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंहः ऐसी बात नहीं है, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ प्राइमा फेसी केस बन रहा था इसीलिए कार्यवाही हुई थी। उस इंटैंशन को लेकर कार्यवाही नहीं हुई जैसा आप कह रहे हैं।

श्री राम नारायण बैरवाः 1990 में जो केस उनके खिलाफ चल रहा था, क्या उसमें उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई? उससे पहले 1986 का जो केस चल रहा था क्या उसमें उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई?

श्री शिवनाथ सिंहः उसकी मुझे जानकारी नहीं है।

सभापति महोदयः किसी में कार्यवाही नहीं हुई। किसी में कन्विक्शन नहीं हुआ। रिकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हैं कि पुराने किसी केस में कन्विक्शन हुई हो।

श्री शिवनाथ सिंहः मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री राम नारायण बैरवाः आपने 12 तारीख को उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि जब देखा कि कोई केस नहीं बन रहा है और वे एक्टिव होने वाले हैं तो आपने 16 तारीख को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत केस बना दिया। यदि आप 12 तारीख को ही वह केस बना देते तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन 4 दिन बाद केस बनाने का औचित्य क्या है वह समझ में नहीं आता। आपके सारे पेपर्स इनकम्पलीट रखे हुए हैं, पुराने किसी केस में आपने कोई हिस्टरी नहीं रखी है। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि कोई उपयुक्त साक्ष्य पेश नहीं किया गया। एक बात और समझ में नहीं आती कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, फिर 12 तारीख को मुकदमा किसके निर्देश पर कायम किया गया।

श्री शिवनाथ सिंहः केस थाने में दर्ज हुआ था और फिर हमने थोड़ा सा टाईम देकर यह देखा कि शायद लाईसेंस आ जाए। फिर मुहरि तो आदेश करता नहीं है, एस एच ओ करता है या थाना प्रभारी करता है, सी ओ करता है। इनमे से किसी ने कहा होगा कि चार दिन हो गए हैं कोई कागज अभी तक नहीं आया, इसीलिए उन्होंने आदेश किए होंगे।

श्री शिवनाथ सिंहः सर, इस बारे में पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर निर्णय लिया।

श्री संतोष कुमार गंगवारः क्या यह निर्णय लिया कि मुकदमा चलना चाहिए?

श्री शिवनाथ सिंहः हां, सर।

श्री संतोष कुमार गंगवार: 20 तारीख की शाम को क्या आप थाने के एस० ओ० के साथ मिले थे, क्या यह बात सही है?

श्री शिवनाथ सिंह: मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई।

श्री संतोष कुमार गंगवार: क्या यह भी गलत है कि वे 20 तारीख को नवाबगंज थाने के लाॅकअप में नहीं रहे?

श्री शिवनाथ सिंह: जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं रहे।

श्री संतोष कुमार गंगवार: आप तो उस समय थाने के इंचार्ज थे, आपको तो यह जानकारी होनी चाहिए?

श्री शिवनाथ सिंह: हमें वह जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय: उनको लखनऊ जेल से लेकर जब आए थे, तो कहां छोड़ा?

श्री शिवनाथ सिंह: हमको इसकी भी कोई जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय: क्या आपके किसी वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसे आदेश दिए थे कि ये फरार हैं इसलिए इनको अरेस्ट किया जाए?

श्री शिवनाथ सिंह: सर, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है,

सभापति महोदय: टीम के कौन-कौन मेम्बर थे?

श्री शिवनाथ सिंह: यह भी मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री तेजनारायण सिंह: आपने किस तारीख से कार्यभार नवाबगंज थाने से संभाला?

श्री शिवनाथ सिंह: सर, नवाबगंज थाना मेरे क्षेत्र में है।

श्री तेजनारायण सिंह: आप डी, एस. पी. हैं?

श्री शिवनाथ सिंह: जी हां सर।

श्री तेजनारायण सिंह: जब उनको अरेस्ट किया था, तब आप थे?

श्री शिवनाथ सिंह: यस सर, 8-4-1993 को।

श्री तेजनारायण सिंह: आपको तारीख याद है?

श्री शिवनाथ सिंह: हां सर, 8-4-93 थी।

श्री तेजनारायण सिंह: 15-4-93 को सी.बी.आई. कोर्ट से बेल को गई इसलिए कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं था, जैसा कि आदेश दिया गया है?

श्री शिवनाथ सिंह: सर, आदेश तो हमने देखा नहीं है।

श्री तेजनारायण सिंह: 15-4-93 को उनकी बेल ग्राण्ट हुई और 16-4-93 को उनका बेल बांड दाखिल हुआ, इसका आपको पता है?

श्री शिवनाथ सिंह: सर, तारीखों की जानकारी हमको नहीं है।

श्री तेज नारायण सिंह: जेल से छोड़ने का आदेश कब गया इसकी जानकारी आपको है या नहीं?

श्री शिवनाथ सिंह: सर, 17 तारीख को जो वारंट बेल के इश्यू हुए हैं वे तामील करने के लिये गये, यह जानकारी हमको है।

सभापति महोदय: दो जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने इनको रिलीज किया, एक तो गैंगस्टर एक्ट में ये बन्द थे उससे रिलीज किया और दूसरे श्री एस॰ पी॰ चौधरी, सैकेंड चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट गोंडा ने इनको 21 तारीख को रिलीज किया, क्या यह जानकारी आपको है?

श्री शिवनाथ सिंह: सर, यह डेंट की जानकारी मुझे नहीं है और इनको मैंने देखा भी नहीं है।

सभापति महोदय: आपको कोर्ट के केस की जानकारी करके आना चाहिए था?

श्री शिवनाथ सिंह: सर, मैं एटा तो 27 अप्रैल को आ गया, अभी थोड़ा रिकार्ड देखा है, अगर मैं गोंडा में होता तो यह सारा रिकार्ड देखने को मिल जाता, लेकिन मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया है.

सभापति महोदय: आपका ट्रांस्फर कब हुआ?

श्री शिवनाथ सिंह: 18 अप्रैल को और 26 को रिलीज हुआ।

सभापति महोदय: जब यहां आने वाले थे तो रिकार्ड चैक कर के नहीं आ सकते थे?

श्री शिवनाथ सिंह: इसके लिए सर क्षमा चाहता हूं।

सभापति महोदय: यहां तो जो आपको साक्ष्य देना है वह तथ्यों के आधार पर देना है और आप जितने भी तथ्य हैं उनसे अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मेरा तबादला हो गया था, किन्तु जब हम आपसे यह पूछते हैं कि सांसद महोदय 20 तारीख को पुलिस लॉकअप में रहे, तो आप कह देते हैं कि नहीं रहे?

श्री शिवनाथ सिंह: सर, जब लॉकअप में बन्द किया जाता है, तो डी॰ डी॰ में लिखा जाता है।

सभापति महोदय: इस चीज को आप देखकर आए हैं?

श्री शिवनाथ सिंह: सर, अभी थोड़ी देर पहले जो रिकार्ड देखा था उसमें यह था।

सभापति महोदय: जब आपने इस रिकार्ड को देखा, तो आप अन्य रिकार्ड को नहीं देख सकते थे कि 20 में किसने रिलीज किया और जब इनको रिलीज किया और यह आदेश दिया कि इसकी सूचना लोक सभा को दी जाए, तो आपने इस बात के ऊपर अमल क्यों नहीं किया?

श्री शिवनाथ सिंह: सर, यह मेरी गलती है, इसके लिए मैं क्षमायाचना करता हूं, यह गलती मुझ से हुई है, इसके लिए मुझे माफ किया जाए।

सभापति महोदय: लोक सभा के सदस्य पर मुकदमा चला सकते हैं इन्वेस्टीगेशन हो सकता है, वे सही हो सकते हैं गलत हो सकते हैं, लेकिन मूल आवश्यकता यह है कि जब भी किसी सांसद को गिरफ्तार किया जाए तो उसकी सूचना तुरंत लोक सभा को देनी चाहिए और जब उनको रिलीज किया जाए तो सूचना आनी चाहिए, यह प्रिवलेज का मामला बनता है। इसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री शिवनाथ सिंह: मैं नया हूं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि रिलीज होने की सूचना देनी चाहिये थी। यह मुझसे गलती हुई है। इसके लिये माफी चाहता हूं। आगे से ऐसा नहीं होगा।

श्री तेज नारायण सिंह: 8 तारीख को रिकवरी होने के बाद भी 12 तारीख को मुकदमा क्यों हुआ?

श्री शिवनाथ सिंह: सांसद महोदय ने लिख कर दिया कि मैं लाइसेंस प्रोडयूसर कर दूंगा। 3 दिन तक देखा गया। जब लाइसेंस नहीं मिला तो कार्यवाही जो बनती थी, वह की गई।

श्री तेज नारायण सिंह: आप लोगों ने इस मुकदमे में रिमांड करने के लिये कोर्ट में आवेदन दिया था। सी० बी० आई० के मजिस्ट्रेट ने रिमांड नहीं दिया। इसलिये कि प्रोड्यूस नहीं किया गया था। प्रोड्यूस करने की डयूटी आप लोगों की पहल पर होती है। जो पुलिस आफिसर केस का इनवैस्टीगेशन करते हैं जहां में इनफर्मेशन देते हैं और प्रोड्यूस कराते हैं सुपरिंटेंडेंट के माध्यम से। आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की इसलिये रिमांड नहीं हुआ।

श्री शिवनाथ सिंह: वह लखनऊ कारागार में थे। वहां से उनको आना था। लखनऊ के पुलिस बल में वह प्रोड्यूस होना था। इसलिए लखनऊ की पुलिस को लाना चाहिये था।

श्री तेज नारायण सिंह: क्या यह सही है कि जमानत पर रिंहा होने के बाद इसी मुकदमे के लिये रोक कर चार दिन रखा।

श्री शिवनाथ सिंह: ऐसा नहीं है।

सभापति महोदय: मैम्बर साहब यह पूछ रहे हैं कि 16 तारीख को रिमांड नहीं दिया। चार दिन तक लगातार गिरफ्तार रखा और लोक सभा अध्यक्ष को कोई सूचना नहीं दी।

श्री शिवनाथ सिंह: 8 अप्रैल को अरैस्ट हुये और सी० बी० आई० की तरफ से जानकारी दी गई।

सभापति महोदय: 8 को और 9 को आई है। 16 से 21 को नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह: सूचना नहीं दी गई है। मैं पुनः क्षमा मांगता हूं।

सभापति महोदय: यह जो आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें राइफल एम० पी० साहब का नहीं था तो किस का था?

श्री शिवनाथ सिंह: राइफल गाजीपुर के किसी व्यक्ति की पायी गई है।

सभापति महोदय: क्या यह जुर्म है? किसी के यहां पायी जाती है तो क्या वह जुर्म बनता है?

श्री शिवनाथ सिंह: हां, यह जुर्म बनता है।

सभापति महोदय: वह दूसरी जगह पायी जाये तो कौन सी धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है?

श्री शिवनाथ सिंह: 25 और 27 बनती है।

श्री तेज नारायण सिंह: उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश था कि मस्जिद टूटता है तो टूटे, लेकिन किसी अधिकारी को कुछ न कहा जाये।

श्री शिवनाथ सिंह: मैं अयोध्या में उस दिन ड्यूटी पर नही था।

श्री राम कुमार बैरवा: श्री बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपने चालान पेश कर दिया लेकिन रविन्द्र प्रताप सिंह के खिलाफ कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय: राइफल गाजीपुर के किसी व्यक्ति का पाया गया है और यह जुर्म है तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सांसद महोदय इसके लिये जिम्मेदार हैं और जिसकी राइफल थी, उसने दूसरी जगह उसे जाने दिया, क्या वह जुर्म नहीं बनता? गाजीपुर थाने की रिपोर्ट फाइल में मौजूद है जिस में लिखा है कि रविन्द्र प्रताप सिंह की राइफल है, ऐसे में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

श्री संतोष कुमार गंगवार: आप कितने समय से इस थाने में रहे?

श्री शिवनाथ सिंह: मैं लगभग डेढ साल रहा।

श्री संतोष कुमार गंगवार: इन डेढ़ सालों में क्या आपने सांसद महोदय की गतिविधियां संदिग्ध पाई?

श्री शिवनाथ सिंह: 1992 में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था।

श्री संतोष कुमार गंगवार: मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यह अपराधिक तत्व है? डेढ़ वर्षों में यह महसूस किया कि उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। किसी के खिलाफ मुकदमा दायर होना दूसरी बात है और उसके आधार पर किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता है। एफ०आई०आर० किसी के खिलाफ दायर हो सकती है और उसके आधार पर किसी को अभियुक्त नहीं मान सकते हैं। सांसद महोदय का आचरण सही नहीं पाये जाने पर क्या किसी व्यक्तिगत वर्तालाप में एस०पी० साहब से चर्चा की?

श्री शिवनाथ सिंह: अंकित रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते लेकिन यह भारी मात्रा में असलाधारी लोगों के साथ चलते थे, जिससे जनता में, समाज में टैरर सा होता है।

सभापति महोदय: वह हथियार लाइसेंसशुदा नहीं होते थे?

श्री शिवनाथ सिंह: अंकित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि जनरल रूप में माननीय सांसद महोदय ने पूछा है।

श्री संतोष कुमार गंगवार: जो केस 25, 27 बना था, वह सहमति के आधार पर बना था? मेरी जानकारी के अनुसार आपके थाने के एस०ओ० छुट्टी पर थे, उनकी सहमति तो इसमें होगी?

श्री शिवनाथ सिंह: इसमें व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। अगर एक आफिसर नहीं है तो दूसरा सीनियर मोस्ट आफिसर मामले को देखता है।

श्री संतोष कुमार गंगवार: उस सीनियर मोस्ट की ऐसी हिम्मत तो है नहीं कि वह उच्चाधिकारियों की सहमति के बिना मुकदमा कायम कर दे।

श्री शिवनाथ सिंह: मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री संतोष कुमार गंगवार: क्या यह कहना गलत है कि इस दौरान थाने में लाइसेंस जमा करा लिया और कहा कि वह तो खो गया इसलिए आप डुप्लीकेट लाइसेंस ले आइये। उसके बाद अदालत के द्वारा ही यह बात कही गई। क्या आपके पास प्रमाण नहीं है कि थाने में लाइसेंस जमा किया गया है?

श्री शिवनाथ सिंह: मेरे पास इसकी जानकारी या प्रमाण नहीं है।

(The Witness then withdrew.)

(3) Evidence of Shri G.P. Sharma, Superintendent of Police, Gonda, U.P.

Mr. Chairman: G.P. Sharma, you have been asked to appear before this Committee to give your evidence in connection with the question of privilege regarding non-intimation of the alleged arrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP by police at Lucknow on 17th and 20th April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha. I may inform you that under rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the

evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to the Lok Sabha. Any premature discloure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House.

Now, you may please take the oath or make affirmation as you like.

श्री जी०पी० शर्मा द्वारा शपथ ग्रहण)

सभापति महोदय: आप आई० पी० एस० कैड़र में कब आये और गौंडा में आपकी यह पहली पोस्टिग है?

श्री जी० पी० शर्मा: जी हां।

श्री सभापति महोदय: इसके पहले आप कहां था?

श्री जी० पी० शर्मा: इसके पहले एस० पी० सिटी, लखनऊ था, एस० पी०, फैजाबाद था और 1986 में अंडर ट्रेनिंग गाजियाबाद था।

सभापति महोदय: जो दो केसिज 158/93 और 161/93 आर्म्स एक्ट और गेंगस्टर एक्ट के तहत कायम किये गये, इसकी पूरी जानकारी आपको थी?

श्री जी० पी० शर्मा: जी हां।

सभापति पहोदय: सब केस आपके नोलिज में आते हैं और सारे हालात को देखकर आप आदेश देते हैं?

श्री जी० पी० शर्मा: कुछ केसेज में आदेश दे सकते हैं।

सभापति महोदय: बाकी नीचे के आफिसर्स पर छोड़ देते हैं और वह अपने आप एक्शन ले सकते हैं?

श्री जी० पी० शर्मा: अगर उनकी नोलिज में काग्नीजिबल ओफेंस है तो वह एक्ट कर सकते हैं लेकिन कोई खास बात हैं, जिसमें वह केस रजिस्टर नहीं करते है तो उसके बाद केस मेरी नोलिज में आता है। मुझको लगता है कि वह काग्नीजिबल ओफेंस है तो में फरदर केस रजिस्टर करने के लिए कहता हूं। जैसे इस केस में 8 अप्रैल को सी० बी० आई० की टीम के द्वारा रेड हुई तो उसमें एक रायफल हमें मिली, जिसका लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया। उसके बारे में सांसद महोदय ने लिखकर दिया कि वह इसका लाइसेंस तीन दिन में प्रोड्यूस करेंगे। यह मैटर मेरे पास आया तो हमने कहा कि हमारे पास और डी०एम० के पास लाइसेंस का रिकार्ड है, पहले उसको चैक कर लीजिए। इस बारे में तीसरे दिन पता चला कि केस रजिस्टर हुआ है, क्योंकि रिकार्ड देख लिया गया और लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आपने इस संबंध में अपने सबोर्डिनेट आफिसर्स को कोई डायरैक्शन दिया?

श्री जी० पी० शर्मा: मैंने कहा कि तीन दिन देख लें कि प्रोड्यूस करते है कि नहीं और अपना रिकार्ड देख लें कि हमारे पास इस नंबर का लाइसेंस है कि नहीं।

सभापति महोदय: सी०बी०आई० ने केस कैसे बनाया, उसकी तलाशी का क्या आधार था?

उनके ऊपर केस तो दूसरा चल रहा था, 6 दिसम्बर की घटना के आधार पर तो उससे इसका क्या लिंक है?

श्री जी॰ पी॰ शर्मा: डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर गिराये जाने के संबंध में एक केस रजिस्टर किया गया था और उसमें तफतीश के अनुसार यह वहां थे और इन्होंने उसमें सहयोग दिया था।

सभापति महोदय: रेड के दौरान रायफल मिली इसलिये आपने यह केस कर दिया?

श्री जी॰ पी॰ शर्मा: रेड में एक असलाह मिला था, जिसका लाइसेंस नहीं था। वह केस हम लोगों को दिया गया कि आप लोग इसकी जांच करें कि यह सलाह बिना लाइसेंस के कैसे उनके पास है तो इसलिये इसकी जांच हम लोगों ने की और हमने वेट किया कि वे लाइसेंस प्रोड्यूस कर दें क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखकर दिया था।

रिकार्ड में कोई एन्ट्री नहीं मिली है।

सभापति महोदय: 12 तारीख को केस रजिस्टर किया और कोर्ट के सामने पेश किया।

श्री जी॰पी॰ शर्मा: वे पहले ही जेल में थे।

सभापति महोदय: मैजिस्ट्रेट ने उनको कहा था कि एक निश्चित तारीख को पेश किया जाए।

Shri G.P. Sharma: They prepared Warrant B asking the Jail Superintendent, Lucknow that he may be produced on the 15th.

Mr. Chairman: So, he was produced on that day.

Shri G.P. Sharma: No.

Mr. Chairman: Why not?

Shri G.P. Sharma: The Jail Superintendent can tell this thing.

सभापति महोदय: को सफाई कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई।

श्री जी॰पी॰ शर्मा: मुझे कोई जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय: आपके नीचे सबोर्डिनेट आफिसर ने किया।

श्री जी॰पी॰ शर्मा: लखनऊ के जेल सुप्रिंटिडेंट को आदेश था।

सभापति महोदय: बी-वारन्ट इशु हुआ है। उस वारन्ट के मुताबिक पेश किया जाना था वे पेश नहीं किए गए। यह बात आपकी जानकारी में नहीं थी?

श्री जी॰पी॰ शर्मा: यह बाद में मेरी नॉलेज में आई। जब 21 तारीख को पेश हुए हैं, उस दिन मुझे मालूम हुआ है कि उनको 15 तारीख को पेश होना था।

सभापति महोदय: 16 तारीख को कोर्ट ने रिलीज क्यों किया?

श्री जी॰पी॰ शर्मा: 16 तारीख को नहीं किया है, 20 तारीख को रिमान्ड रिफयुजल हुआ है।

सभापति महोदय: 16 तारीख को बेल हुई है।

श्री जी॰पी॰ शर्मा: सीबीआई के केस में बेल हुई है।

सभापति महोदय: जब आर्म्स एक्ट चल रहा था, तो कौन से कारण बन गए कि 16 तारीख को दूसरे एक्ट में एक विशेष एक्ट में विशेष अदालत के सामने पेश किया गया।

श्री जी०पी० शर्मा: दो केस तैयार थे। एक, 342 में मुकद्दमा था, जिसमें बैंक के प्रबन्धक को रॉगफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया और 323 के तहत, जान-माल की धमकी देने का। एक मुकद्दमा 92 में बना था जो तफतीश में प्रकाश में आया। विवादित ढांचा गिराने के सम्बन्ध में।

सभापति महोदय: कोई एफ०आई०आर० पेश की गई?

श्री जी०पी० शर्मा: पहले वाली एफ०आर० रिपोर्ट पेश की गई।

सभापति महोदय: दूसरे केस में?

श्री जी०पी० शर्मा: अंडर इन्वैस्टिगेशन।

सभापति महोदय: आपने गैंगचार्ट देखा है, उसमें 86 से लगातार 92 तक भरा हुआ है। 302 भी उसमें शामिल है।

श्री जी०पी० शर्मा: 302, 307 और 397 है।

सभापति महोदय: यह किस सिलसिले में हुआ?

श्री जी०पी० शर्मा: काफी समय से इनके खिलाफ रिपोर्ट थी। दस साल का रिकार्ड है।

सभापति महोदय: 86 से।

श्री जी०पी० शर्मा: 80 से।

सभापति महोदय: कोई पुराने केसेज की जानकारी है?

श्री जी०पी० शर्मा: पूरे Facts की जानकारी नहीं है। 40 to 50 केसेज हैं, जो चार्ज-शिटेड हैं। 395-97 गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के हैं।

सभापति महोदय: प्रूव हुए हैं?

श्री जी०पी० शर्मा: प्रूव नहीं हुए हैं।

सभापति महोदय: किसी में एक्विटल हुआ है?

श्री जी०पी० शर्मा: 50% में एक्विटल हुआ है।

सभापति महोदय: श्री शुक्ला जो कि कोर्ट के जज हैं, उन्होंने फैसला दिया है कि पुलिस ने कोई गैंगस्टर चार्ट पेश नहीं किया। इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। इसके पीछे आपने कोर्ट में पैरवी नहीं की?

श्री जी०पी० शर्मा: कोर्ट में प्रोसिक्युटिंग आफिसर गए थे। मुझ को दिखाया गया, फैक्टस नही है। FIR में तीन केसेस हैं, एक 342 और दूसरा स्ट्रक्चर गिराए जाने का और एक है 25/27 का गैंगस्टर एक्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं। इस तरह का जजमेंट है कि 25/27 का क्वालिफाई नहीं करते हैं।

Mr. Chairman: As a senior Officer of the Police, is it your assessment or you are saying on the basis of the final judgement of the Court?

श्री जी०पी० शर्मा: रिमान्ड रिफ्युजल का बेस दिया है, हमने जजमेंट पढ़ा है। फैक्टस हमारे सामने हैं। फर्स्ट-टू केसेज का उन्होंने पेश नहीं किया है।

सभापति महोदय: नीचे के आफिसर ने लगातार कोर्ट से फ्री होने के बाद डिटेंशन में क्यों रखा?

श्री जी०पी० शर्मा: रिलीज होने के पहले दो केसेज 12 और 16 तारीख के हैं। हम लोगों को

मालूम है कि अरैस्ट करते हैं तो सूचना देनी है। मैंने पर्सनली टेलीफोन करके पूछा कि आप इन्फारमेशन देंगे या मैं दूंगा? उन्होंने कहा-आप फिक्र मत करिए, मैं दे दूंगा।

Mr. Chairman: Nobody informed the Lok Sabha. On the 8th or 9th, it came here. About 17th and 21st, no information came here. You have to inform both about arrest and release.

You see, the last operating part of the judgement of Shri S.P. Choudhary, chief Judicial Magistrate, Gonda.

Who was responsible to send the information to the Lok Sabha? The information is sent either by the Judicial Magistrate or you.

Shri G.P. Sharma: We have not received any formal communication.

सभापति महोदय: जजमेंट तो कोर्ट में प्रोनाउन्स होता है। कापी नहीं भेजी जाती है।

श्री जी०पी० शर्मा: जानकारी में नहीं लाया गया।

सभापति महोदय: लोक सभा रूल्स तो सबको मालूम है। रोज गिरफ्तारियां होती हैं और रोज रिलीज होते हैं।

श्री जी०पी० शर्मा: यह गलती हुई है।

सभापति महोदय: आप एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते, क्या आपको लगता है कि यह केस फिट था?

श्री जी०पी० शर्मा: जी, हां।

सभापति महोदय: आप कैसे कह सकते हैं कि कंविंस थे?

श्री जी०पी० शर्मा: 25/27 में आर्मस लाइसैंस किसी के पास हो लेकिन जिनके पास Arms हैं, अगर उनके पास समाज के खिलाफ यूज करने की संभावना हो, तो यह आधार होता है।

Mr. Chairman: But in this particular case, the record says that you have taken action against the MP.

श्री जी०पी० शर्मा: लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ था उसी समय हुक्म तहरीरी गाजीपुर को भेजी थी।

सभापति महोदय: यह लाइसेंस जिनके नाम पर है, नवाबगंज के पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तिला भेजी है। क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई?

श्री राम नारायण बैरवा: इसमें लिखा हुआ है अभी इनवेस्टीगेशन जारी है।

सभापति महोदय: मेरा कहना यह है कि क्या ये दोनों इसमें जिम्मेदार हैं?

श्री जी०पी० शर्मा: हां।

सभापति महोदय: क्या यह प्राइमा फेसी केस बनता है?

श्री जी०पी० शर्मा: हां।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य के खिलाफ तो आपने कार्यवाही कर दी लेकिन जिनके नाम पर लाइसेंस हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की?

श्री जी०पी० शर्मा: अभी हुक्म की तहरीरें उन्होंने गाजीपुर को भेजी है।

सभापति महोदयः उनका कहना है कि धारा 30 के अंदर जिला मजिस्ट्रेट ने आर्डर दिया था क्या यह बात ठीक है?

श्री जी॰पी॰ शर्माः हां, यह ठीक है।

सभापति महोदयः उसके बाद अब करीब-करीब डेढ़ महीना होने को आया है। एम॰पी॰ के खिलाफ तो आपने कार्यवाही कर ली लेकिन जिनके नाम पर लाइसेंस है उनके ऊपर आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री जी॰पी॰ शर्माः उनके खिलाफ भी चार्जशीट भेजी है।

सभापति महोदयः हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक कुछ नहीं है।

श्री राम नारायण बैरवाः अभी तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई चार्जशीट पेश नहीं की है, इतना ही हमारा कहना है।

श्री जी॰पी॰ शर्माः यह मैं चेक कर लूंगा।

श्री राम नारायण बैरवाः जहां तक मुझे याद है चालान की पावर एस पी को ही होती है, क्या यह बात सही है। मेरे ख्याल से चालान का आर्डर नहीं होता, क्या यह बात सही है।

श्री जी॰पी॰ शर्माः हम लोगों के पास प्रगति रिपोर्ट आती है उसको देख कर ही हम करते हैं।

सभापति महोदयः क्या सीओ अपने आप एक्शन ले सकता है?

श्री जी॰पी॰ शर्माः सीओ के माध्यम से ही चालान रिपोर्ट जाती है।

श्री राम नारायण बैरवाः गेंगेस्टर वाला प्रश्न भी नहीं है।

श्री जी॰पी॰ शर्माः वह है, उसमें चार्जशीट हमारे थ्रु जायेगी।

सभापति महोदयः इसमें मेरा कहना यह है कि 20 अप्रैल को इनको रिलीज किया। यह मुकद्दमा लगाया गया था और इनको फिर छोड़ दिया गया। इनको जो पार्टी लेकर गई थी, जिसमें कोई इंस्पेक्टर आफ पुलिस लखनऊ के थे, शायद त्रिपाठी थे, उनको आपने कहा कि एब्सकांड कर रहे हैं इसलिए इनको अरेस्ट करो।

श्री जी॰पी॰ शर्माः नहीं, ऐसा नहीं है। वह अपने घर गए और फिर वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।

सभापति महोदयः जब इनको टीम लेकर आई थी तो नीचे के आफिसरों को कहा कि एब्सकांड हो रहे हैं। यह आपने किस बेस पर बोला। सुबोर्डिनेट आफिसर को आपने कैसे बताया?

श्री जी॰पी॰ शर्माः महोदय, जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, यह हमारी कस्टडी में नहीं आये।

सभापति महोदयः इनको 20 तारीख को छोड़ दिया गया। इनको नवाबगंज ले जाया गया।

श्री जी॰पी॰ शर्माः वे जो लाये थे, फैजाबाद रात में रहे, बाद में इनसे रिपोर्ट मांगी गई तो पता चला कि वे अपने घर में ठहरे थे।

श्री संतोष कुमार गंगवारः मैं आपको बताना चाहता हूं जैसाकि इसमें लिखा हुआ है इसको पढ़ने से पता चलता है कि 14 दिन की रिमांड हेतु प्रार्थना की गई यह क्या माना जायेगा। यह 20 तारीख को घर पर सोये। यह जो इसमें सब लिखा हुआ है क्या यह सब बातें सही हैं?

श्री जी०पी० शर्मा: ये बातें सही हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार: आपकी जानकारी में यह है कि इनको 20 तारीख को छोड़ दिया गया। यह घर पर सोये गोंडा पुलिस इनको लेकर नहीं आई यह बात सही है।

श्री जी०पी० शर्मा: हां, सही है।

श्री जी०पी० शर्मा: हमारी पुलिस लेकर नहीं आई, लखनऊ का स्क्वेड साथ था।

श्री संतोष कुमार गंगवार: शाम के 9 बजे नवाबगंज के पुलिस लाकअप में रखा गया, आपके रिकार्ड के मुताबिक ये आपके थाने में नहीं रहे?

श्री जी०पी० शर्मा: जी हां।

श्री संतोष कुमार गंगवार: मैं चाहूंगा कि इसको आप एक बार फिर से चैक कर लें।

श्री जी०पी० शर्मा: मैंने पूरा चैक कर लिया है।

श्री संतोष कुमार गंगवार: इस समय भी आप गोंडा में ही हैं?

श्री जी०पी० शर्मा: जी हां।

श्री संतोष कुमार गंगवार: आपको गोंडा में एक वर्ष से अधिक हो गया है, तो क्या आपको श्री बृजभूषण सिंह के आपराधिक चरित्र के बारे में नीचे के अधिकारियों से समय समय पर शिकायतें प्राप्त हुई, यदि हुई तो इस बारे में आपने क्या परामर्श दिया?

श्री जी०पी० शर्मा: 1992 में 342 में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन बाद में वादी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और लोक अदालत में यह मामला सैटल हो गया था।

श्री संतोष कुमार गंगवार: 12 तारीख को 25/27 का मामला रजिस्टर्ड हुआ था, उसी दिन गेंगेस्टर का मामला रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया गया? साफ जाहिर है कि क्योंकि 16 तारीख को छूट रहे थे इसलिए इस तरह से किया गया।

श्री जी०पी० शर्मा: ऐसी बात नहीं है। 17 तारीख को तो पेशी थी। 17 तारीख को बेल भरी गई थी।

श्री संतोष कुमार गंगवार: 16 को स्वीकृत हुई तभी तो 17 को भरी जा सकी।

सभापति महोदय: 21 तारीख को फायनल रिलीज हो गई थी, फिर आपने लोक सभा अध्यक्ष को सूचना क्यों नहीं भेजी?

श्री जी०पी० शर्मा: जानकारी न होने के कारण यह गलती हुई।

सभापति महोदय: आप इतने सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोक सभा और विधान सभा सदस्यों के प्रति कुछ आब्लीगेशंस हैं। 21 तारीख को जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था, उस वक्त भी वहां पर आपके पुलिस आफिसर जरूर मौजूद होंगे।

श्री जी०पी० शर्मा: मैंने बताया है कि मेरी जानकारी के अनुसार जिन्होंने वारंट रिलीज किया है, उनकी तरफ से ही सूचना जाएगी, जो प्रोफार्मा है उसमें भी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, कार्यवाहक मेजिस्ट्रेट लिखा हुआ है।

श्री राम नारायण बैरवा: उस वक्त एग्जीक्यूटिव आफिसर कौन था।

श्री जी०पी० शर्मा: मुझको जानकारी देनी चाहिये थी, मैं अरेस्ट की सूचना देने के बारे में तो श्योर था, लेकिन रिलीज के बारे में सूचना देने के बारे में मैं श्योर नहीं था, इसलिए मुझ से यह गलती हुई है।

श्री राम नारायण बैरवा: 17 तारीख को बेल हो गई, उसके बाद अक्यूज्ड आपके केस के अंतर्गत रहा, 25/27 में गिरफ्तार रहा, उसकी इंटीमेशन भी आपने नहीं दी?

श्री जी०पी० शर्मा: मेरा ख्याल था कि जिनहोंने आदेश दिया है, उनको ही इंटीमेशन देनी है। प्रोफार्मा में भी यही है।

श्री राम नारायण बैरवा: आपने ज्यूडिशल कस्टडी के लिए रिमांड मांगा, अक्यूज्ड आपके पास था, लेकिन आपने इसकी इंटीमेशन नहीं भेजी और न ही रिलीज की इंटीमेशन भेजी।

श्री जी०पी० शर्मा: मुझसे यह गलती हुई कि मैंने समझा कि जो वारंट बनाएंगे, वे ही इंटीमेशन देंगे, इस तरह से हम लोग इंटीमेशन नहीं दे पाए। जो प्रोफार्मा देखा था, उसमें भी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, कार्यवाहक मेजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। इस कारण से इनफारमेशन नहीं भेजी जा सकी।

(The witness then withdrew)

(4) Evidence of Shri J.M. Tripathi, Inspector of Police, Lucknow, U.P.

Mr. Chairman: Shri Tripathi, you have been asked to appear before this Committee to give your evidence in connection with the question of privilege regarding non-intimation of the alleged re-arrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P., by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha.

I may inform you that under rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to the Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House.

Now you may please take oath or make affirmation as you like.

श्री जे०एम० त्रिपाठी: मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य मैं दूंगा वह सच होगा और मेरे साक्ष्य का कोई अंश झूठ नहीं होगा।

सभापति महोदय: लखनऊ में आपकी पोस्टिंग कहां है?

श्री जे०एम० त्रिपाठी: थाना बाजार में है।

सभापति महोदय: 20 अप्रेल के दिन कहां थे?

श्री जे०एम० त्रिपाठी: पुलिस लाइन लखनऊ में।

सभापति महोदय: वहां कितने पुलिस के लोग रहते हैं?

श्री जे०एम० त्रिपाठी: आर्म्ड पुलिस के भी हैं और सिविल पुलिस के भी हैं। जिलों से ट्रांसफर होकर आते हैं वे भी रहते हैं।

सभापति महोदय: आपके ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी?

श्री जे०एम० त्रिपाठी: मैं एस्कॉर्ट में था।

सभापति महोदय: सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ लखनऊ से फैजाबाद आप ही गये थे?

श्री जे०एम० त्रिपाठी: जी हां। उनका रिमांड था कि 20 तारीख को फैजाबाद के मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाये। एक गोंडा का भी वारंट था। फैजाबाद में ये छूट गये, बाद में मैं इनको गोंडा ले गया, समय समाप्त हो गया था, मजिस्ट्रेट चले गये थे इसलिए दूसरे दिन इनको पेश किया, वहां भी ये छूट गये।

सभापति महोदय: आप फैजाबाद जेल में कब लेकर पहुंचे?

श्री जे०एम० त्रिपाठी: दोपहर को करीब एक, डेढ़ बजे, उसी दिन रिमांड था।

सभापति महोदय: जेल ले गये थे या पुलिस स्टेशन ले गये थे?

श्री जे०एम० त्रिपाठी: गैंगस्टर मजिस्ट्रेट के सामने ले गये थे।

सभापति महोदय: आपको आर्डर नहीं मिला फैजाबाद जेल में रखने का तो 20 तारीख को कहां रखा?

श्री जे०एम० त्रिपाठी: नवाबगंज में उनका अपना मकान है वही रखा, थाने में नहीं रखा।

सभापति महोदय: यह कहा गया है कि उनको 9 बजे ले जाया गया और थाने में लाकअप में रखा।

श्री जे०एम० त्रिपाठी: जी नहीं, सांसद को लाकअप में नहीं रख सकते। उनके ही मकान में रखा था और सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।

श्री संतोष कुमार गंगवार: अगर अगले दिन अभियुक्त को हाजिर करना हो तो उसके घर ठहराना, क्या यह उचित है? क्या इसकी अनुमति है?

श्री राम नारायण बैरवा: लखनऊ जेल से क्या आर्डर मिला था, कोई लिखत में मिला था?

श्री जे०एम० त्रिपाठी: जी हां।

सभापति महोदय: एस०पी० लखनऊ का आदेश मिला था तो आपको लखनऊ जेल से फैजाबाद जेल ट्रांसफर करना था, वारंट भी था।

श्री जे०एम० त्रिपाठी: वारंट था।

सभापति महोदय: इसमें कोर्ट के आर्डर की क्या जरूरत थी जब लखनऊ जेल ने फैजाबाद ट्रांसफर किया तो सीधे फैजाबाद की जेल में ले जाना था।

श्री जे०एम० त्रिपाठी: जेल से आर्डर नहीं मिला था और न्यायालय में दाखिल हो गया था।

सभापति महोदय: जो एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर था और गोण्डा के दूसरे मुकदमे में उन्हें पेश किया जाना था और 20.4.93 को पेश होना था और पेशगी के दूसरे दिन उन्हें फैजाबाद जेल में रखवा दिया?

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: 20 को उनको पेश किया उनका वारंट नहीं बना। बिना वारंट के उन्हें जेल में दाखिल नहीं करना था, 25 तारीख को गौण्डा में सुनवाई होनी थी।

सभापति महोदय: आपका तो गौण्डा से ताल्लुक नहीं था? नवाबगंज वहां से कितना दूर है?

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: 40-45 किलोमीटर दूर है।

सभापति महोदय: उनको नवाबगंज ले जाने की क्या जरूरत थी? आपको आदेश केवल फैजाबाद की जेल में ले जाने का था?

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: 20 को तिथि थी तो 20 को मैंने पेश कर दिया।

सभापति महोदय: आप नवाबगंज किस आधार पर ले गए? यह मान लिया जाए कि सांसद महोदय घर पर रहे तो उन्हें आपने कैसे छोड़ दिया? जब वह अदालत में पेश नहीं हुए, जेल में नहीं रहे तो उनको आपने कैसे छोड़ दिया?

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: फैजाबाद में ही सुनवाई के दौरान विलंब हो गया। वहां रात हो गई और कचहरी बंद हो गई थी।

सभापति महोदय: मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि आपको तो उन्हें फैजाबाद जेल के सुपुर्द करना था? आप उनको ऐस्कार्ट कर रहे थे। आप उन्हें लखनऊ से फैजाबाद जेल में रख दें ऐसे आपको आदेश थे। रिमांड दाखिल नहीं हुआ तो आपको उन्हें कहां ले जाना चाहिए था? क्या आप उनको छोड़ देते? गैंगस्टर ऐक्ट की एक धारा के अंतर्गत उनको स्पेशल जज के सामने पेश होना था। मान लीजिए वह भाग जाते तो आप क्या करते?

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: हम तो उन्हें पूरी सुरक्षा में ले गए थे। वहां कचहरी बंद हो गई थी। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि कल लाइएगा। हमने उन्हें अपनी सुरक्षा में रखा।

सभापति महोदय: अगर उनके साथ कोई घटना हो जाती तो कौन उसका जिम्मेदार होता? सुरक्षा के लिए उन्हें घर में रखा जाना चाहिए था या जेल में रखा जाना चाहिए था?

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: उन्हें हथकड़ी नहीं लगानी थी, हवालात में बंद नहीं करना था इसलिए घर पर ले गए।

श्री राम नारायण बैरवा: नियम यह होता है कि थाने में बंद करो आपने ऐसा नहीं किया

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: हमने उन्हें अपनी देख रेख में घर में रखा।

सभापति महोदय: ऐसा कोई उदाहरण पहले हुआ है? अगर उनके साथ कोई घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती?

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: मेरी होती।

सभापति महोदय: आप क्या समझते है कि घर पर ज्यादा सुरक्षा होती है? यह गलत बात है। आपको लखनऊ जेल से सीधा फैजाबाद ले जाने के आदेश थे। नहीं तो आपको थाने में या पुलिस लाईन में रखना चाहिए था।

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: उनको हवालात में बंद नहीं करना था। उनकी मान-मर्यादा का ध्यान रखना था।

सभापति महोदय: अगर मान मर्यादा का ध्यान रखा होता तो उन पर जो विभिन्न ऐक्ट्स में केसेज

बनाए गए थे वह न बनाए जाते।

श्री राम नारायण बैरवा: मजिस्ट्रेट साहब ने उनको छोड़ दिया और आपने भी छोड़ दिया और उसके बाद जो एस॰पी॰ गोण्डा थे उन्होंने आपको फरारी का मुकदमा दर्ज कराने को कहा। आपने मना कर दिया। उसके बाद थाने वाले उनको थाने ले गए।

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: मैं उनको खुद लेकर गया।

श्री संतोष कुमार गंगवार: 21 तारीख को अदालत में किसने पेश किया? अगर आप अदालत का रिकार्ड देखें तो थाना गोण्डा के विवेचना अधिकारी ने प्रस्तुत किया है।

श्री तेज नारायण सिंह: 21 तारीख को आपने उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया और लिखित रूप में दिया है कि मैं लखनऊ जेल से इनको फैजाबाद जेल में बंद करा रहा हूं। यह जो आपके रिकार्ड में नकल है यह सही नकल है कि आप सुबह 6.20 बजे लखनऊ जेल से रवाना हुए?

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: सुबह 6.20 बजे पुलिस लाईन से रवाना हुए।

सभापति महोदय: क्या इसमें आपका नाम है?

श्री जे॰एम॰ त्रिपाठी: जी हां, हम रहे हैं।

सभापति महोदय: इसमें कांस्टेबल श्रीकृष्ण सिंह, नं॰ 546, राम मिलन यादव न॰ 1162, कांस्टेबल प्रदीप कुमार नं॰ 944 के नाम हैं, जिसमें कहा गया है कि इनको आर्मरी और 50-50 कारतूस देकर भेजा गया, एक वाहन यू पी 34-1869 दिया गया और सांसद श्री बृज भूषण शरण सिंह को जिला कारागार लखनऊ से जिला कारागार फैजाबाद तक पहुंचाने का काम सौंपा गया। आप हमें यह नहीं बता सके कि जब एम पी साहब को फैजाबाद ले जाने के आदेश थे तो आपने उनको घर पर ले जाकर क्यों रखा। एम पी साहब कहते हैं कि उनको पुलिस चौकी पर रखा गया। फिर 21 तारीख को जब मजिस्ट्रेट ने उनको छोड़ा तो उस समय उन्हें विवेचना उप-निरीक्षक, श्री उपाध्याय, थाना नवाबगंज, जिला गोंडा द्वारा 14 दिन के रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया। इसमें कहीं भी आपका नाम नहीं है।

श्री जे॰ एम॰ त्रिपाठी: मुझे परमीशन मिली थी, इसमें लिखा है। उस समय मुझे ड्यूटी पर ले गये थे। न्यायालय के आदेश हैं। यह हो सकता है कि किसी दूसरे ने पेश किया हो।

सभापति महोदय: आप निःसंकोच बताइये, आपके पास जो भी जानकारी हो, हमें दीजिए। दिनांक 21.4 का जो आदेश है, उसमें एम पी साहब के खिलाफ जितनी धाराएं लगाई गई थीं उन सब को निरस्त करने के बाद कहा गया है कि लोक सभा के स्पीकर को सूचित किया जाए। यदि आपने उनको न्यायालय में कभी प्रोड्यूस किया था तो वहां से जो सर्टिफिकेट मिलता है वही दिखाइये। हमारे पास डिवीजनल मजिस्ट्रेट के आदेश हैं जिसमें उन्होंने दोनों मुकदमों को रिजैक्ट किया है और लोक सभा के स्पीकर साहब को सूचित करने के लिए कहा है। यह जजमेंट का औपरेटिव पार्ट है। इसमें कहां लिखा है कि आपको उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के आदेश थे।

श्री जे॰ एम॰ त्रिपाठी: इसमें तो नहीं है। यदि आप कहें तो मैं लिखवाकर दे सकता हूं।

सभापति महोदय: दो बातें तो बिल्कुल साफ हैं कि उनको लखनऊ जेल से पुलिस की एस्कोर्ट में फैजाबाद जेल तक ले जाना था। यह रिकार्ड मे मौजूद है। आपको सीधे वहां से फैजाबाद ले जाना था। मान लीजिए कि यदि उनको रिमांड नहीं मिला, जैसे आप कहते हैं, तो आपको चाहिए था कि आप उन्हें

पुलिस स्टेशन में रखते या जेल में रखते लेकिन दोनों जगहों में से आपने उनको कहीं नहीं रखा बल्कि घर पर रखा। एम० पी० साहब का कहना है कि उनको पुलिस की लौक-अप में रखा गया। हम जानना चाहते हैं कि सही बात क्या है?

श्री जे० एम० त्रिपाठी: सही बात तो यह है कि उनको घर पर रखा गया।

श्री राम नारायण बैरवा: यह तो और भी गलत है। जब किसी के पास हथियार होते हैं तो कहीं न कहीं उनकी आमद करायी जाती है। न तो आपने थाने में उनकी आमद कराई और न पुलिस स्टेशन में आमद कराई। जब भी किसी के पास ऐसी चीजें होती हैं तो कहीं न कहीं उनकी आमद कराना जरूरी है। पुलिस रैगुलेशन में इसकी व्यवस्था है। आपने कहीं भी आमद नहीं कराई बल्कि एम० पी० साहब को घर पर रखा। आमद कराना जरूरी है या नहीं आप बताइये?

श्री जे० एम० त्रिपाठी: हमने आमद नहीं कराई।

श्री राम नारायण बैरवा: यह काम आपने गलत किया। आपने सेफ कस्टडी में मुलजिम को नहीं रखा। आपने सारे काम गलत किए।

श्री जे० एम० त्रिपाठी: उनको थाने में नहीं रखा गया था।

श्री राम नारायण बैरवा: आमद कराना तो बहुत जरूरी होता है। सफर में आप चलते हो तो दूसरी बात है लेकिन किसी पुलिस स्टेशन पर यदि आप पहुंचते हैं तो आमद कराना जरूरी होता है।

श्री जे० एम० त्रिपाठी: हमने सोचा था कि जेल सुपरींटैंडेंट के सुपुर्द कर देंगे।

सभापति महोदय: लेकिन जेल सुपरींटैंडेंट ने भी तो आपको कोई चिट्ठी नहीं दी थी।

श्री जे० एम० त्रिपाठी: जी, हां।

सभापति महोदय: आपने उसको ले जाकर जेल सुपरींटैंडेंट फैजाबाद को दिया। लेकिन आप उनको लखनऊ से फैजाबाद जेल में तो नहीं ले गए थे। आपको तो सिर्फ उन्हें फैजाबाद की जेल में ले जाना था। वहां आप उन्हें ले नहीं गए। यह सही बात नहीं है। अच्छा ठीक है। आप जा सकते हैं।

(The witness then withdrew)

The meeting then adjourned.

Thrusday, 6 July, 1993

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Narain Berwa
3. Shri Santosh Kumar Gangwar
4. Shri Allola Indrakaran Reddy
5. Shri Tej Narayan Singh

SECRETARIAT

Shri T.S. Ahluwalia—*Joint Secretary*

Shri V.K. Sharma—*Assistant Director*

WITNESSES

1. Shri B.D. Ram, District Magistrate, Gonda, U.P.
2. Shri H.P. Choudhury, Second Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, U.P.
3. Shri Yaduvendra Shukla, Superintendent, District Jail, Lucknow, U.P.

(The Committee met at 11.25 hours.)

(1) *Evidence of Shri B. D. Ram, District Magistrate, Gonda, U.P.*

Mr. Chairman: Mr. B. D. Ram, you have been asked to appear before this Committee to give your evidence in connection with the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP by police at Lucknow on 17 and 20 April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha.

I may inform you that under rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to the Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House.

Now you may please take oath or make affirmation as you like.

श्री बी० डी० राम: मैं, श्री बी० डी० राम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, गोंडा, उत्तर प्रदेश, ईश्वर की शपथ

लेता हूं कि मैं इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सच्चा होगा, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा और मेरे साक्ष्य का कोई अंश झूठा नहीं होगा।

Mr. Chairman: Are you in the I.A.S.?

Shri B. D. Ram: I am a promoted officer. I was inducted in P.C.S. in 1963. Then, I was promoted to IAS in 1983. I am from the State Civil Service.

Gonda is my second assignment. Prior to coming to Gonda district, I was Joint Secretary in the Housing Department for seven months. Prior to that, I was district magistrate in Hardoi, which is a small district.

Mr. Chairman: What is the population of Gonda district?

Shri B. D. Ram: It is 36 lakhs as per the census of 1991. It has seven tehsils.

Nawabganj is an important Kasba of Gonda district.

Mr. Chairman: At what time you were there?

Shri B. D. Ram: I joined on 4th july, 1992 at Gonda. Now I am under orders of transfer. I was transferred only yesterday.

सभापति महोदय: यह जो केस है क्या इस बारे में आपको जानकारी है?

श्री बी० डी० राम: यह सी० बी० आई वाला केस नहीं है।

सभापति महोदय: आपके पास जो केस लगाया गया है उसकी आपके पास जानकारी है।

श्री बी० डी० राम: हां।

सभापति महोदय: क्या आप हमें इस केस के फेक्टस बता सकते हैं?

श्री बी० डी० राम: महोदय, ऐसा है कि एक रायफल इनके मकान से मिली। इन्होंने यह कहा था कि हम बाद में अपको कागजात दिखा देंगे और लिखित में इन्होंने दिया लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अल्टीमेटली पुलिस ने इनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कर दी।

सभापति महोदय: क्या आपने यह नहीं सोचा कि यह एक माननीय सदस्य का केस है?

श्री बी० डी० राम: हमने इस बात का ख्याल रखा था कि यह एक माननीय सदस्य का केस है।

Mr. Chairman: Before sanctioning the prosecution, did you verify the facts throughly?

Shri B. D. Ram: Normally we go through the papers submitted to us and 'we normally accord sanction only when we are satisfied. I had seen papers and satisfied myself.

Mr. Chairman: In this particular case, a Member of Parliament was involved. You have to be doubly sure.

यह जो रायफल इनके पास से मिली तो इन्होंने कहा और लिख कर भी दिया कि मैं आपको जल्दी लाइसेंस पेश कर दूंगा।

श्री बी॰ डी॰ राम: इन्होंने यह कहा था और मुझे जो सूचना दी गई। उस समय जो व्यक्ति वहां मौजूद था उसने कहा कि आप कागजात दिखा देना लेकिन इन्होंने कागजात नहीं दिखाये।

Facts were there. Irrespective of the fact that it is a case involving the Member of Parliament.

सभापति महोदय: यह तलाशी तो 8 तारीख को हुई थी।

श्री बी॰ डी॰ राम: यह सी॰ बी॰ आई॰ ने तलाशी ली।

सभापति महोदय: आपने 4 तारीख को किस प्रकार की जानकारी ली।

श्री बी॰ डी॰ राम: उन्होंने कहा था कि कागज आपको दिखा दिये जायेंगे, इसलिये हम लोगों ने कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय: यह रायफल का केस किस के नाम पर था?

श्री बी॰ डी॰ राम: यह किसी और के नाम पर था जो गाजीपुर जिले का आदमी है। अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी के लिये भी लोगों ने लिखा।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य के खिलाफ तो आपने कार्यवाही शुरू कर दी लेकिन उनके खिलाफ अभी तक आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

Shri B. D. Ram: It was not shown to the Police Officer. They had no option except to proceed against him. अगर चार्जशीट फाइल न की गई होती तो तफतीश के दौरान उसको कर लिया जाता, लेकिन अब चार्जशीट कोर्ट में चली गई है इसलिए अब इस पर कुछ नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय: उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये थी।

श्री बी॰ डी॰ राम: जहां तक हमें जानकारी है अभी तक सिर्फ माननीय सदस्य के खिलाफ ही तफतीश लगी है वह व्यक्ति जब दोषी माना जायेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

सभापति महोदय: वह भी इसके लिये उतना ही जिम्मेदार है।

श्री बी॰ डी॰ राम: हां, वह भी इसमें उतना ही जिम्मेदार है।

सभापति महोदय: आप उसकी अभी क्या जांच करेंगे?

श्री बी॰ डी॰ राम: पुलिस वाले जो तफतीश करते हैं वह देखेंगे।

सभापति महोदय: पुलिस ने तफतीश कर दी, मानीय सदस्य की, और उन्होंने पाया कि इल्लिगल रायफल को अपने पास रखा।

Two persons are responsible for this. Under the Arms Act, Member of Parliament is also responsible. He committed certain irregularities. At the same time, a person in whose name the licence was issued, he did not keep the rifle with him and he actually gave it to the Member of Parliament. Under what circumstances, he gave the rifle to the Member of Parliament? Was it inquired into? इसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं तो इसमें और छानबीन की क्या आवश्यकता है?

श्री बी॰ डी॰ राम: इसमें बड़ी जल्दबाजी में काम हो गया। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी वह

सूचना देते समय इनकी बातों से यह नहीं लगा कि इन्होंने जो कागजात पेश करने की बात कही, वह उसी लाइसेंस के बारे में कहा और उनके नाम पर कागजात हैं या और किसी के नाम पर कागजात हैं, यह बात इस समय तक स्पष्ट नहीं की गई थी।

सभापति महोदय: वहां की रिपोर्ट के मुताबिक फलां-फलां आदमी के नाम पर यह रायफल रजिस्टर्ड है, यह रिपोर्ट गाजीपुर थाने से आ गई है नवाबगंज थाने में। उसके बावजूद भी मेंम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट को आपने चार्जशीट किया है।

श्री बी॰ डी॰ राम: जैसाकि हमें बताया गया है इसकी जानकारी उस शाम पुलिस आॅफिसरों को नहीं दी, इसकी जानकारी बाद में दी गई। अगर उस समय इसकी जानकारी हो गई होती तो ऐसा न किया होता।

सभापति महोदय: 24 मार्च को आपने ही इनको प्रोसीक्यूशन के लिये आर्डर दिया और उस समय क्या आपको गाजीपुर थाने से जानकारी मिल चुकी थी कि यह लाइसेंस दूसरे व्यक्ति के नाम पर है।

Simultaneously, why did not order prosecution of that gentleman?

Shri B. D. Ram: We act on the police report. On our own, we seldom take any action.

सभापति महोदय: हमें जो जानकारी मिली है उससे यह पता चलता है कि The possession of the rifle was somewhere else. This was known to everybody. Simultaneously you should have issued order for prosecution of the gentleman also.

Shri B. D. Ram: As I submitted earlier, we normally give sanction to such cases on police report. अभी चूंकि उसकी तफतीश कंपलीट नहीं हुई है इसलिए अभी कुछ नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय: इसकी आप क्या तफतीश करना चाहते हैं जब आपको मालूम पड़ गया कि रायफल दूसरे व्यक्ति के नाम पर है?

श्री बी॰ डी॰ राम: इसका आधार यही था कि असला दूसरी जगह पर पाया गया।

सभापति महोदय: रायफल तो रेड में एम॰पी॰ के यहां पाई गई, आपने 24 मई को प्रोसीक्यूशन के आर्डर्स दिए थे, लेकिन जिसकी रायफल थी, उसके खिलाफ प्रोसीक्यूशन पेश नहीं किया गया, इसकी क्या वजह थी?

श्री बी॰ डी॰ राम: यह रूटीन प्रोसीजर है कि पुलिस अफसर की रिपोर्ट पर हम एक्ट करते हैं।

सभापति महोदय: इनके खिलाफ भी सेक्शन 30 का मुकदमा बनता है, आपके आदेश के लास्ट पैरा से भी साफ जाहिर है कि प्राइमाफेसी केस बनता है, लेकिन चालान सिर्फ सांसद के खिलाफ पेश किया गया।

श्री बी॰ डी॰ राम: पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन थी, उसको अरेस्ट करने की कार्यवाही भी विचाराधीन थी।

श्री तेज नारायण सिंह: आरोप पत्र सिर्फ एम॰ पी॰ के खिलाफ प्रस्तुत किया गया?

श्री बी॰ डी॰ राम: आरोप पत्र पुलिस ने प्रस्तुत किया था।

श्री तेज नारायण सिंह: उस आरोप पत्र में एक आदमी को अब्सकांडर नहीं दिखाया गया?

श्री बी० डी० रामः उसके अब्सकांड करने की सूचना पुलिस को नहीं थी।

श्री तेज नारायण सिंहः जब चार्जशीट पेश की गई तो एक आदमी को कैसे छोड़ दिया गया?

श्री बी० डी० रामः नहीं, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री तेज नारायण सिंहः लेकिन उसको अब्सकांडर नहीं दिखाया गया।

श्री बी० डी० रामः सूचना के अनुसार हुक्म तहरीरी किया हुआ है, उसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है।

श्री तेज नारायण सिंहः एक एम० पी० को तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन एक साधारण नागरिक, जिसके नाम से लायसेंस था, वह आदमी अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।

श्री बी० डी० रामः मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री तेज नारायण सिंहः आपने अभी तक इस बारे में कोई पहल नहीं की। यह डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है कि यदि कोई अब्सकांड कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करवाया जाए।

श्री बी० डी० रामः मैंने इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं समझी, क्योंकि पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही थी, फिर भी मैं इसको देख लूंगा।

श्री तेज नारायण सिंहः चार्जशीट तो आपके आदेश पर लगाई जाती है? जब पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया तो क्या आपने पुलिस से पूछा कि मुदालय कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुआ है।

श्री बी० डी० रामः कागजात को देखने से मुझे संतोष हो गया था कि उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

श्री तेज नारायण सिंहः आपने दोनों आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। आपने एब्सकांडर घोषित करने का निर्देश दिया था।

श्री बी० डी० रामः हम भी करते हैं, कोर्ट भी करता है। उस वक्त इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

श्री तेज नारायण सिंहः मुझे समझ में आता है कि जानबूझ कर सांसद महोदय को फंसाया गया और असली मुजरिम को छोड़ दिया।

श्री बी० डी० रामः ऐसा नहीं है। मैं जनप्रतिनिधियों की इज्जत करता हूं, मैंने कभी ऐसा मौका नहीं दिया।

सभापति महोदयः दो का प्रोसीक्युशन था, एक का मंजूर कर लिया, एक का प्राइमाफेसी केस बनता है, आपने आर्डर में होल्ड कर लिया, यह बात अजीब लगती है।

श्री बी० डी० रामः उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है।

सभापति महोदयः केस की जानकारी आपके पास थी तो करना चाहिये था।

श्री तेज नारायण सिंहः आपने बयान दिया कि आप पहले जानते तो सांसद महोदय को इस मुकदमे में नहीं आने देते। क्या आप केस विदड्रा कर सकते हैं, क्योंकि जिलाधीश को पावर होती है।

श्री बी० डी० रामः फौजदारी मुकदमें में विदड्रा का आदेश सरकार को होता है। अगर वह करे

तो जिलाधीश की राय जरूर ली जाती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इसका अधिकार नहीं है। चार्ज शीट कोर्ट में जा चुकी है। इसलिए मेरे लिए कुछ करना।

श्री तेज नारायण सिंह: सांसद महोदय को जेल से कब छोड़ा गया?

श्री बी॰ डी॰ राम: गोंडा में नहीं रखा गया।

श्री तेज नारायण सिंह: किस तारीख को लखनऊ जेल से रिलीज हुए?

श्री बी॰ डी॰ राम: 8 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, इनको लखनऊ भेज दिया गया था।

श्री तेज नारायण सिंह: लखनऊ जेल से कब छूटे, जेलर ने आपको क्या बताया?

श्री बी॰ डी॰ राम: मैं गोंडा में हूं। लखनऊ के मजिस्ट्रेट ने इनको 16 तारीख को छोड़ा। इस बीच में वारंट भी दिया गया गेंगस्टर का, छोड़ने के बजाय इनको फैजाबाद भेज दिया।

सभापति महोदय: फैजाबाद जेल में रहे?

श्री बी॰ डी॰ राम: स्पेशल जज गेंगस्टर की कोर्ट में 20 तारीख को प्रस्तुत किया गया, वहां छोड़ दिया गया। गोंडा का भी वारंट था। 21 तारीख को वहां ले गये। वहां भी छोड़ दिया गया।

श्री तेज नारायण सिंह: लखनऊ जेल से रिलीज हुए, उसी दिन आपके प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने की सूचना लोक सभा के अध्यक्ष को आपने नहीं दी।

श्री बी॰ डी॰ राम: सूचना देने की जिम्मेदारी उनकी थी जिन्होंने छोड़ा था।

सभापति महोदय: गोंडा जेल में नहीं रहे, लेकिन फैजाबाद जेल में ट्रांसफर किया गया 20 को छोड़ा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मि॰ शुक्ला ने, लखनऊ जेल से फैजाबाद जेल में ट्रांसफर किया तो फैजाबाद जेल में नहीं गये, फिर कहां रहे?

श्री बी॰ डी॰ राम: फैजाबाद जेल में नहीं गये, नवाबगंज में रात को अपने घर रखे गये थे।

सभापति महोदय: अंडर कस्टडी थे?

श्री बी॰ डी॰ राम: पुलिस के लोग थे।

सभापति महोदय: कोर्ट के आर्डर थे सेफ कस्टडी के, उसमें अलग-अलग कांस्टेबल्स के नाम दिये गये हैं, गाड़ियों का नम्बर दिया गया है, यह भी है कि इतनी राइफल्स होंगी, इतने कारतूस होंगे। इसलिए आपको फैजाबाद जेल में भेजना था वह काम आपने नहीं किया। घर में कोई घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होती?

श्री बी॰ डी॰ राम: वैसे घर में नहीं रखना चाहिये था।

सभापति महोदय: हमें जानकारी है कि नवाबगंज थाने में रखा।

श्री बी॰ डी॰ राम: हमें बताया गया कि कि घर में रहे।

सभापति महोदय: घर में तो और भी ज्यादा खराब है।

श्री बी॰ डी॰ राम: ट्रांजिट में थे कहीं भी रह सकते थे। मेरा सबमीशन यह है कि घर में नहीं रखना चाहिये था। हो सकता है पुलिस वालों की गलती हो।

सभापति महोदय: जिन्होंने घर पर रखा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

श्री बी॰ डी॰ राम: इसको देखेंगे कि क्या हो सकता है?

सभापति महोदयः सेफ कस्टडी में उनकी जिम्मेदारी थी, वह उन्होंने नहीं निभाई, जिलाधीश के नाते आपने क्या कार्रवाई की?

श्री बी० डी० रामः सेफ कस्टडी का पालन किया, वरना भाग गये होते, तब हम कुछ कहते।

सभापति महोदयः आपने नहीं निभाया, अगर भाग जाते तो क्या करते?

श्री बी० डी० रामः मेरी पूरी जिम्मेदारी थी।

सभापति महोदयः लखनऊ जेल से ट्रांसफर किया है बाकायदा रूक्का लिखा गया फैजाबाद की जेल को और पुलिस लाइन से रवानगी की गई। पुलिस लाइन की तहरीर है कि उसमें कितनी राइफल्स होंगी, कौन सी जीप जायेगी, कौन-कौन से कांस्टेबल जायेंगे, कौन इंचार्ज होगा, मि० त्रिपाठी टीम को लीड कर रहे थे। उनको केवल ऐस्कोर्ट ड्यूटी के लिए कहा मगर उनको स्पैसैफिक ड्यूटी अलाट नहीं हुई थी। और वह ऐस्कोर्ट ड्यूटी का काम करते थे। इन सबके बावजूद भी उनको फैजाबाद जेल में नहीं ले जाया गया, कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया और इन सब चीजों को अवाइड करके आप कहते हैं कि उनको घर पर रखा गया और एम०पी० साहब कहते हैं कि उनको थाने में रखा गया।

श्री बी० डी० रामः मैं इसको देखूंगा। वैसे इसमें कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई। उनको आदेश थे कि उनको सीधा गौंडा ले जाना चाहिए था लेकिन बीच में लगता है कि किसी वजह से वह घर पर रखे गए।

श्री राम नारायण बैरवाः जब किसी एम०पी० को गिरफ्तार किया जाता है तो एस०पी० आपको भी सूचित करते होंगे कि फलां एम०पी० को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री बी० डी० रामः इनफार्म करते हैं और नहीं करते हैं तो हम जानकारी करते हैं। इस केस में हमने जानकारी की तो हमें बताया गया कि सी०बी०आई० वालों ने इसकी सूचना भेज दी।

श्री राम नारायण बैरवाः जिस तरह से अरेस्ट की इनफार्मेशन होती है उसी तरह से रिलीज की भी इनफॉर्मेशन होती होगी?

श्री बी० डी० रामः एक बाहर की पार्टी ने अरेस्ट किया था उस समय हमारे दिमाग में बात आई कि हो सकता है कि उन लोगों ने इनफार्मेशन न भेजी हो। लेकिन हमें बताया गया कि उन्होंने इनफार्मेशन भेज दी थी। जहां तक ACGM द्वारा रिलीज किए जाने की बात है केन्द्र और राज्य सरकार के बड़े सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी और रिलीज होने की सूचना माननीय लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति अथवा संबंधित विधान सभा अध्यक्ष को भेजी जानी चाहिए। इसलिए हमने यह समझा कि इन लोगों ने सूचना भेज दी है। हमें इंटीमेट करने की जिम्मेदारी कहीं नहीं है।

श्री राम नारायण बैरवाः एक्जीक्यूटिव में एस०पी० और कलेक्टर दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है?

सभापति महोदयः इसमें जो प्रोफोर्मा दिया है उसमें लिखा है कि जज, मजिस्ट्रेट और एक्जीक्यूटिव अथारिटी तीनों की जिम्मेदारी होती है। आप गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्जीक्यूटिव अथारिटी हैं।

श्री बी० डी० रामः पर इस एक्ट के तहत मैंने कुछ सैंक्शन नहीं किया है।

सभापति महोदयः दोनों केसेज में आपने सैंक्शन किए हैं।

श्री बी० डी० रामः गैंस्टर एक्ट में तो हमने सैंक्शन नहीं किया है।

सभापति महोदयः किसने किया है?

श्री बी॰ डी॰ राम: उन्होंने तो पुराने अभिलेखों के आधार पर एक रिपोर्ट दर्ज कर दी और कार्रवाई शुरू कर दी।

सभापति महोदय: यू॰पी॰ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है?

श्री बी॰ डी॰ राम: एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि डी॰एम॰ की परमीशन ली जाए। हमारे यहां निर्देश है कि किसी भी चार्जशीट से पूर्व डी॰एम॰ की एप्रूवल ली जाए।

सभापति महोदय: इसमें आपकी एप्रूवल नहीं है।

श्री बी॰ डी॰ राम: मेरी एप्रूवल नहीं है।

सभापति महोदय: नॉन इंटीमेशन दो केसेज में इनवाल्व है और 17 तारीख के लिए आप रिस्पोंसिबल हैं। यहां तो कोर्ट ने 20 तारीख को उनको रिलीज कर दिया है।

श्री बी॰ डी॰ राम: कोर्ट ने तो रिमांड रिलीज की है। केस तो चल रहा है।

सभापति महोदय: कितने दिनों में आपसे लिया जाता है?

श्री बी॰ डी॰ राम: चार्जशीट भेजने से पहले हमारी एप्रूवल हो जानी चाहिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार: गैंगस्टर एक्ट की चार्जशीट कितने दिनों में दाखिल की जानी चाहिए?

श्री बी॰ डी॰ राम: इसकी सामान्य अवधि 6 हफ्ते के लगभग होती है। इस बीच में चार्जशीट कोर्ट को चली जाती है। लेकिन इसमें महीनों भी लग जाते हैं। गैंगस्टर एक्ट में हम क्वालिटी ऑफ इनवेस्टिगेशन भी एनश्यूर करते हैं और चार्जशीट फाइल करने से पहले इनवेस्टिगेशन भी करते हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार: एक बात जो पहले पूछी गयी थी सूचना लोक सभा को भिजवाएंगे उसमें तीन लोगों के नाम लिखे हैं।

श्री बी॰ डी॰ राम: उसमें अगर जज साहब हैं तो वह करेंगे और मजिस्ट्रेट सुनेंगे तो वह करेंगे। एक्जीक्यूटिव में जब हमारा नंबर आता है तो कोई धरना या जुलूस वॉयलेंट हो रहा हो तो उस मजिस्ट्रेट की या हमारी जिम्मेदारी हो जाती है।

श्री संतोष कुमार गंगवार: 25/27 में आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपके आदेश से हुआ है।

श्री बी॰ डी॰ राम: लेकिन वह कोर्ट से रिलिजि किए गए थे इसलिए कोर्ट की जिम्मेदारी थी।

श्री संतोष कुमार गंगवार: मान लीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है मगर क्या यह सूचना लोक सभा सचिवालय को गई या नहीं?

श्री बी॰ डी॰ राम: मैंने CBI वाले केस में जैसे कहा कि 21 तारीख को बड़े सीनियर अफसर ने छोड़े थे जिनको इन इंस्ट्रक्शंस की जानकारी थी। तो हमने सोचा कि उन्होंने इनफॉर्मेशन दे दी होगी।

श्री संतोष कुमार गंगवार: CBI का केस अलग है। दो मामले थे जो सीधे आपकी ज्यूरिस्डिक्शन के अंतर्गत थे। पर ACGM द्वारा छोड़े जाने के बाद भी आपको पूछना चाहिए था कि यह सूचना लोक सभा सचिवालय को भेजी गई या नहीं।

श्री बी॰ डी॰ राम: इसकी आवश्यकता हमने महसूस नहीं की क्योंकि सबको इंस्ट्रक्शंस हैं और यह 20 साल से हैं। वह रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी दी जा रही है।

श्री तेज नारायण सिंह: एक CBI का मुकदमा था जिसमें वह लखनऊ जेल में गए और दूसरा

मुकदमा आर्म्स एक्ट का था जो फैजाबाद का था। दोनों मुकदमें भेजे गए। फैजाबाद कोर्ट में जो आर्म्स एक्ट का मुकदमा था उसमें आप लोगों ने कोर्ट से वारंट ले जाकर लखनऊ कोर्ट की फाइल में लगाया था जिस मुकदमें में वह जेल में थे उस मुकदमे में सूचना दी गई कि फलां कोर्ट में वह जेल में हैं। उनको एपीयर किया जाए।

श्री बी० डी० राम: जो भी मैंने कहा इसमें सूचना देने वाले और थे लेकिन मैं एड्मिट करता हूं कि इसमें लैप्सेज़ हुई हैं और मैं इतना कहना चाहूंगा कि डी०एम० के तौर पर हमारी अधिक जिम्मेदारी थी। मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इन आदेशों का पालन कड़ाई से हो।

श्री राम नारायण बैरवा: परासीक्यूशन ऐजेन्सी तो आपके कंट्रोल में है?

श्री बी० डी० राम: जी हां।

श्री रामकुमार बैरवा: मजिस्ट्रेट साहब ने एक आर्डर दे दिया कि उनको रिलीज कर दिया जाये, उसके बाद उन्होंने एक लाइन और लिखी कि इसकी सूचना लोक सभा को दी जाए, तो क्या यह आदेश आपके लिये नहीं था?

श्री बी० डी० राम: सर, यह मजिस्ट्रेट के आफिस के लिए था, यह हमारी प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी मैं भविष्य के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार की गलती आगे से नहीं होगी, यदि इस तरह का काम करने का मौका मिला तो?

सभापति महोदय: मि० राम चौधरी साहब ने एक आदेश दिया था "Speaker may be informed" तो क्या आपने अध्यक्ष लोक सभा को सूचना दी?

श्री बी० डी० राम: सर, यह आदेश उन्होंने अपने कार्यालय को दिया था।

सभापति महोदय: यह कैसे माना जाए?

श्री बी० डी० राम: अगर हमें आदेश देते तो उसकी कापी हमें देते।

सभापति महोदय: जब जजमेंट प्रोनाउंस किया था तो उस समय एक्जीक्यूटिंग अथारिटी कौन था?

श्री बी० डी० राम: पुलिस के लोग रहे होंगे या स्टेट की प्रोसीक्यूटिंग अथारिटी रही होगी?

सभापति महोदय: तो उन्होंने आपको नहीं बताया?

श्री बी० डी० राम: नहीं सर।

सभापति महोदय: जो इनका 161 नंबर पर केस बनाया था क्या आपने इसके फैक्टस् की जानकारी की थी?

श्री बी० डी० राम: हमने जानकारी की थी, लेकिन उस स्टेज पर हमारे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जानी थी।

सभापति महोदय: ये क्या कोई बहुत खतरनाक व्यक्ति है?

श्री बी० डी० राम: पहले रहे होंगे, लेकिन एक साल से हमारी जानकारी में नहीं है। पुराने केसेस थाने में दर्ज हुए थे।

सभापति महोदय: जो केसेस दर्ज थे वे किस-किस धारा के तहत थे?

श्री बी० डी० राम: 302 और 307 के थे।

सभापति महोदय: 302 तो मर्डर की धारा है और जज ने तो अपने आर्डर में कहा है कि प्राईमा

फेसी प्रूव नहीं कर पाए, तो फिर गैंगस्टर में केस बनाए, इससे लगता है कि ये बहुत भयंकर आदमी है, परन्तु जब कोर्ट में केस जाता है, तो वहां वह प्रूव नहीं हो पाता जिससे ऐसा लगता है कि ये केस गलत बने हैं, चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट के हैड हैं, तो इस दृष्टि से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये बहुत खतरनाक आदमी हैं या एण्टी सोश्यल एलीमेंट हैं?

श्री बी॰ डी॰ राम: सर, इस स्टेज पर ऐसा कहना उचित नहीं होगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार: आप एक वर्ष वहां जिलाधिकारी रहे, इस क्षेत्र के सी॰ओ॰ द्वारा या एस॰पी॰ द्वारा क्या कभी बताया कि ये एम॰पी॰ साहब हमें हैरेस करते हैं?

श्री बी॰ डी॰ राम: सर, मेरे कार्यकाल के एक वर्ष में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किये हैं और उसके बाद जब वे मेरे पास आएंगे तब मैं देखूंगा।

सभापति महोदय: यह तो आपने माना कि इत्तला करने की जिम्मेदारी है और यह आपके पार्ट पर लैप्स रहा है?

श्री बी॰ डी॰ राम: सर, जो पकड़ता है, जो छोड़ता है उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर मजिस्ट्रेट छोड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है, जो भी अथारिटी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है।

सभापति महोदय: 21 तारीख को थाने से जब इनको छोड़ा, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए?

श्री बी॰ डी॰ राम: नहीं सर उस दिन नहीं बाद में हुई।

सभापति महोदय: जो चौधरी साहब का आर्डर है उसके अनुसार गैंगस्टर एक्ट में उन्होंने छोड़ा और उनको फिर पकड़ा गया, तो जैसा अभी आपने कहा कि हमारी रेस्पांसिबिलिटी थी?

श्री बी॰ डी॰ राम: सर, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमारे जिले में कोई गलती करता है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है?

The Witness then withdrew

(2) Evidence of Shri H.P. Choudhury, Second Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda, U.P.

Mr. Chairman: Shri Choudhury, you have been asked to appear before this Committee to give your evidence in connection with the question of privilege regarding non-intimation of the alleged arrest of Shri Brijbhusan Saran Singh, hon. Member of Parliament, by police at Lucknow on 17th and 20 April, 1993, to the Speaker, Lok Sabha. I may inform you that under Rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as conficential till the report of the committee and the proceedings are presented to Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House. Now you may take oath or make affirmation as you may like.

श्री एच॰ पी॰ चौधरी: मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि इस मामले में जो भी साक्ष्य दूंगा वह सच्चा होगा। मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा और मेरे साक्ष्य का कोई अंश झूठा नहीं होगा।

सभापति महोदय: आप गोंडा में सैकिण्ड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं।

श्री एच॰ पी॰ चौधरी: जी हां।

सभापति महोदय: कितने साल से हैं?

श्री एच॰ पी॰ चौधरी: 9 जून 1992 से हैं।

सभापति महोदय: गोंडा से हमारे पार्लियामेंट के मैम्बर हैं बृजभूषण शरण सिंह, आपकी अदालत में उनके खिलाफ एक केस आया था। उसके फैक्टस आपको मालूम होंगे। 21.4.93 के आर्डर से उनको रिलीज किया।

श्री एच॰ पी॰ चौधरी: रिमांड मांगा गया था लेकिन मैंने रिमांड नहीं दिया।

सभापति महोदय: किस आधार पर नहीं दिया?

श्री एच॰ पी॰ चौधरी: जो राइफल की बरामदगी बतायी जाती है उसके लाइसेंस के बारे में इन्होंने लिखा था कि यह मेरे लाइसेंस की राइफल है और मैं इसका लाइसेंस जमा कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि 24 घंटे के अन्दर इनको हमारे सामने पेश होना चाहिये था।

सभापति महोदय: जजमेंट दिया है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं कहना है। इसके अलावा यह लोक सभा के सदस्य हैं। इनकी रिलीज की सूचना लोक सभा के स्पीकर को देनी चाहिये थी।

श्री एच॰ पी॰ चौधरी: जी हां।

सभापति महोदय: रूल्स के बारे में क्या आपको जानकारी नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट के स्टैंडिंग आडर्स भी हैं। जूडिशियल मजिस्ट्रेट को अरैस्ट और रिलीज की जानकारी स्पीकर को, विधान सभा के अध्यक्ष को देनी चाहिये। क्या यह आपकी जानकारी में है? आपने अपने कनक्लूडिंग पैराग्राफ में भी लिखा है। उसके अनुसार आपने किस को आर्डर दिया था?

श्री एच॰ पी॰ चौधरी: अपने कार्यालय को दिया था।

सभापति महोदय: कार्यालय का मतलब सीधी जिम्मेदारी आपकी होती है।

श्री एच॰ पी॰ चौधरी: हां होती है।

सभापति महोदय: अगर कहीं जुलूस निकल रहा है, वहां ला ॅ एंड आर्डर के प्वांइट पर किसी एम॰पी॰ को गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता है तो डी॰एम॰ की जिम्मेदारी होती है कि वह लोक सभा को बताये। कोर्ट के आर्डर से उसको रिलीज किया जाता है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है।

श्री एच॰ पी॰ चौधरी: हां होती है। 268 का प्वाइंट डिटैंशन प्वाइंट है। जब कोई आदमी जेल में है, ट्रायल हो तो उसको केवल प्रोडयूस करने के लिये वारंट नहीं होता है।

सभापति महोदय: आप रोज अखबारों में पढ़ते है कि सांसद जुलूस में गये और अरैस्ट हो गये, उनको थोड़ी देर के बाद रिलीज कर दिया।

श्री एच॰ पी॰ चौधरी: अरैस्ट की बात दूसरी है।

सभापति महोदय: रिमांड रिफ्यूज करने के कॉनसीक्वैंसेज़ क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? आपने जजमेंट दिया है। इसलिये सीधी जिम्मेदारी आपकी होती है।

As a judicial officer you have done that. We have nothing to ask you

about that. We are concerned with only one thing. Under the Rules of Business of Lok Sabha you are bound to inform the Speaker of the Lok Sabha in respect of the release of the MP. In this case you refused the remand; it means he was released; you made him an independent person. But why was the intimation not sent to the Speaker, Lok Sabha?

उस वक्त उनको मुक्त किया। मुक्त करने की सूचना लोक सभा को भेजनी चाहिये थी या जानकारी देनी चाहिये थी।

श्री एच० पी० चौधरी: देखकर पता लगायेंगे।

सभापति महोदय: पार्लियामेंट का मैम्बर जुर्म करता है तो सजा उसको हो सकती है। उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल सकता है। कानून को अपने हाथ में लेकर वह कुछ करे तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उस पर मुकदमा चल सकता है। जब वह गिरफ्तार किया जाये या छोड़ा जाये तो उसकी इत्तला लोक सभा को भेजनी चाहिये। ऐसा प्रावीजन है। खुद उनको रिलीज करने का आर्डर दिया है तो वह जानकारी यहां क्यों नहीं आई?

श्री एच० पी० चौधरी: देखने पर कुछ पता चल पायेगा।

सभापति महोदय: चैक-अप करके आना चाहिये था। आप लोक सभा की प्रिवलेज कमेटी के सामने सवाल जवाब के लिये आ रहे थे।

श्री एच० पी० चौधरी: नहीं भेजा तो देखेंगे। इनक्वायरी करके देखेंगे।

श्री राम कुमार बैरवा: यह नहीं पता कि इनफर्मेशन भेजी है या नहीं। दो महीने से ऊपर हो गये है।

श्री एच० पी० चौधरी: काम बहुत ज्यादा होता है। इसलिये ध्यान में नहीं है।

सभापति महोदय: आप लोक सभा के काम को बाद में प्रॉयरिटी देते हैं। एक सिम्पल सी जानकारी देने में आपको क्या दिक्कत थी? रोज ऐसे समाचार आते रहते हैं इनका बुलेटिन निकलता है।

मैम्बर आफ पार्लियामेंट का इतना प्रिवलेज नहीं है कि वह कुछ भी कर दें और उनके खिलाफ मुकदमा न चलाया जाये लेकिन उनकी जिम्मदारी यहां पर अपने क्षेत्र को रिप्रेजेण्ट करने की है। वह अरैस्ट हुए और रिलीज हुए तो इसकी जानकारी लोक सभा के स्पीकर को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली है तो इसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री एच० पी० चौधरी: नहीं मिल पाई है तो हमारी गलती है। इसको हमें देखना चाहिए था।

सभापति महोदय: आप क्या अनुभव करते हैं, यह ठीक हुआ है या गलत हुआ है।

श्री एच० पी० चौधरी: गलत हुआ है। हम इसे देख नहीं पाये और सोचा कि गया होगा। इसके लिए हमको अफसोस है। क्योंकि यह हमारी ड्यूटी थी।

हमसे जो गलती हुई है, उसको माफ कर दिया जाय, क्योंकि हमारी उम्र और अनुभव कम है इसलिए ऐसा हो गया है।

सभापति महोदय: धन्यवाद।

The Witness then Withdrew

(3) Evidence of Shri Yaduvendra Shukla, Superintendent, District Jail, Lucknow, Uttar Pradesh

Mr. Chairman: Are you Mr. Yaduvendra Shukla?

Shri Yaduvendra Shukla: Yes Sir.

Mr. Chairman: Shri Yaduvendra Shukla, you have been asked to appear before this Committee to give you evidence in connection with the question of privilege regarding non-intimation of the alleged rearrest and release of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP by police at Lucknow on 17th and 20th April, 1993 to the Speaker, Lok Sabha.

I may inform you that under Rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the report of the Committee and its proceedings are presented to the Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House.

Now, you may please take oath or make affirmation, as you like.

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: मैं यदुवेन्द्र शुक्ला, सुपरिन्टैडेंट, जिला जेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सच्चा होगा, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा और मेरे साक्ष्य का कोई अंश झूठा नहीं होगा।

सभापति महोदय: आप कब से लखनऊ जेल में हैं?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: 30 सितम्बर, 1992 से,

सभापति महोदय: इससे पहले कहां थे?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: गोंडा में।

सभापति महोदय: लखनऊ जेल में कोन से सैक्शन के अन्दर कैदी आते रहते हैं?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: सभी धाराओं के कैदी आते हैं, अंडर ट्रायल्स।

सभापति महोदय: कितना परसेंटेज है और क्या जुल्म साबित हो गया है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: इस समय लखनऊ की पोपुलेशन एक हजार है, जिनमे से 50-60 को कोर्ट से सजा हो गई है, बाकी रिमेनिंग ट्रायल हैं।

सभापति महोदय: जेल की कैपेसिटी कितनी है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: 500 की है।

सभापति महोदय: कितने साल के अंडर-ट्रायल्स हैं?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: कुछ तो पुराने होगें और संख्या बहुत ज्यादा नहीं है।

सभापति महोदय: लम्बे से लम्बा केस कितने साल पुराना है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: दो साल पुराना है।

सभापति महोदय: मर्डर के भी केसेज होंगे?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: जी, है।

सभापति महोदय: उसमें कोई कैदी है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: कोई नहीं है।

सभापति महोदय: फांसी की सजा होती है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: होती है।

सभापति महोदय: फांसी लखनऊ जेल में होती है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: होती है।

सभापति महोदय: उत्तर प्रदेश में कहीं और व्यवस्था नहीं है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: व्यवस्था है, लेकिन इस समय फांसी का मुजरिम नहीं है।

सभापति महोदय: इन दिनों कोई फांसी हुई?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: नहीं।

सभापति महोदय: एक केस श्री बृजभूषण शरण सिंह, संसद सदस्य, का है, जो कि गोंडा से सदस्य हैं। उनके खिलाफ दो केसेज रजिस्टर किये गये—एक, आर्म्स एक्ट के अन्दर 158/93 और दूसरा 161/93 गैंगस्टर एक्ट के अंदर। इन दोनों ही केसेज में उनको अन्डर ट्रायल रखा गया। ये आपके पास जेल में कब आए?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: CBI के केस में 9 अप्रैल को आये थे।

सभापति महोदय: आपको आदेश मिला था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: 17 तारीख को उनकी रिहाई का आदेश आया था। फार्मली करना चाहता था, लेकिन बी-वारंट गैंगस्टर एक्ट में इशु होने के कारण रिहाई नहीं हो पाई। अभिलेखों में रिहा कर दिया, लेकिन दूसरे केस में डिटेन कर दिया।

सभापति महोदय: कौन सा केस?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: गैंगस्टर एक्ट में।

सभापति महोदय: यह स्पेशल जज से होता है।

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: जी।

सभापति महोदय: कब आदेश दिया था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: जज साहब ने 20 तारीख को पेश करने का आदेश दिया था।

श्री सभापति महोदय: लखनऊ में?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: फैजाबाद में।

सभापति महोदय: आपको यह आदेश कहां से मिला?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: CJM लखनऊ से मिला था।

सभापति महोदय: क्या आदेश था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः फैजाबाद में स्थानान्तरण कर दिया जाये, गैंगस्टर एक्ट के तहत 20 अप्रैल को माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

सभापति महोदयः स्थानान्तरण करते वक्त कोई एसकोर्ट पुलिस की कोई टीम थी?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः आर.आई. को रिक्वैस्ट किया था।

सभापति महोदयः उस रिक्वैस्ट के बेसेज पर कोई एसकोर्ट पुलिस की टीम आई?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः 20 तारीख को आई।

सभापति महोदयः उसमें कौन-कौन लोग थे?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः एक सब-इन्सपैक्टर था और 2-3 कांसटेबिल थे।

सभापति महोदयः उस टीम में कितने सिपाही थे?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः 4-5 रहे होगें।

सभापति महोदयः क्या माननीय सदस्य को पैदल ले गये थे?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः जीप में ले गये थे।

सभापति महोदयः क्या आपने जीप का नम्बर नोट किया?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः नम्बर नहीं है, आफिसर का नाम है।

सभापति महोदयः क्या नाम है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः श्री जी.एम. त्रिपाठी एस० आई०।

सभापति महोदयः क्या आपने उनको कोई रूक्का या चिट्ठी दी?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः जी, दी।

सभापति महोदयः आपने दस्तखत किये?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः किये।

सभापति महोदयः आपने उसमें क्या लिखा?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः महोदय, इस पर जेलर के साइन हैं मेरे साइन नहीं हैं।

सभापति महोदयः यह हमसे तो पढ़ा नहीं जा रहा है इसे तो आप ही पढ़ सकते हैं। इसकी कॉपी आप हमारे पास भेज दीजिये। आप इसको पढ़ कर सुना सकते हैं मुझे तो लगता है कि आप भी नहीं पढ़ सकेंगे।

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः इसमें लिखा हुआ है, सेवा में, श्री बृज भूषण सिंह पुत्र श्री जगदम्बा सिंह, केस संख्या नंबर समझ में नहीं आ रहा है शायद 158/93 है, यह ठीक तरह से पढ़ने में नहीं आ रही है इसमें इतना समझ आ रहा है 20 तारीख को इनको पेश करने के लिये इसमें लिखा है।

सभापति महोदयः यह चिट्ठी इन्होंने फैजाबाद में भेजी, यह जानकारी तो आपके पास जाती है तो इसकी जानकारी आपको आगे मिलती है।

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः नहीं जो मुलजिम ट्रांसफर होते हैं, एडमिट होते हैं तो उसकी सूचना तो आ जाती है।

सभापति महोदयः कोर्ट में प्रड्यूस होने के पहले कहां रखा जाना चाहिये?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः जेल में रखा जाना चाहिये लेकिन वे सीधे कोर्ट ले गये हैं।

सभापति महोदयः तो फैजाबाद की कोर्ट में पेश होने के बाद में कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः हमारे पास कोई सूचना लिखित में नहीं आई है, यही पता चला है कि वहां इनको छोड़ दिया गया है। ऐसा अक्सर होता है जैसे हम लोग कोर्ट भेजते हैं तो वहां से कोर्ट सीधे रिहा कर देती है लेकिन हमारे पास इनफोरमेशन आती है, लेकिन यह हमारे पास नहीं है।

सभापति महोदयः यदि बीच में कैदी भाग जाये तो इसकी कोई सूचना आपके पास आनी चाहिये।

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः पुलिस ऑफिसर को तो इत्तिला करेंगे।

सभापति महोदयः जब एक जेल से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो वह मुलजिम वहां पर पहुंचा है या नहीं, तो इसकी पावती आपके पास आती है या नहीं?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः जेल ने हमको इंटीमेट नहीं किया। फैजाबाद जेल में यदि एडमिट होते तो फैजाबाद जेल हमें जरूर इंटीमेट करती।

सभापति महोदयः आपकी जानकारी के अनुसार एसकोर्ट पार्टी इनको कहां ले गई?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः हमको पता चला कि वे कोर्ट में ले गये, 20 को प्रस्तुत करना था और 20 को ही हमारे यहां से ले गये हैं।

सभापति महोदयः लखनऊ से फैजाबाद कितने घंटे का रास्ता है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः करीब ढाई घंटे का जीप से रास्ता है।

सभापति महोदयः करीब 160 कि०मी० होगा।

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः नहीं, 120 कि०मी० है।

सभापति महोदयः क्या सड़क भी अच्छी है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः हां, अच्छी है।

सभापति महोदयः जीप भी ठीक ही होगी। अब आप यह बताइये कि 158/93 का वारंट आपको कब मिला?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः 17 तारीख को मिला था।

सभापति महोदयः 17 को तो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मिला था।

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः नहीं, गैंगस्टर के अंतर्गत मिला था।

सभापति महोदयः क्या उस समय वे जूडिशियल कस्टडी में थे?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः हां।

सभापति महोदयः जेल मेनुअल के मुताबिक आपको क्या यह पावर है कि एक व्यक्ति को, चाहे भले ही वह ऑफेंस में रिलीज हो गये तो उसको आप जेल में डिटेन कर सकते हैं।

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः नहीं कर सकते हैं। राइटिंग में आर्डर है रिहा न किया जाये वहां ट्रांसफर किया जाये। वहां पर 20 को प्रोड्यूस किया जाये।

सभापति महोदयः यह रिहाई इनकी कब हुई?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः इनकी रिहाई 3.35 पर 17 अप्रैल को हुई। 3.35 पर वारंट आया और 4.40 पर मुक्त करने का आदेश आया।

सभापति महोदयः क्या यह सब रिकार्ड में है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः हां।

सभापति महोदयः आपके पास उनकी कॉपी है।

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः हां है।

सभापति महोदयः दिखाइये।

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः मैंने ओर्जिनल जमा कर दिया था और फोटो कॉपी उसकी मेरे पास है।

श्री संतोष कुमार गंगवारः जब आपने फैजाबाद जेल के लिए ट्रांसफर किया, तो उनको जेल में ले जाना चाहिए था या कोर्ट में ले जाना चाहिए था।

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः प्रेक्टिस यही है कि कोर्ट ले जाते हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवारः यह गलत है या सही?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः होना तो यही चाहिए कि जब जेल में ट्रांसफर किया है तो जेल में ले जाने के बाद फिर आगे की कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री तेज नारायण सिंहः आपके पास जो प्रोडक्शन वारंट 17 तारीख का गया था, वह किस कोर्ट का गया था और किस तारीख को उपस्थित करना था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः सीजीएम लखनऊ से वारंट गया था और 20 तारीख को उपस्थित करना था।

श्री तेज नारायण सिंहः आपने एमपी साहब को कौन सी तारीख को सुपुर्द किया?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः 20 तारीख को लखनऊ से सुबह 9.15 पर रवाना किया गया।

श्री तेज' नारायण सिंहः वहां पर कब पहुंचे?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः इसकी जानकारी नहीं है।

श्री राम नारायण बैरवाः जब वारंट 17 तारीख को आ गया था तो 18 तारीख को रवाना क्यों नहीं किया गया?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः पुलिस गार्ड नहीं मिल सका।

श्री राम नारायण बैरवाः इसकी कापी आपके पास है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः जी हां।

श्री तेज नारायण सिंहः आपके पास एमपी साहब का किस केस का रिलीज आर्डर था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः सीबीआई वाले केस में रिलीज का आदेश था।

श्री तेज नारायण सिंहः प्रोडक्शन वारंट किस-किस केसेस में था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्लाः दो केसेस में, एक आर्म्स एक्ट में और दूसरा गेंगस्टर एक्ट में।

श्री तेज नारायण सिंहः गेंगस्टर एक्ट में कब कोर्ट में प्रस्तुत करना था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: 20 तारीख को।

श्री तेज नारायण सिंह: और आर्म्स एक्ट में कब प्रस्तुत करना था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: आर्म्स एक्ट का बी वारंट ओरिजनली स्क्वेड को हैंडओवर कर दिया गया था।

श्री तेज नारायण सिंह: आर्म्स एक्ट में मुदालय किस तारीख से जेल में था और किस तारीख को रिलीज हुआ?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: आर्म्स एक्ट का 12 तारीख को वारंट प्राप्त हुआ था, रिलीज नहीं किया गया। इसका मूल वारंट ट्रांसफर के समय पार्टी को दे दिया गया था।

सभापति महोदय: पहले केस में मुलजिम को कोर्ट में कब प्रोड्यूस करना था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: इसकी कापी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं एग्जेक्ट आपको नहीं बता सकता। गेंग्स्टर केस में सीजेएम ने एक्स्ट्रा कापी भेजी थी।

सभापति महोदय: प्रोड्क्शन वारंट में डिटेंशन करने के लिए तो नहीं लिखा हुआ था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: आदेश सीजेएम साहब की हैंडराइटिंग में है कि फैजाबाद जेल में स्थानांतरण किया जाए।

सभापति महोदय: 12 तारीख को जो केस आया, इसमें कब प्रोड्यूस करना था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

सभापति महोदय: उनको यही तो शिकायत है कि मुझे बगैर किसी वैलिड आर्डर के डीटेन करके रखा गया, जबकि 15 तारीख को प्रोड्यूज करना था, जोकि नहीं किया गया, 16 तारीख को दूसरा गैंगस्टर का मुकदमा बना दिया गया।

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: सुना गया है कि मैं 20 को पेशी थी गेंगस्टर एक्ट में और

सभापति महोदय: 17 को वारंट मिला था।

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: साढ़े तीन बजे मिला, रिहाई का आदेश 4 बजे आया।

श्री तेज नारायण सिंह: कोर्ट से रिलीज का आदेश जाता है उस पर समय लिखा रहता है, कचहरी से जेल की दूरी कितनी है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: करीब 6 किलोमीटर है।

श्री तेज नारायण सिंह: जो भी वारंट आता है वह किसी जीप से या गाड़ी से आता होगा।

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: कोर्ट का चपरासी साईकल से लाता है। आधे घंटे के करीब लग जाता है।

सभापति महोदय: 15 तारीख को आर्म्ड एक्ट के तहत पेश करने का आर्डर था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: यह मैं फर्मली नहीं कह सकता।

सभापति महोदय: एडीशनल मजिस्ट्रेट गोंडा ने लिखा है।

Mr. Chairman: It reads as follows:

The Chief Judicial Magistrate, Gonda did not give order of remand in the absence of accused under section 167 G.P.C. on 12.4.1993 and instead passed the order to issue warrant 'B' requiring the accused locked in

district jail, Lucknow, to be produced before the judicial Magistrate, Gonda on 15.4.93. Consequentiy, the order to this effect was passed again by the officer incharge. So far as the question of granting bail is concerned,

15 तारीख को उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। 15 से 17 के बीच किस आधार पर रखा? प्रोडक्शन वारंट आपको मिला था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: इसकी जानकारी नहीं है।

श्री राम नारायण बैरवा: 15 तारीख को पेश करना था वह नहीं किया, आपको थोड़ी ही मालूम था कि 17 तारीख को बेल हो जायेगी। आपने अपनी ड्यूटी सही नहीं निभाई।

सभापति महोदय: प्रोडक्शन वारंट 15 को आ गया था?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: इसकी कापी मेरे पास नहीं है।

सभापति महोदय: 12 तारीख को कोर्ट में केस गया, गोंडा के एडीशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 15 तारीख को पेश होने के लिए आदेश दिया, यह चैक करके अपने रिकार्ड से हमें भिजवायें। गोंडा की अदालत में 15 तारीख को प्रोड्यूस करना था उसके लिए क्या जवाब है?

श्री यदुवेन्द्र शुक्ला: वारंट हस्तांतरित कर दिया गया था, मुझे पूरी जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय: इसकी जानकारी भिजवायें। 15 तारीख को प्रोड्यूस करने का वारंट मिला या नहीं, उस बीच में आपने उनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या कार्यवाही की, क्या पुलिस गार्ड के लिए कहा, क्या उन्होंने इन्कार किया, क्या कारण था कि 15 तारीख को पेश नहीं किया जा सका इसलिए मजिस्ट्रेट ने उनको छोड़ दिया, इन सबकी जानकारी रिकार्ड देखकर लोक सभा सचिवालय को भिजवायें। क्योंकि 17 और 20 के बीच वे पेश हो जाते तो दूसरी स्थिति बनती। वह पेश नहीं हो पाये इसलिए यह बात शक पैदा करती है। इसलिए आप सचिवालय को तुरंत जानकारी भेजें।

(The witness then withdrew)

The meeting then adjourned.

Thursday, 5 August, 1993

PRESENT

Shri Shiv Charan Mathur — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ram Sunder Das
3. Shri Santosh Kumar Gangwar
4. Shri Anna Joshi
5. Shri Bhagwan Shankar Rawat

SECRETARIAT

Shri V.K. Sharma — *Assistant Director*

WITNESS

Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP

(The Committee met at 15.15 hours)

Evidence of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, MP

सभापति महोदय: बृजभूषण जी आप शपथ ले चुके हैं, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। आपका पत्र मिला था, जिसमें आपने कहा है कि आपके खिलाफ आपके क्षेत्र में प्रचार किया जा रहा है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: आपने बुलाया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: जो सूची इन्होंने बनाई है, उसमें पांच केसेस ऐसे हैं, जिनमें गम्भीर आरोप लगाए हैं। 302 तक के आरोप हैं, जो हमारे ऊपर आज तक नहीं चले।

सभापति महोदय: 721/78 का केस है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: 721/78 नं० 1, यह कोतवाली फैजाबाद से है। 302 का केस जो मेरे खिलाफ दिखाया गया है, यह मेरे ऊपर नहीं चला है।

सभापति महोदय: आरोप पत्र दिया जा चुका है?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: आरोप पत्र दिया जा चुका है, लेकिन हमारे खिलाफ मामला नहीं चला। 302 का भी आरोप पत्र दिया जा चुका है, इससे संगिन मामला और कोई नहीं हो सकता है। यह केस भी 1989 का है। इसकी तो मुझे इत्तिला भी नहीं हुई है। दूसरा केस 118/82 का है और 147/148/307 कोतवाली फैजाबाद से है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: हमारे ऊपर कभी नहीं चला।

सभापति महोदय: आप पहले अपनी पूरी बात कह दीजिए।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: महोदय, एक केस है 147/148, 83/84, सीरियल नं० 24 है।

सभापति महोदय: यह लिस्ट आपको कहां से मिली। चलिए छोड़िए, ठीक है रहने दीजिए।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: 83/84, सीरियल नं० 24, इसमें 147, 148, 149, 341, 186, 504, 506 यह इस बार जब नोटिस दिया है तो इसमें इन्होंने सुधार किया है। इसके पहले 302 देते थे।

सभापति महोदय: इन धाराओं से आप संतुष्ट हैं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: हमारे ऊपर यह चला ही नहीं।

सभापति महोदय: इसमें फाइनल रिपोर्ट है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: आपके ही यहां जो सूचना दी है इसके पूर्व में जो सूचना दी है। यह पहले 302 की सूचना देते थे और यह सूचना हर जगह देते हैं। इस बार मात्र 506 दी है इसके पूर्व 302 की सूचना दी है। यह 721/80, सीरियल नं० 30 है, यह तीसरे पन्ने में 721/80, 147, 143, 307 है।

सभापति महोदय: आप सीरियल नं० 24 में कह रहे थे पहले 302 था। आपने इस पर कुछ कार्यवाही की, उसके बाद 302 हटाया गया।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: आपने जब सूचना मांगी तो दोबारा जब सूचना दी तो उसमें संशोधन कर लिया गया।

श्री भगवान शंकर रावत: इसमें कोई लिखा-पढ़ी हुई।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: आपके यहां आवेदन दिया था तो उनको लगा कि इस बार हमको सत्य बोलना चाहिये तो 302 हटा दिया बाकी लगा दिया, लेकिन हमको उसकी भी जानकारी नहीं है। इस बार उसमें 302 नहीं है पहले वे साफ 302 लिखते थे। क्रम सं० 30,147,148 307 कोतवाली, फैजाबाद, आरोप विचाराधीन है। ये जो मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं इसमें मेरे खिलाफ कोई आरोप पत्र नहीं है।

सभापति महोदय: इसको न मानने का हमारे पास क्या पर्याप्त आधार है?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: यदि कमेटी को गलत सूचना दी गई है तो उनको सजा मिलनी चाहिए और यदि मैं कमेटी को गुमराह कर रहा हूं तो मुझको सजा मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय: कमेटी का स्कोप केवल इतना है कि सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई की सूचना समय पर दी जानी चाहिए, यदि नहीं दी जाती तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: यदि कमेटी को गुमराह किया जा रहा है तो मेरा फर्ज है कि मैं समिति को सही जानकारी दूं।

सभापति महोदय: ये मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, इनको न मानने का समिति के पास क्या आधार है?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: मेरे पास इनके बारे में कोर्ट की कोई इत्तिला नहीं है। कई विद्यार्थी जीवन के समय के केसेस हैं, जिनमें मैं छूट चुका हूं और कोर्ट के फायनल आदेश हो चुके हैं। रामजन्मभूमि से संबंधित एक मामला है। तो इस तरह से जो केसेस मेरे ऊपर चल, नहीं रहे हैं, उनकी लिस्ट हर जगह भेज देना उचित नहीं है। इसके अलावा 17 तारीख से 20 तारीख तक जो मुझे जेल में रखा गया, उसका कोई पर्याप्त कारण नहीं था। इसके बारे में हाई कोर्ट की रूलिंग मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, दे दीजिए।

श्री भगवान शंकर रावत: कितने केसेस में कोर्ट की फायनल रिपोर्ट लग चुकी है?

श्री बृजभूषण शरण सिंह: कई विद्यार्थी जीवन के केसेस हैं। मैं आपको बता सकता हूं।

(The witness then withdrew)

The meeting then adjourned.

APPENDICES

APPENDIX

(*See* para 13 of the Report)

S.P SINGH
SUPDT. OF POLICE

No. 336/Rc.8(1)/xc.iv/92

Central Bureau of Investigation,
Hotel Samrat,
Room No. 361,
Chanakyapuri,
New Delhi.

Dated: 8/4/93

Sub: Forwarding of information regarding arrest of Sh. Brij Bhushan Saran Singh, Member of Parliament, Lok Sabha.

Sir,

Please find enclosed herewith, a Fax Message received from Sh. N.S. Virk, Dy. SP, CBI/SIC.-IV, New Delhi (Camp; at Lucknow) intimating the arrest of Sh Brij Bhushan Saran Singh, Member of Lok Sabha who has been arrested in connection with investigation of RC.8(S)/SIU-V/SIC-II/SIC-IV U/s 395/397/339/339/339/295/297/153-A of Indian Penal Code and Section 7 of Criminal Law Amendment Act, 1932 with regard to the demolition of the disputed structure at Ayodhya, Faizabad on 6-12-92.

2. It is requested that this may please be put up to the Hon'ble Speaker, Lok Sabha, New Delhi for favour of his kind information and necessary action.

Sd/-
(S.P. SINGH)
O/C

Secretary to Hon'ble Speaker,
Lok Sabha, (By name)
New Delhi.

ANNEXURE TO APPENDIX I
THIRD SCHEDULE

Form of Communication regarding Arrest, detention, conviction or release, as the case may be, of a member.

Place : LUCKNOW
Date : 8.4.93

To

The Speaker,
Lok Sabha,
New Delhi.

Dear Mr. Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 41 of the Criminal Procedure Code 1973, to direct that Shri *Brij Bhushan Sharan Singh* Member of the Lok Sabha be arrested for commission of offence punishable under Section 395/397/332/337/338/295/297/153-A of Indian Penal Code and Section 7 of Criminal Law Amendment Act, 1932 with regard to the demolition of the disputed structure at Ram Janam Bhoomi at Ayodhya, District Faizabad, Uttar Pradesh on 6-12-92 being investigated by the Central Bureau of Investigation *vide* case No. RC 8(s)/92/SIU-V/SIC-II, New Delhi.

Shri Brij Bhushan Sharan Singh Member of Parliament was accordingly arrested at (time) 9.40 A.M. appo. on *8.4.93* and is at present lodged in the police lock up PS (place), annexe of State guest house, Dalibagh, Lucknow under proper police protection.

Sd/-
Illegible
8/4/93
DSP
C.B.I. SIC, II

APPENDIX II

(*See* para 13 of the Report)

LOK SABHA

BULLETIN—PART II

(General information relating to Parliamentary and other matters)

Tuesday, April 13, 1993/Chaitra 23, 1915 (Saka)

No. 1975

Arrested and Lodgement of Shri Brij Bhushan Sharan Singh

The following communication dated, 8 April, 1993, addressed to the Speaker, Lok Sabha, by the Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation, SIC.-IV, New Delhi (Camp at Lucknow), was received on 3 April, 1993:—

"I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 41 of the Criminal Procedure Code, 1973, to direct that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, Member of Parliament, be arrested for commission of offence punishable under sections 395/397/339/337/338/295/297/153-A of Indian Penal Code and Section 7 of Criminal law Amendment Act, 1932 with regard to the demolition of the disputed structure at Ram Janam Bhoomi at Ayodhya, District Faizabad, Uttar Pradesh on 6.12.1992 being investigated by the Central Bureau of Investigation *Vide* case number RC 8(S)/97/SIU-V/SIC-II, New Delhi. Shri Brij Bhushan Sharan Singh, Member of Parliament, was accordingly arrested at 9.40 A.M. on 8.4.1993 and is at present lodged in the Police Lock-up annexe of State Guest House, Dalibagh, Lucknow, under proper police protection."

C.K. JAIN,
Secretary-General.

APPENDIX III

(*See* para 14 of the Report)

ZCZC
Q88 PLKI343
PLPT PLKW
PLPX 503

INPUT ON 09-APR-1993 17:28 HRS

PLK303
QS DPLPT
DPLKW

TKS DLI DE LKW Z NR409 GR110

TO THE SPEAKER LOK SABHA NEW DELHI
FM 7TH A C J M, LUCKNOW

NO. NIL 9/4/93 UNC

DEAR MR. SPEAKER "I HAVE THE HONOUR TO INFORM YOU THAT I HAVE FOUND IT MY DUTY, IN THE EXERCISE OF MY POWERS UNDER SECTION 167 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 1973 TO DIRECT THAT SRI BRIJ BHUSHAN SHARAN SNGH, MEMBER OF THE LOK SABHA, BE DETAINED FOR THE OFFENCE U/S 395/397/332/337/338/295/297/153-A INDIAN PENAL CODE AND SECTION 7 OF THE CRIMINAL LAW AMENDMENT ACT, 1932 STOP SRI BRIJ BHUSHAN SINGH, M.P., WAS ACCORDINGLY TAKEN INTO CUSTODY AT 1312. P.M. ON 9.4.93 AND IS AT PRESENT LODGED IN THE DISTRICT JAIL, LUCKNOW STOP

THI.......1720/9
SDBY BSB

DELIVERED ON 09-APR-1993 17:31 HRS

APPENDIX IV

(*See* para 14 of the Report)

LOK SABHA

BULLETIN—PART II

(General information relating to Parliamentary and other matters)

Saturday, April 10, 1993 Chaitra 20, 1915 (Saka)

No. 1970

Arrest and Lodgement of Shri Brij Bhushan Sharan Singh

The following wireless message, dated 9 April, 1993, addressed to the Speaker, Lok Sabha, by the Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow was received on 10 April, 1993:—

> "I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under section 167 of the Code of Criminal Procedure, 1973, to direct that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, Member of Lok Sabha, be detained for the offence under sections 395/397/332/337/338/295/297/153A, Indian Penal Code and section 7 of the Criminal law Amendment Act. Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P. was accordingly taken into custody at 1312 hours on 9.4.1993 and is at present lodged in the District Jail, Lucknow."

C. K. JAIN,
Secretary-General.

APPENDIX V

(*See* para 15 of the Report)

From

Shri S.M.A.A Bidi,
Chief Judicial Magistrate,
Gonda.

To

The Hon'ble Speaker,
Lok Sabha,
Parliament, New Delhi.
DELHI.

Sub:- Issuance of production Warrant against Hon'ble M.P. Sri Brij Bhushan Singh for the purposes of trial in Cr. No. 158/93 u/ss/ 25/27 A. Act, P.S. Nawab Ganj, Distt. Gonda.

Sir,

With due regards I have the honour to say that a production warrant against Hon'ble M.P. Sri Brij Bhushan Sharan Singh of District Gonda have been issued by me on the report of police P.S. Nawabganj, as he is at present confined in District Jail, Lucknow, in some other crime. His presence is also required for the purposes of trial of Cr. No. 158/93 u/ss 25/27 A. Act, P.S. Nawabganj, District Gonda. Information is being sent to you for necessary action please.

With regards:

Yours faithfully,

Sd/-
(S.M.A.A. Bidi)
Chief Judicial Magistrate,
Gonda.
12/4/93

APPENDIX VI

(*See* para 16 of the Report)

BRIJ BHUSHAN SHARAN SINGH
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

2, PARLIAMENT HOUSE
NEW DELHI-110001

22 APRIL, 1993

Speaker,
Lok Sabha
New Delhi.

Subject:- Notice of question of privilise for non-intimation to the Speaker/ House about the release and rearrest of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P.

Sir,

Under rule 222 of the rules of procedure of Lok Sabha, I hereby give notice to raise question of breach of privilise arising out of non-intimation to the Speaker/House of my release and rearrest from the jail.

The facts of the case are as under:—

I was arrested on 8.4.1993 by C.B.I. and lodged in the police lock-up at Lucknow. I was not produced before a Magistrate within 24 hours but only after 29 hours. Thus I was kept illegal custody for 29 hours. C.B.I. Magistrate of Lucknow accepted my bail on 16.4.1993. The bail was given on 17.4.1993. Inspite of that I was not released. I was produced before the court of special Judge (Gangster Act) Faizabad on 20.4.1993 for police remand. But the court rejected the request for remand under Gangster Act and released me.

But no intimation regarding my bail on 16.4.93, rearrest under Gangster Act and release on 20.4.93 has been given to the Lok Sabha by the authorities concerned.

This is a serious breach of privilege and contempt the House and a clear voilation of the provisions of rules 229 and 230 of the rules of procedure of the House.

I request that I may be permitted to raise this question of breach of privilege in the House today.

Yours faithfully,

(BRIJ BHUSHAN SHARAN SINGH)

APPENDIX VII

(*See* para 17 of thc Rcport)

श्री बृजभूषण सिंह (गोण्डा): 9 तारीख को सुबह मुझे अयोध्या के विवादित प्रकरण के सम्बन्ध मे वे मेरे निवास स्थान से सी. बी. आई. के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मुझे उस गिरफ्तारी के विरोध में या उसके विषय में कुछ नहीं कहना है। महोदय, जिस समय मुझे गिरफ्तार किया गया मेरे यहां एक लाइसेंसी रायफल थी, लेकिन उस समय चूंकि मेरा वहां से लाइसेंस चार किलोमीटर दूर था, मैं नवाबगंज में अपने स्थान पर था उस समय लाइसेंस नहीं दे पाया। मैने अपने पैड पर पुलिस अधिकारियों को लिखकर दिया कि इस रायफल का लाइसेंस जल्दबाजी के कारण नहीं मिल रहा है, चूंकि आप किसी को आने-जाने नहीं दे रहे हैं इसलिए हमारे परिवार के लोग बाद में इस रायफल का लाइसेंस देकर रायफल प्राप्त कर लेंगे। अगर मेरे वक्तव्य से आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसको आप इसको आप अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। उसके बाद सी. बी. आई. मुझे लेकर लखनऊ चली आई। 8 तारीख को मेरे ऊपर गोण्डा पुलिस द्वारा कोई मुकद्दमा नहीं लिखा गया, 9 तारीख को रायफल के सम्बन्ध में कोई मुकद्दमा नहीं लिखा गया, 10 और 11 को भी नहीं दर्ज किया गया। 12 तारीख को उसी रायफल के आधार पर मेरे ऊपर 25/27 का मुकद्दमा दायर किया गया। 8 तारीख की शाम को जब मेरे परिवार के लोग लाइसेंस लेकर एस. ओ. नवाबगंज के पास गये.....

अध्यक्ष महोदय: ये बातें कोर्ट में क्यों नहीं बता देते।

श्री राम कापसे: यह हमारे सांसद के साथ व्यवहार हुआ है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: वहां भी बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें यहां बतानी जरूरी हैं। जो विशेषाधिकार का मामला है वह बताना चाहता हूं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: सी. बी. आई. के द्वारा जिस मुकद्दमें में मुझे गिरफ्तार किया गया 16 तारीख को अदालत ने मुझे छोड़ दिया। 17 तारीख को दलवान दाखिल किया गया। 18 तारीख को जेल विभाग के रजिस्टर में छोड़ दिया गया। 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक मुकद्दमें के दौरान में अदालत में रखा गया, जेल में रखा गया, आज कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं यदि 12/13, 25/27 का मुकद्दमा कायम दिया गया तो क्या अध्यक्ष जी को इसकी सूचना दी गई? मैं जानता हूं कि कोई सूचना नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय: आप कैसे जानते हैं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: मुझे पता है कि सूचना नहीं दी गई। 19 तारीख को फैजाबाद की विशेष अदालत ने मुझे फिर छोड़ दिया और 20 तारीख को मुझे पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी भी सूचना महोदय को नहीं दी गयी। मेरा कहना यह है कि मुझे 17 से 21 तारीख तक जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया। यह विशेषाधिकार का मामला है क्योंकि उस समय सदन चालू था। इस प्रकार मुझे अपने अधिकार से वंचित रखा गया और भाग लेने से रोका गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): **अध्यक्ष** महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला **है** केवल इसलिए नहीं कि माननीय सदस्य संसद के सदस्य **हैं**। इसलिए भी कि इस देश में नागरिकों को मूल

अधिकार के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है? अगर कोई नागरिक या संसद सदस्य कहता है कि बन्दूक का लाइसेंस उसके पास है और लाइसेंस बाद में दे देंगे तो क्या सी. बी. आई. या पुलिस या शासनतंत्र को उसको मानना नहीं चाहिये? लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर ले जाया गया। बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। अवैध तरीके से उनको जेल में रखा गया, उसका क्या उपचार है?

अध्यक्ष महोदय, तभी अन्तर्संसदीय सम्मेलन हुआ था। उसमें यह बात कही गयी थी कि अगर संसद सदस्य को गिरफ्तार भी किया जाये परन्तु यदि संसद का सत्र हो रहा है तो संसद के सत्र में उसको उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिये। मैं आशा करता था कि आप इस पर कड़ाई से अमल करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा रूल आपके पास नहीं है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप परम्परा शुरू कर दीजिये, रूल बाद में बनेगा। अध्यक्ष महोदय, इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार हमारे कुछ संसद सदस्यों के साथ जान-बूझकर शत्रुता का रवैया अपना रही है जो अयोध्या के मामले में कहीं न कहीं गिरफ्तार करना है। इसलिए गलत ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाये, भले ही अदालत का चांटा पड़े और फिर सरकार को उसे छोड़ना पड़े। मगर यह सिलसिला कब तक चलेगा? अध्यक्ष महोदय, आपके जैसे पीठासीन अधिकारी को इन मामलों में दखल देना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह मामला मैंने आपको इसलिए उठाने की इज़ाजत दी क्योंकि आप सदन के सदस्य हैं। मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है। अगर इस बारे में कोई चिट्ठी आयी होगी तो ब्रीच आॅफ प्रीवलेज नहीं बनता है। फिर भी मैं देख लूंगा। मुझे लगता यही है कि आपके अरेस्ट होने की चिट्ठी आयी है। अगर आयी है तो यह ब्रीच आॅफ प्रीवलेज नहीं बनता है। अगर किसी सदस्य को या बाहर के किसी सिटिज़न को अरेस्ट किया गया है, यदि इल्लीगल अरेस्ट किया गया है तो इस गुनाह में किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्रिमिनल केस दाखिल किया जा सकता है। उसके साथ-साथ कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन भी है। वह सब कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सदस्य को संरक्षण नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहेंगे। अगर दे सकते हैं तो हम जरूर देना चाहेंगे। इसलिए यह मामला उठाने की आपको इजाजत दी। फिर भी मैं इसको देख लूंगा।

APPENDIX VIII

(*See* para 19 of the Report)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष जी, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में सदस्यों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है कि आप अगर विलम्ब करेंगे तो आपके इस विशेषाधिकार पर विचार नहीं होगा। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि विशेषाधिकार का प्रस्ताव अगर कोई माननीय सदस्य देता है तो वही अपेक्षा उसके डिसपोजल के बारे में होनी चाहिये कि उसमें कोई विलम्ब न हो। इसलिये मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे एक सम्माननीय सदस्य ने, जैसे जार्ज साहब ने एक पत्र के बारे मैं आपको सूचना दी है, नोटिस दिया है, वैसे ही हमारे एक साथी सदस्य ने उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में नोटिस दिया है कि वहां उनको गलत तरीके से बंदी बनाया गया, लेकिन आपको उसकी सूचना तक नहीं दी। संसद-सदस्य को बंदी बनाने के बारे में आपको सूचना तक नहीं दी। इसीलिए स्वयं मैं वह एक प्राइमा फेसी अवमानना का मामला बनता है, सदस्य की, जिसको नोटिस लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे प्रिविलेज मोशन आये हैं, मगर उनमें से अधिकांश में हमारे माननीय सदस्यों की भावना कुछ ऐसी है कि अगर कहीं बाहर कोई झगड़ा हो गया तो भी वह प्रिविलेज मोशन है, किसी पुलिस के आदमी के साथ झगड़ा हो गया तो भी वह प्रिविलेज मोशन है, मगर ऐसे मामले प्रिविलेज मोशन के लिए कामयाब नहीं होते हैं। ऐसे मामलों को एकदम डिस्पोज ऑफ करने के पहले मैं देखता हूं कि उसमें क्या हुआ है और सब कुछ देख कर ही मामले को डिस्पोज-ऑफ कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं इम्मीडियेटली डिस्पोज ऑफ कर दूंगा और माननीय सदस्य से पूछूंगा भी नहीं। फिर जो थोड़ा-बहुत असर होता है, वह भी नहीं हो पाएगा।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : एक-आध मामले की बात नहीं है, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : एक भी मामला अगर वह प्रिविलेज का नहीं होता है तो आप सम्माननीय सदस्य होने के नाते और यह सबसे बड़ा सदन होने के नाते मुझे यह नहीं कहेंगे कि आप उसको लें। यदि प्रिविलेज होता है तो मैं जरूर करुंगा, नहीं होता है तो नहीं करुंगा।

श्री शरद यादव: आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, अध्यक्ष जी। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह अकेले जार्ज साहब का मामला नहीं है लेकिन जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनके जीवन में चरित्र हत्या के प्रयास चलते रहते हैं। एक-आध मामले की बात नहीं है, अभी जार्ज साहब ने जिस मामले को उठाया, जिस आदमी का सार्वजनिक जीवन इतना लम्बा हो, उस आदमी का भी इस तरह से चरित्र हनन यदि हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय: यही मैं रोज-रोज करता हूं, जब जीरो-आवर में आप बात उठाते हैं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, जीरो ऑवर में उठाने वाले मामलों पर हम लोग पूरी सावधानी बरतते हैं। हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी आदमी हो, अकारण उसकी चरित्र हत्या हो। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, कभी ऐसा नहीं किया। मैं आपसे यही निवेदन और विनती करूंगा कि इस मामले को आपको लेना चाहिये ताकि हमारे अखबार किसी भी बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ छापने का काम

करें। ऐसा नहीं कि जैसा दिल में आया, उसकी आलोचना हो जाए। कई ऐसे मामले होते हैं जो आपके नोटिस में लाये गये और हमेशा चलते रहते हैं।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, यदि कोई आरोप लगा दे या कोई स्टेटमैंट दे तो उसकी बात अलग है लेकिन बहुत से मामले यहां ऐसे उठते हैं, जैसे अभी दो दिन पहले हमने 45 करोड़ रुपये के घपले का, डी डी ए से संबंधित एक मामला यहां उठाया, डी.डी.ए. के एक अधिकारी के खिलाफ वह मामला था जोकि भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, उसके बारे में भी अखबारों को न जाने क्या छाप दिया जबकि बी.जे.पी. के हमारे एक साथी ने उसी मामले को इस सदन में पहले उठाया था और उन्हीं के क्वेश्चन के आधार पर हमने भी उस मामले को यहां उठाया और वह साबित हो चुका है, सी.वी.सी. की जांच हो चुकी है, इंक्वायरी हो चुकी है लेकिन सरकार उसको बचा रही है। हम उसके खिलाफ यदि कोई मामला उठायेंगे तो अखबारों में लिख दिया जाता है कि इस मामले में राम विलास पासवान ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह के मामलों को आप जरा गम्भीरता से लिया कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा हुआ कि आपने आज इस मामले को जीरो ऑवर में उठाया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अनेक कानून हैं और यह सदन भी कुछ कानूनों के आधार पर चलता है। हमारे देश में भी कानून हैं। अगर बाहर कोई बात, किसी भी समाचार पत्र के अंदर उठायी जाए तो उसके खिलाफ आपको रेमैडी चाहिए तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। यदि वह बात सदन की कार्यवाही से संबंधित है, आपके कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा से संबंधित है तो मामला यहां पर आ सकता है। यह बात आपको स्पष्ट होनी चाहिये। यदि कोई बाहर की बात आप यहां लाएंगे और यह कहेंगे, यह सिर्फ कहेंगे कि यह बड़ा सदन है, हम किसी के भी खिलाफ प्रिविलेज मोशन दे देंगे और उसको लेना चाहिए तो मैं समझता हूं उस बारे में सारा सदन मुझसे सहमत होगा कि बाहर के आदमी की कोई बात सदन के भीतर नहीं होनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान: उसको हम लोग यहां नहीं लाते हैं लेकिन जार्ज साहब का जो मामला है, वह निश्चित रूप से प्रिविलेज से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: अभी तक मैंने देखा भी नहीं है और उसको आप यहां उठा रहे हैं। जार्ज साहब को मैंने अकेले उठाने के लिये कहा था लेकिन आप भी उसे यहां उठा रहे हैं और तर्क दे रहे हैं। मैंने पहले भी बार-बार कहा है, मैं फिर ब्रीच आफ प्रिविलेज के बारे में बताना चाहूंगा कि जो वास्तव में ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है, वही मैं लूंगा और जो ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं बनता है उसको लेने के लिए आप मुझसे मत कहिये। बाहर के लोगों के भी कुछ अधिकार होते हैं, उनका भी कुछ मान-सम्मान होता है। आपका अगर उनके साथ झगड़ा हो गया है और आपको ऐसा लगा कि वह झगड़ा दुरुस्त नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, यहां पर लाना अच्छा नहीं होगा। इसमें आपकी गरिमा नहीं रहेगी, उसमें सदन की गरिमा नहीं रहेगी।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह किसी प्रिविलेज इश्यू पर किसी झगड़े का प्रश्न नहीं है। 5 दिन तक अवैध रूप से बंद रखा गया। उस समय सदन की कार्रवाई चल रही थी, उस दिन की कार्रवाई में भाग लेने से एक सदस्य को रोका गया है।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आप हमारी बात नहीं सुनेगें, तो हम कहां जायेंगे?

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम किसे अपनी बात कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें आपका प्रोटैक्शन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हां, क्या प्रोटैक्शन चाहिए?

श्री सत्यदेव सिंह: मान्यवर मुझे यह कहना है कि आपने कहा कि किसी झगड़े पर, किसी व्यक्तिगत विवाद को यहां नहीं ला सकते है, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको मुझसे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है।

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सबमीशन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हां, ठीक है कहिए, क्या सबमीशन करना चाहते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक ऑनरेबल मेम्बर को 5 दिन तक जब सदन चल रहा था, गैर-कानूनी ढंग से जेल में रखा गया, उसकी सूचना आपको नहीं दी गयी, क्या यह भी प्रिविलेज नहीं बनता है? उस सदस्य को इस सदन की कार्रवाई में भाग लेने से अवैधानिक रूप से रोका गया, तो क्या यह भी प्रिविलेज नहीं बनता है? और इस पर कितना विलम्ब मान्यवर होगा?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको यह समझ में आना चाहिए कि मैंने कहा इसकी सूचना मुझे लगता है कि मेरे पास आई है।

(व्यवधान)

Mr. Speaker: You have no facts with you. Unnecessarily you are arguing someone else's case.

Shri Satya Deo Singh: I am making an argument on behalf of the House.

श्री बृज भूषण शरण सिंह (गोण्डा): अध्यक्ष महोदय, उत्तर-प्रदेश की सरकार ने 17 तारीख से 21 तारीख तक उसको जेल में रखा, उसकी सूचना आई है या नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको सुनूंगा। आप अपने वकील के साथ आइए। आप खुद आकर बताइए।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारे वकील तो आप ही हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय,: देखिए, बैठ जाइए। ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

Mr. Speaker: You should be very clear in your minds. If you have a quarrel with some police officer or any other officer outside this House which has nothing to do with the activities of this House, it does not constitute a breach of privilege. If anybody has written against you in any newspaper and it has nothing to do with the activities of this House, it also does not constitute a breach of privilege. The remedy lies in a Court of Law, remedy does not lie with the Speaker. I expect you to go to the law of privileges, study it, form the opinion and come to me correctly. I have no difficulty in disposing all the privilege cases on the same day. But I tried to give you some relief by doing it and if you do not understand that also, well, I am helpless.

Shri Lal K. Advani (Gandhi Nagar): Mr. Speaker, Sir, your observation as to what are the limitations and parameters of the cases of privilege cannot be disputed. They are perfectly correct. But in this particular case, as I pointed out or an earlier occasion, I wanted to know whether the detention of an hon. Member, information in that regard has been conveyed to you or not. Today, you said perhaps information has been sent. I do not recall having seen it in the bulletin. If it was there in the bulletin, then the matter would have ended. We are not complaining about anything else except that *prima facie* if the detaining authorities have done so illegally, unlawfully, then there is another resort. If they have not communicated that, it constitutes a breach of privilege.

Mr. Speaker: Yes; it constitutes a breach of privilege.

Shri Lal K. Advani: As far as I recall, you have pointed out on that very day that there seems to have been a lapse.

Shri Chandra Shekhar (Ballia): Mr. Speaker, Sir, the matter is simple whether this matter has come in the bulletin or not First of all, let us know on what day in the bulletin it was published that the hon. Member was arrested and then the matter will be over. If it has not come in the bulletin, whether you said one thing or the other it does not make any difference. Has the matter been reported in the Bulletin that the concerned Officer informed the House that the hon. Member Shri Brij Bhushan Saran Singh has been arrested? If that is not given in the Bulletin, it is a clear breach of privilege, whether the breach of privilege goes to the Secretariat of the Lok Sabha or to the Police Officer. This is not private affair. It is a matter for which rules and procedures have been laid down. If the matter was informed by the Police Officer, that should have been reported on the same day in the Bulletin of the Lok Sabha. If

thc matter has not been reported in the Bulletin of the Lok Sabha, somcbody is at fault for it, whether it is Police Officer or the Sccrctariat of Lok Sabha.

Mr. Speaker: I will look into it.

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, जो आम तौर से सही बात है, वह अभी आपने कही है। लेकिन जब हम एक सांसद की हैसियत से बाहर जाते हैं और सिर्फ सांसद हैं इसलिए अगर कोई गिरफ्तारी, पिटाई होती है तो वह प्रिविलेज का मामला बनना चाहिए, इसी सदन में बना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आरग्यू करने के लिए चांस दूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा: आप जब कह देंगे तो फिर यह रूलिंग की बात हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसे मामलों पर एकदम अपना जजमैंट नहीं दूंगा और देना अच्छा नहीं है। आप आरग्यू कीजिए, मैं सुन लूंगा... **(व्यवधान)** आप मुझे ऐनलाइट कर सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा: बाहर सांसद की हैसियत से जो भी गिरफ्तारी हो, मार-पीट हो, चोट पड़े, वह तो प्रीविलेज में आना ही चाहिए।

APPENDIX IX

(*See* para 20 of the Report)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SUBJECT: Notice of question of privilege by Shri Brij Bhushan Saran Singh, M.P. regarding the alleged non-intimation to the Speaker about his release and rearrest by the authorities.

Lok Sabha Secretariat may please refer to their U.O. No. 17/31/93/ LB.I/Priv. dated 23rd April, 1993 followed by various reminders the last being dated 12th May, 1993 on the subject mentioned above.

2. The matter has been enquired into the factual notes have been received from the CBI and the State Government of Uttar Pradesh. A copy each of the reports received from CBI (Annexure I) and from the State Government of Uttar Pradesh (Annexure. II) is enclosed. Delay in furnishing a factual note is due to delayed receipt of the aforesaid reports. We apologise for the delay.

3. This issues after the perusal and approval of Home Minister.

Sd/-
(C.I. JOY)
Deputy Secretary to the Govt. of India

Lok Sabha Sectt., Legislative Branch, (Shri T.S. Ahluwalia, Joint Secretary), New Delhi.

MHA U.O. No. I/16012/13/93-IS(D.III) dated 13th May, 1993.

ANNEXURE I TO APPENDIX IX

FACTUAL REPORT

Based on evidence collected during the investigation of RC No. 8(S)/92/ SIU-V/SIC-II, i.e. demolition of the disputed structure in Ayodhya Sh. B.B.S. Singh, M.P. was arrested alongwith others on 8.4.93 in Gonda at 0940 AM. He was taken to Lucknow and kept in CBI custody till 9-4-93 when he was produced before the CBI court in Lucknow. The court remanded the M.P. to judicial custody. The matter for bail was taken up on 16-4-93. The Lucknow court granted bail to the M.P. on 16-4-93 on furnishing a personal bond of Rs. 2,000/- and surety of like amount.

The M.P. was arrested as per law and he was extended due courtesies. The complaint of alleged detention beyond 24 hours was raised before the court by the M.P. in his bail application. The Magistrate after examining the documents was satisfied.

The arrest was made as per law. Section 57 of Criminal Procedure Code lays down thus:

"No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable and such period shall not in the absence of special order of the Magistrate under Sec. 167, *exceed twenty-four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's court.*

The M.P. was arrested on 8-4-93 at 0940 hrs. and was produced before the link Magistrate, Lucknow at 1312 hrs. on 9-4-93. The CBI team left for the courts on 9-4-93 at 1000 hrs. 9-4-93 being Good Friday, regular magistrate was not available.

It may be added that the MP has moved the High Court of Allahabad in a Writ of Habeas Corpus against his alleged detention beyond 24 hours by the CBI. The matter is still under scrutiny by the High Court and is still subjudice. About the date of release of the MP, his "re-arrest" by U.P. Police and being produced before the Special Judge, Faizabad on any date under any law, the CBI has no records and therefore, is not in a position to offer comments.

It may be mentioned that on arrest of the M.P. the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha was informed and a copy of the intimation is enclosed.

This office has no objection to a copy of the factual note being given to the M.P.

Sd/-
(ALEXANDER DANIEL)
DIG: CBI: SIC-IV
New Delhi.

SHRI C.D. ARHA,
Joint Secretary,
MHA

THIRD SCHEDULE

Form of communication regarding arrest, detention, conviction or release, as the case may be, of a member.

Place : LUCKNOW

Date: 8.4.93

To

The Speaker,
Lok Sabha,
New Delhi,

Dear Mr. Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 41 of the Criminal Procedure Code 1973, to direct that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, Member of the Lok Sabha, be arrested for commission of offence punishable under Section 395/397/332/337/338/295/297/153-A of Indian Penal Code and Section 7 of Criminal Law Amendment Act 1932 with regard to the demolition of the disputed structure at Ram Janam Bhoomi at Ayodhya, District Faizabad, Uttar Pradesh, on 6.12.92 being investigated by the Central Bureau of Investigation vide case No. RC 8 (S)/92/SIU-V/SIC-II, New Delhi.

Sh. Brij Bhushan Saran Singh, Member of Parliament, was accordingly arrested at (Time) 9.40 AM appo. on 8.4.93 and is at present lodged in the Police custody at PS (place), annexe of State Guest House Dalibagh, Lucknow, under proper police protection.

Sd/-

THIRD SCHEDULE

Form of Communication regarding Arrest, detention, conviction or release, as the case may be, of a member.

Place: Lucknow
Date: 8.4.93

To

The Speaker,
Lok Sabha,
New Delhi.

Dear Mr. Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section 41 of the Criminal Procedure Code 1973, to direct that Shri Brij Bhushan Sharan Singh Member of the Lok Sabha be arrested for commission of offence punishable under Section 395/397/332/337/338/295/297/153-A of Indian penal Code and Section 7 of Criminal Law (Amendment) Act, 1932 with regard to end to demolition of the disputed structure at Ram Janam Bhoomi at Ayodhya, District Faizabad, Uttar pradesh on 6.12.92 being investigated by the Central Bureau of investigation vide case No. 8(s)/92/SIU-V/SIC-II, New Delhi.

Shri Brij Bhushan Sharan Singh Member of Parliament was accordingly arrested at (time) 9.40 A.M. approx. on 8.4.93 and is at present lodged in the police lock up PS (Place), annexe of State Guest House, Dalibagh, Lucknow under proper police protection.

Sd/-
Illegible
8/4/93
DSP
C.B.I. SIC II

OFFICE OF THE DIG, SIC-IV

HOTEL SAMRAT, NEW DELHI

May 13, 1993.

Dear Shri Arha,

This is in continuation of the report dated 13.5.93 in CBI investigation case No. RC-8(S)/92-SIU-V/SIC-II which is the case dealing with the demolition of the disputed structure in Ayodhya.

2. The matter has been taken up by a privilege motion by Shri B.B.S. Singh, M.P., regarding his arrest by the CBI and re-arrest by U.P. police.

3. On 9.4.1993 the CBI team left office at 1000 hrs. in Lucknow to produce the MP in CBI Court. They reached there at 1030 hrs. On 9.4.93 there was a gazetted holiday on account of Good Friday and therefore, the regular magistrate was not available. In his absence the M.P. was taken to the Court of Link Magistrate who was also not available. Then, instructions were sought from the CJM as to in which Court the M.P. should be produced. As instructed by the CJM, the M.P. was taken to the Court of another Link Magistrate, Shri K.N. Pandey, nominated by the CJM. The M.P. was produced in the Court of Shri Pandey at 1312 hrs. This issue of alleged detention of the M.P. in CBI custody beyond 24 hrs. was also raised before this Court. The Court was satisfied with the reasoning given by the prosecution. A fax copy of the Court Order is enclosed.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-
(ALEXANDER DANIEL)
DIG, CBI, SIC-IV,
New Delhi

SHRI C.D. ARHA,
Joint Secretary,
Ministry of Home Affairs,
New Delhi.

Dt. 9.4.93

[English translation of original in Hindi]

Copy of the Order

The applicant Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P. has submitted that as he was arrested by the police on 8.4.93 at 8.00 A.M. and was not produced in court within the prescribed time-limit, therefore he should be released. The prosecutor has contended that the Hon'ble Member was arrested on 8.4.93 at 9.40 A.M. in Nawabganj, district Gonda and he was produced on 9.4.93 at 10.30 A.M. in the competent Court (Court of Special Judicial Magistrate CBI). But as he as well as the Link Magistrate were on leave, he could be produced in court only at 01.12 hours. It has been submitted by the prosecution that if the time taken in travelling and reaching the court is deducted, it would become evident that hon'ble Member was produced in Court for remand well in time. I agree, with the contention of the prosecution and therefore hold that barring the time taken in journey and other requirements, the Hon'ble Member, Shri Brij Bhushan Sharan Singh was produced in the Court well within the prescribed time limit. Therefore, this writ application is rejected.

Sd/-
(K.N. Pandey)
Link Officer/Special J.M.
CBI

ANNEXURE II TO APPENDIX IX

(English translation of original in Hindi)

S.R. LAKHA | D.O. No. 89 SCR 193

Special Secretary, Home. | Government of Uttar Pradesh
Lucknow, dt. 13 May, 1993.

Dear Shri Adha,

With reference to your letter No. 1/1602/13/93-I.G.(B-3) dt. 4.5.93, I have to inform you that Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P. Lok Sabha was arrested by C.B.I. on 8.4.93 and was lodged in Lucknow District Jail. Intimation in this regard was sent to the Hon'ble Speaker of Lok Sabha by CBI. During his detention in Lucknow district jail, he was served a Warrant(B) by the police of district Gonda on 17.4.93 under Gangster Act. On 20.4.93, he was produced before the special judge, Gangster Act (Designated Court) Faizabad for remand. But, as the police did not get his remand, Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P. was released on 20.4.93. Intimation, regarding serving a warrant(B) to him under the Gangster Act was not again given to the Hon'ble Speaker because CBI had already intimated about the arrest of Shri Brij Bhushan Sharan Singh, M.P. However, if any other information is required, kindly get it from the C.B.I. Cell, Delhi, because he was first arrested by the C.B.I.

Yours faithfully,
Sd/-
13.5.93

To,
Shri C.D. Adha,
Joint Secretary,
Ministry of Home Affais,
Government of India,
New Delhi.

MGIP (PLU) MRND—4182LS—17-11-93—550.